खण्ड-268, अंक-1
मंगलवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1888
(26 जुलाई, 1966 ई0)

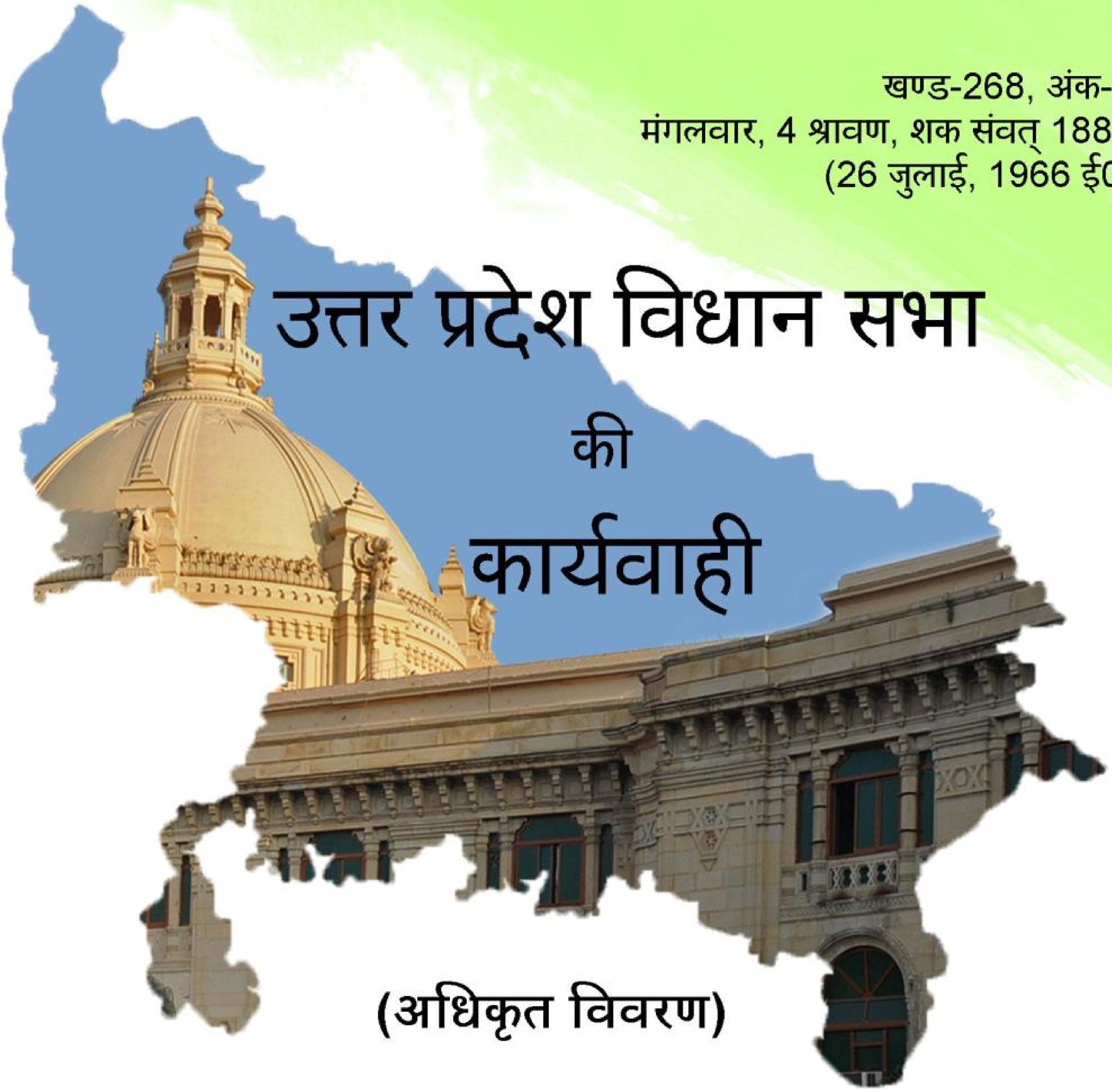

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
131812
PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हुसीन खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुना कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री,
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनलाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्र प्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीरामतिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—राजस्व मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन, तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे।

मंगलवार, २६ जुलाई, १९६६

प्रश्न सूची न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह आज का कार्य-क्रम हमको नहीं मिला है। आज का काम कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

मिला तो है, आप यह कह सकते हैं कि प्रश्न सूची नहीं मिली है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

किसी को भूले भटके प्रश्न सूची भी मिल गयी है। लेकिन मुझे नहीं मिली है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मुझे प्रश्न सूची तो मिली है लेकिन वह साइक्लोस्टाइल में है और ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आता।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मुझे तो केवल एजेंडा मिला है। प्रश्न सूची नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, प्रश्न सूची यहां है। आप लोग ले सकते हैं। अब तारांकित प्रश्न आरम्भ होंगे।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

चूंकि प्रश्न सूची हर सदस्य को मिल नहीं पायी है, इसलिये, अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होगा कि मूल प्रश्न और उत्तर पढ़ कर सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

हां, यह ठीक है। (माननीय मंत्री से) आप ही पढ़ दीजिये।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में कुलाबों की बारबन्दी

*१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा शाखा, बहादुरगढ़, गंगा नहर, मेरठ डिवीजन के कुलावा संख्या ६१ तथा ५८ जो कि ग्राम मड़कऊ, जिला बुलन्दशहर, में स्थित है की बारबन्दी अब से पूर्व कौन-कौन से वर्ष में हुयी थी और क्या उन उक्त कुलाबों की बारबन्दी की प्रतिलिपि नक्शा सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जो उक्त चुनावों की बारबन्दी हो रही है उसमें पिछली बारबन्दी के कागजात को किन कारणों से अध्ययन करने की आवश्यक नहीं समझा गई इस के अतिरिक्त क्या कारण है कि इस समय जो बारबन्दी हो रही कुलावा नं० ६१ पर बहुत थोड़ा रकबा और कुलाबा नं० ५८ पर अधिक रकबा सम्मिलित किया जा रहा है जबकि दोनों कुलाबों का दहन ४ इंच ही है?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या कोई विशेष कारण है कि सरकार अभी तक सूचना एकत्रित नहीं कर पायी है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

पूरे कागजात, नक्शे इत्यादि कापी होकर यहां आवेंगे, अगले बुध तक आ जायगा।

प्रधीक्षण अभियन्ता के रुड़की कार्यालय का स्थानान्तरण

*३--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, गंगा सर्किल के दफ्तर को रुड़की से हटा कर मेरठ लाने का विचार है? यदि हां, तो किन कारणों से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने कार्य में सक्षमता लाने के लिए प्रधीक्षण अभियंता का कार्यालय रुड़की से मेरठ ले जाने का निर्णय किया है।

*४--श्री रियासत हुसैन--

क्या विद्युत् मंत्री को इस सिलसिले में कुछ मेमोरेंडम वहां के वर्कर्स के द्वारा और जनता के द्वारा हाल ही में भेजे गये हैं कि इस दफ्तर को न हटाया जाय? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां। उस मेमोरेंडम पर सरकार राज्य विद्युत् परिषद् से परामर्श कर रही है।

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस दफ्तर के हटाने की स्कीम से कितना नया खर्चा सरकार को मेरठ में इमारतें बनवाने की तैयारी में करना होगा ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

यह सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन —

मंत्री जी ने पहले सवाल के जवाब में कहा है कि एफिशेंयसी की वजह से रुड़की से हटाकर मेरठ में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर को ले जाना चाहते हैं, इसमें सारा खर्चा होगा और इमारत बनाने की बात होगी ,तो उसका आधार क्या एफिशेंयसी था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आधार यह है कि मेरठ कमिश्नरी है । वहां पर जितने अधिकारी हैं प्लानिंग के कमिश्नरी के वह बिजली के वितरण और इस्तेमाल के संबंध में सेक्शन और परामर्श देते हैं वह वहां पर उपलब्ध होते हैं । साथ ही कितनी ही मीटिंग्स होती हैं । और दूसरा कारण यह है कि मेरठ और गाजियाबाद दो जगहों को इंडस्ट्री बिजली को सबसे ज्यादा खपत इस सारे डिवीजन में करती है और उनको सुविधा प्रदान करने के लिये यह विचार किया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने जो एफिशेंयसी का आधार बताया और मेरठ के इर्द गिर्द कुछ बिजली की जरूरत ज्यादा बढ़ गयी है इसलिये वहां दफ्तर ले जाना चाहते हैं यह भी बताया, तो क्या उनके सामने जो रुड़की के पास जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के प्रोजेक्टस हैं और ज्वालापुर, सहारनपुर, देवबन्द, मुजफ्फरनगर में जो इंडस्ट्रियल एस्टट्स कायम हो रही है बिजली का वहां ज्यादा खर्चा है—इस ओर भी गया है और वह एरिया भी कागजी डेवलपमेन्ट और कागजी बिजली के आधार पर तरक्की पा रहा है तो उनका यह कहना कहां तक सही है कि चूंकि खर्चा नहीं बढ़ रहा है इसलिये वहां शिफ्ट कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

लेकिन केवल इतना ही कारण नहीं है और कारण भी होते हैं । जैसे कि रुड़की में कंस्ट्रक्शन डिवीजन बनना है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ रहा है । जहां हाइडेल का काम चल रहा है वहां कांस्ट्रक्शन डिवीजन को ला रहे हैं और कमिश्नरी का सेंटर मेरठ होने के कारण के सभी गिनाये गये स्थान उसी कमिश्नरी में आते हैं इसलिये वहां ले जा रहे हैं। कोई एक्सट्रा खर्चे की बात नहीं है केवल इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन —

यह सवाल एक दफा पहले उठ चुका है कि रुड़की से मेरठ को हटाया जाय और वह मुल्तवी कर दिया गया, उसका क्या कारण था कि पहले उठाया गया फिर मुल्तवी कर दिया गया और मेरठ में ले जाने के बाद क्या आपके पास कोई ऐसी स्कीम बनी है जिससे सब कर्मचारियों के, अफसरान को छोड़ कर, भी क्वार्ट्र्स बनाये जायं और उनके ऊपर भी खर्चा १० फीसदी से ज्यादा न पड़े ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसमें कारणों का प्रश्न नहीं है उस समय उसको पोस्टपोन कर दिया गया था जब मेनपोर स्थिति पैदा हो गयी तो उसको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री रियासत हुसैन---

जो रिपोर्ट चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, ने भेजी है उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोई खर्चा नहीं पड़ेगा तो सरकार सूचना किस बात को एकत्र कर रही है ? दूसरी बात यह कि जब दफ्तर को वहां ले जायेंगे तो छोटे-छोटे कर्मचारियों के लिये मकान की क्या व्यवस्था होगी क्योंकि आफिसरों के रहने के लिये मकान का तो प्रबन्ध आपने कर दिया, छोटे कर्मचारियों के लिये क्या प्रबन्ध होगा ?

डा० रामनारायण पांडेय---

प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में बताया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन---

सूचना किस बात की मांगी जा रही है जब मेमोरेन्डम में उन्होंने कह दिया कि कोई खर्चा नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---

सरकार यह कहां कहती है कि खर्चा होगा ?

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, खड़की में तो लाखों रुपये की इमारत बनी हुई है जिसमें कर्मचारी रहते हैं। तो क्या आप ऐसा इन्तजाम करेंगे छोटे कर्मचारियों के लिये कि जिससे उनको अपने रहने के लिये मकान पर अपनी तनख्वाह का १० फीसदी से ज्यादा खर्चा न करना पड़े ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमान् जी, प्रयत्न हमारा यह है कि जितने लोग खड़की में कार्य कर रहे हैं उन्हें खड़की के दूसरे सर्किल्स में उसी विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इसी प्रकार मेरठ में भी प्रबन्ध किया जायेगा। हर कर्मचारी का स्थानान्तरण वहां किया ही जाय ऐसी भी बात नहीं है।

*६-७- सर्वश्री टम्बेश्वर प्रसाद, हरीसिंह, रियासत हुसैन, रघुवीरसिंह, अहमद बक्श तथा श्रीमती रामरती देवी---

[स्थगित किये गये।]

*८-१०-श्री कल्पनाथसिंह---

[स्थगित किये गये।]

*११--सर्वश्री राधेश्याम शर्मा, काशीनाथ मिश्र, उग्रसेन तथा कृष्णा---

[स्थगित किया गया।]

*१२-१३--श्री झारखंडेराय---

[स्थगित किये गये।]

*१४--श्री बैजनाथ पांडेय---

[स्थगित किया गया।]

*१५--श्री रामसुन्दर पांडेय---

[स्थगित किया गया।]

*१६—श्री उल्फतसिंह यादव —

[स्थगित किया गया ।]

*१७—१८ श्री हरीशकुमार गंगवार —

[स्थगित किये गये ।]

प्रश्न का स्थगन

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रश्न १४ स्थगित प्रश्न दिखलाया गया है। हमारे जिले में ग्राम सभा स्तर से ब्लाक लेविल को और ब्लाक लेविल से सिंचाई विभाग को ट्यूब वेल लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये; लखनऊ में भी इस सम्बन्ध में बार-बार प्रार्थना-पत्र दिये गये परन्तु फिर भी यह प्रश्न स्थगित में दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो स्थगित हुआ है। मुझसे आप क्या चाहते हैं।

श्री बैजनाथ पांडेय—

श्रीमन्, दिसम्बर के अधिवेशन के खत्म हो जाने पर भी यह प्रश्न नहीं लिया गया और १९६६के प्रथम सत्र में भी इसका नम्बर नहीं आया और अब फिर यह स्थगित प्रश्न के रूप दिखला दिया गया है। यह प्रश्न हमारा मंत्री जी के पास है ट्यूबवैल लगाने के लिये....

श्री अध्यक्ष —

आप इतनी बात कह रहे हैं पर जब सवाल ही नहीं आया सदन के सामने, तब यह कैसे हो सकता है ?

श्री बैजनाथ पांडेय —

किया क्या जाय ?

श्री अध्यक्ष —

मैं पत्रावली देख लूं, तभी बतला सकता हूं।

श्री बैजनाथ पांडेय—

मंत्री जी भी देख लें और बतलावें कि यह कब आवेगा ?

श्री अध्यक्ष —

यह पन्द्रह दिन में आयेगा और इसे देख लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

एटा में ए० डी० जी० सी० की नियुक्ति

*१९- सर्वश्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), शारदानन्द (जिला सीतापुर), रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर), सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६५ में एटा जिले में ए० डी० सी० क्रिमनल तथा अस्थायी ए० डी० जी० सी० क्रिमिनल की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों की और कितने कितने समय के लिये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जुलाई, १९६५ में सर्वश्री चन्द्रहास अग्रवाल तथा सन्त कुमार बिसारिया की नियुक्ति एटा में एक साल के लिये क्रमशः ए० डी० जी० सी० क्रिमिनल तथा अस्थाई ए० डी० जी० सी० क्रिमिनल के रूप में हुई।

*२०.—सर्व श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, शारदानन्द, रक्षपाल सिंह, सूरजलाल गुप्त वकील तथा बालोजी अग्रवाल—

क्या न्याय मंत्री का ध्यान है कि दिनांक २३ नवम्बर, १९६५, का मुकदमा क्या है जिसमें माननीय जज ने श्री एस० के० बिसरिया, सरकारी वकील को न्यायालय के मानहानि तक दोषी ठहराया है और उनके व्यवहार की कटु आलोचना की है ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये बतावेंगे कि उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां।

असिस्टेंट सेशन जज, एटा, के आदेश दिनांक २३ नवम्बर, १९६५, की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२ पर)

सरकार जो कार्यवाही उचित समझेगी वह करेगी।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब श्री अग्रवाल की नियुक्ति परमानेन्ट पोस्ट पर हुई थी और श्री बिसारिया की टेम्पोरेरी पोस्ट पर हुई थी तो सरकार के दूसरे आदेश जो गजट नोटिफिकेशन दिनांक ४-६-६६ में हुए उसके द्वारा यह बदला क्यों गया है, बिसारिया को परमानेन्ट और अग्रवाल को टैम्पोरेरी कर दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—

उसकी वजह यह हुई कि श्री बिसारिया ने रिप्रेजेन्टेशन किया और उन्होंने यह बतलाया कि अग्रवाल की नियुक्ति जब हुई तो उन्होंने कुछ बातें छिपा ली थीं और जब तहकीकात की गई तो उससे मालूम हुआ कि वाकया यह है। उन्होंने कुछ बातें ठीक नहीं बताई थीं। इसको देखते हुए बिसारिया को परमानेन्ट कर दिया गया और अग्रवाल को टेम्पोरेरी कर दिया गया।

श्री रक्षपालसिंह—

नियुक्ति करने के लिये १० साल या जितना भी निर्धारित समय है उसे पूरा होते हुए यह क्यों किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—

मालूम यह हुआ कि उन्होंने २ साल के लिये बीच में अपनी प्रैक्टिस ससपेंड कर दी थी और कोई नौकरी कर ली थी। लेकिन पहले उन्होंने यह छिपाया लेकिन बाद में तस्लीम किया कि यह वाकया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने जजमेंट पढ़ा होगा जिससे जाहिर होता है कि कन्टेम्ट किया लेकिन क्या मंत्री जी यह अनुभव करते हैं कि ऊपर से मंत्री जैसे लोगों के प्रभाव के कारण कन्टेम्ट की कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—

नवम्बर, सन् ६५ में यह जजमेन्ट हुआ और २१ जुलाई, सन् ६६ को उनका टर्म खत्म होता है तो वह रिन्यू नहीं किया गया।

श्री दयाराम शाक्य —

इनका एनरोलमेंट कब हुआ और कितनी अवधि पूरी की ?

श्री सैयद अली जहीर —

अलग-अलग तफसील तो मेरे पास नहीं है । चन्द्रपाल जी के बारे में यह रिपोर्ट है कि इनका एनरोलमेंट प्लीडर की हैसियत से सन् ५३ में हुआ और ५४ में सर्टीफिकेट आफ प्रैक्टिस डिपोजिट कर दिया था । फिर इन्होंने अगस्त, ५६ में प्लीडरी शुरू की और ६२ में एडवोकेट हो गये ।

*२१—श्री चन्द्रपाल रावत (जिला बस्ती)—

[स्थगित किया गया ।]

सिंचाई डिवीजन, फतेहपुर, में सीमेंट का नीलाम

*२२—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता फतेहपुर डिवीजन, द्वारा मई या जून, १९६६ में कितना बोरी सीमेन्ट किस-किस रेट से नीलाम किया गया तथा नीलाम लेने वालों के अलग-अलग नाम व मात्रा क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

२,६५४ बोरी सीमेन्ट ९ रु० ५८ पैसा प्रति बोरी की दर से बेची गई । खरीदारों के नाम व मात्रा की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*२३—श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि २६ हजार बोरी सीमेन्ट जिसकी नीलामी की नोटिस उपरोक्त कार्यालय से जारी किया गया उसके कार्यालय में जमा रहने का क्या कारण है तथा वह विभाग के पास कब से पड़ा हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय —

सीमेन्ट रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण के लिये खरीदी गई थी ।

सीमेन्ट १९६२–६३ से १९६५–६६ की अवधि में खरीदी गई थी ।

श्री रक्षपालसिंह—

जैसा कार्यालय से पता लगा, १६,००० बोरी में से १२ या १३ हजार बोरियां अभी भी वहां पड़ी हुई हैं और बरसात बीत-सी चुकी है । फाइनेंशल हैन्डबुक में भी व्यवस्था है कि ऐसी सीमेन्ट स्टाक रेट पर जनता को दी जा सकती है जिससे वह नष्ट न होने पावे । तो क्या मंत्री जी उसे बाजार में बेचने के आदेश देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम तो खुद चाहते हैं कि लोग उसे खरीद लें । इसके लिये बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, कमिश्नर और डी० पी० ओ० सब को इलाहाबाद और कानपुर जिलों में भी सूचना दे रखी है कि उसे उठवा लें ।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं पब्लिक के लिये ८.५० रु० पर जानना चाहता हूं ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले २,६५४ बोरे भी पब्लिक को दी गई हैं। अब भी अगर प्लानिंग विभाग नहीं उठाता है तो अब पब्लिक के लिये ही है। रेट ९.५८ रु० ही रहेगा, बढ़ाने की बात नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

यह देखते हुए कि सिंचाई विभाग के हर डिवीजन में इस प्रकार की सीमेन्ट पड़ी है और नीलाम की जा रही है और लेने वाले बीच के लोग बाजार में पब्लिक को ऊंचे भाव में दे रहे हैं, मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह सीमेन्ट सीधे ही, बिना मिडिलमैन के, जनता को दी जाय ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

परिस्थिति ऐसी नहीं है। जितनी सीमेन्ट रुमये की कमी की वजह से बची है वह प्लानिंग विभाग को दी गई है। बीच में कोई ठेकेदार या मिडिलमैन नहीं है। जहां तक सिंचाई विभाग का सवाल है, कोई ब्लैकमार्केटिन्ग नहीं है। चोरबाजारी का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६२–६३ से ६५–६६ तक कितना सीमेन्ट आया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय —

६२–६३ में २,६९० बोरी, ६३–६४ में ५२२, ६४–६५ में बची हैं ५,०८३ और ६५–६६ में है ८,२६९।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

योजना किसने बनाई कि इतना सीमेन्ट बच गया, कौन इसका दोषी है और क्या इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि इतने दिनों तक यह सीमेन्ट काम के लायक रह सकेगी ? क्या जिसने गलत योजना बनाई उससे जवाब तलब किया जायगा क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्पति का दुरुपयोग हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय —

यह तो रामगंगा कैनाल के रिमार्डलिंग के लिये रखा गया था। इधर पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ गयी इस वजह से इसको बेचा गया।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस सीमेन्ट के बारे में बाजार में पब्लिसिटी कराने की कृपा करेंगे ताकि लोग उसको खरीद सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बाजार में उस सीमेन्ट को भेजने की जरूरत नहीं है, न पब्लिसिटी की जरूरत है। लोग वहीं से उसको ले जायेंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जब आप इतने आश्वस्त हैं कि लोग वहीं से उसको ले जायेंगे तो ६२–६३ की सीमेन्ट अभी तक क्यों बची हुई थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह सीमेन्ट तो सरकारी काम के लिये आयी थी। इसका स्टाक एक जगह नहीं था। अलग-अलग गोडाउन्स में रखी हुई थी। जब यह देखा गया कि यह काम नहीं होगा तो वहीं पर रोक दी गयी कि आगे इस्तेमाल की जायगी। लेकिन पैसे की जरूरत हो गयी, इसलिये उसको बेचे जाने के आर्डर जारी कर दिये गये।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिलों में विभाग की तरफ से क्या इस बात की सूचना पब्लिक को दे दी गयी है कि इस प्रकार सीमेन्ट उपलब्ध है, पब्लिक उसको लेना चाहे तो ले सकती है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सीमेन्ट तो देहात में पहुंचाने के लिये प्लानिंग विभाग को दिया गया था। मातहत दफतरों को इस बात की सूचना दे दी गयी थी और विश्वास है कि जल्द से जल्द यह सीमेन्ट उठा ली जायगी।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह सीमेन्ट वैगन्स में मंगाया गया था जो खराब हो गया था, इसलिये बेचा गया और दूसरे यह कि बड़े-बड़े व्यापारियों को बेच दिया गया जिन्होंने १५–१६ रुपया बोरी के हिसाब से बिजनौर में बेचा ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

सवाल कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। बड़े-बड़े व्यापारियों को तो बेचा नहीं मालूम होता। मेरे पास जो जो सूचना है उसमें तो १००–२००, १५०, २५० बोरी ही बेचा गया है।

*२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[स्थगित किया गया।]

*२५–२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[स्थगित किये गये।]

*२७—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

[स्थगित किया गया।]

कालागढ़ परियोजना

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ परियोजना के मजदूरों का जो संघर्ष मार्च, १९६५ में चला और उसका फैसला १४ मार्च को हुआ उस पर आज तक अमल क्यों नहीं हुआ ? अमल न होने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह मामला १९६६ में हुआ था न कि १९६५ में, जो फैसला हुआ उसके विभिन्न खंडों पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस फैसले में मजदूरों की क्या-क्या शर्तें मानी गई हैं ?

डा० रामनारायण पांडेय—

विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४–८५ पर)

*३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि उन शर्तों के ऊपर कार्यवाही न होने के कारण मजदूरों में दुबारा बेचैनी और असन्तोष दिन पर दिन बढ़ रहा है ? यदि हां, तो उनके रोकने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

शर्तों को लागू करने का यथासम्भव पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ समय की प्रगति से संघ को भी अवगत कराया जा रहा है। अतः मजदूरों में किसी प्रकार के असंतोष की सम्भावना न होनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

इसमें चौथी शर्त में कहा गया है कि वर्कचार्ज के वेतन का ३० प्रतिशत बढ़ाया जायगा उसमें एक पत्र का भी हवाला दिया गया है; तो क्या मंत्री जी उस पत्र को सदन की मेज पर रखेंगे क्योंकि उत्तर में लिखा है कि उस पत्र के अनुसार ३० प्रतिशत वेतनवृद्धि नहीं हो सकती ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह मेज पर रख दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी ने कहा कि उसके विभिन्न खंडों पर विचार किया जा रहा है, तो क्या मंत्री जी बतायगे कि वे खंड क्या हैं और उस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

रामगंगा परियोजना मजदूर संघ से हुये फैसले के खंड इस प्रकार हैं :

१—यह तय किया गया कि रामगंगा परियोजना मजदूर संघ कालागढ़ (उ० प्र०) के रजिस्ट्रेशन को मानते हुये संबंधित अधिकारी को सिफारिश की गई है कि नियमित रूप से संघ को मान्यता दी जाय। जब तक नियमित रूप से मान्यता स्वीकार हो कर न आ जाय तब तक पिछले वर्तमान व भविष्य में सभी पत्रों को उक्त संघ के नाम से संबोधित किया जाय तथा सभी पत्रों का उत्तर दिया जायगा।

२—वेतन कर्मचारियों का जो पिछले माह का रुका हुआ है उस की भुगतान आज ही किया जायगा।

३—मुख्य परियोजना अभियन्ता ने आश्वासन दिया कि भविष्य में क्वार्टर की जमानत नहीं काटी जायगी। यह भी निश्चय हुआ कि क्वार्टर अलाटमेंट की एक प्रतिलिपि उक्त संघ के प्रधान मंत्री को दी जावेगी। उपर्युक्त संघ को अधिकार होगा कि क्वार्टर का कब्जा लेते समय अपने को आश्वासित कर ले कि क्वार्टर का सब फिटिंग आदि ठीक है तथा क्वार्टर छोड़ते समय यूनियन का प्रमाण-पत्र फिटिंग आदि के विषय में लेने पर ही वेतन का अन्तिम भुगतान किया जाय। इसी हालत में क्वार्टर की फिटिंग आदि संपत्ति की कमी होने पर संघ उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो यह पूछ रहे थे कि आप कौन से विषय पर विचार कर रहे हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वही मैं पूरे को पढ़ कर बता रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी पांचवें खंड की ओर ध्यान देंगे जिस में कहा गया है कि २२ केसेज ऐसे थे जिन को सेवा से मुक्त कर दिया गया था और १४ केस ऐसे थे जिन पर विचार कर लिया गया था और आठ केसेज पर कोई फैसला नहीं किया गया था ? तो इन केसेज का फैसला कब तक हो जायगा और अब तक क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उन ८ की बात तो यह है कि वे संघ को रिप्रेजेन्ट करने वाले थे, वे ही नहीं आये। उनमें से ८ तो इस तरह से चले गये। १ आदमी का ३ महीने से ज्यादा का मामला था। एक आदमी का नाम ही गलत था। उस नाम का आदमी ही नहीं था। उसका कोई ट्रेस ही नहीं हुआ और ३ आदमी सिर्फ एक महीने के लिये रखे गये थे, ३ आदमी रेग्युलर के थे। बाकी ६ केसेज ऐसे हैं जो बराबर सर्विस में हैं। एक उनमें से रेग्यूलर एम्प्लायमेंट का था इसलिये मजदूर संघ के परव्यू में नहीं। अतः इस प्रकार से २२ आदमी हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप माननीय मंत्री जी से वे अंश भी पढ़वा दीजिये जो महत्वपूर्ण हों।

श्री अध्यक्ष—

आपको तो मालूम ही होगा, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री ऊदल—

२० कर्मचारियों को जो हटाया गया है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके बारे में उनको क्या कहना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उन्हीं २२ आदमियों के बारे में तो मैं पढ़ रहा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके नाम भी निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इसमें बहुत समय लग जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो वेतन के संबंध में आश्वासन दिये थे वे कब तक पूरे हो जायेंगे ? उसकी अवधि बताने की कृपा करें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वेतन तो दे दिया गया है। कोई एरियर शेष नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

वहां की मजदूरों की एक मांग यह भी थी कि वहां का जो मौजूदा इन्जीनियर है वह दुर्व्यवहार कर रहा है। उनके खिलाफ भी शिकायतें थीं। उसके बाद भी मजदूरों ने सरकार को एक पत्र लिखा कि जो आश्वासन मिला था उसमें प्रमुख आश्वासन नहीं माना जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा आश्वासन था जिसके बारे में मजदूरों ने फिर से सरकार को लिखा था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह तो ८ सूत्री मांग थी। उसमें यह दुर्व्यवहार वाली बात नहीं आती।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस ८ सूत्री मांग में कुछ आश्वासन दिये गये थे लेकिन वे आश्वासन पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने फिर सरकार को लिखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कब तक पूरे हो जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल एक रह गया है, बिजली और पानी देने की बात, मुफ्त में, उस पर भी विचार हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ७वीं वाली बात जिसमें शफाखाना खोलने की बात है, वह भी वहां पर अभी नहीं खुला है ? लगभग ४ महीने हो गये हैं न उनको बिजली मिल पायी है, न पानी और न ही वहां पर शफाखाना ही खुल पाया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बहस बहुत हो रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कब तक निर्णय हो जायगा ? साथ ही साथ अस्पताल जो खोलने का वायदा किया था और अभी तक नहीं खोला गया, वह कब तक खोल दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी वह बाकी है। डाक्टर और दवा की व्यवस्था होने के उपरान्त उसकी भी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, इसमें २ सवाल हैं। एक अस्पताल खोलने की और दूसरी बिजली और पानी देने की व्यवस्था है। २२ कर्मचारियों के रखने का सवाल है। वहां पर काफी मजदूर और जनता रहती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक वहां पर इनकी सुविधा हो जायेगी और कब तक अस्पताल खुल जायगा। इसके लिये कोई निश्चित समय बताने की कृपा की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२२ आदमियों को फिर से रखने का सवाल इस प्रकार से है। इनमें ६ आदमी अभी भी काम कर रहे हैं। २ व्यक्ति ३ महीने के अन्दर यानी दिसम्बर से मार्च तक हड़ताल के बीच निकाले गये, उनको रखा जा रहा है। बाकी ३ आदमी रेग्यूलर इम्प्लायमेंट में थे इसलिये यह उस शर्त में उसके अन्तर्गत आते नहीं थे और उनका प्रश्न इस से भिन्न था। बाकी जो थे एक महीने के लिये ही केवल तीन आदमियों की नियुक्ति हुई थी अतः उस महीने के समाप्त हो जाने के बाद उनकी न शर्त थी, न उनके रखने की बात थी। एक आदमी जिस का नाम भी गलत था वह ट्रेस ही नहीं हुआ और दूसरे १४ दिसम्बर ६५ के पहले एक आदमी की सर्विसेज टर्मिनेट हो चुकी थी इसलिये उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। बाकी ८ आदमियों के मामले जो संघ को प्लीड करने थे इसके सामने उन्होंने उसके सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी नहीं ली और इसलिये हमें उन पर विचार करने की न कोई आवश्यकता हुई और न कोई उस पर विचार किया गया।

श्री ऊदल—

अस्पताल की बहुत-सी आवश्यकतायें हैं तो उसका एक निश्चित टाइम मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक अस्पताल वहां खुल जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

बताया गया कि सन् १९६६ के मार्च के बाद से यह बात है कि अस्पताल के लिये वायदा कर लिया है उसको जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग, दवाइयां, कम्पाउन्डर, डाक्टर का सवाल है, एकदम तो सब नहीं हो सकता था।

श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

८ बातों में से अभी ४ बातें अधूरी ह, इस बात को देखते हुये कि वहां मजदूरों में दिन-ब-दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्या मंत्री जी प्रयास करेंगे कि उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके उन को तसल्ली और इतमीनान दिलायें कि किसी निश्चित समय के अन्दर उन की सारी बातें पूरी कर देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम तो हमेशा ही तसल्ली के लिये हैं। कोई असंतोष है ही नहीं।

सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक चीज जानना चाहता था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कल निवेदन किया था, मद नम्बर ८ के समय मुझसे प्रश्न पूछा जाय तो अच्छा हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं। जब हम को नोटिस मिला था प्रारम्भ में, तो जहां तक याद है १२ अगस्त तक का प्रोग्राम था और उसमें दिया हुआ था कि ११ बिल्स होंगे। सेक्रेटेरियट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने श्रीमन् को चिट्ठी लिखी थी और माननीय बनारसीदास के पास भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि उसको इस सत्र में अवश्य ले लेंगे। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि क्या कार्यक्रम होगा। कृपा होगी यदि बता दिया जाता कि सरकार का अब क्या विचार है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय त्रिपाठी जी, कृपा नहीं होगी। यह आप का अधिकार है कि कार्यक्रम आप जानें।

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने आप को आश्वासन दिया था वह सदन में नहीं हैं। अब मैं किस से पूछूं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक बात, श्रीमन् और कहूंगा कि जब कार्यक्रम निश्चय किया जाता है तो मुझे बड़ा दुख है कि आप अपना प्रभाव इस्तेमाल नहीं करते। कार्यक्रम निश्चित करते समय क्या कार्यक्रम सदन के सामने है वह आप का कर्तव्य है कि आप देखें। लेकिन मैं देखता हूं कि यदि मंत्री महोदय के इशारे पर कार्यक्रम निश्चित हो तो हम लोगों के लिये कोई स्थान नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आप बतायें किस नियम के अन्तर्गत सदन जब बैठ जाय तब हमारा क्या कार्यक्रम होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, तब तो मैं कुछ मात्रा में सामने आ जाऊंगा। लेकिन जब पहले कार्यक्रम निश्चित होता है उस समय मैं किंचित् मात्र भी सामने नहीं आता।

[श्री अध्यक्ष]

इस समय तो सवाल दूसरा है। इस समय तो केवल यह प्रश्न है कि सरकार कौन सा कार्य ले रही है। अभी हमारे सामने पूरा सत्र मौजूद है। उसके संबंध में विचार हो रहा है। आप अपने उठाये हुये विषय के संबंध में पूछ लीजियेगा संसदीय मंत्री से।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

एक जानकारी आप से चाहता हूं। आप ने कहा कि माननीय बनारसी दास नहीं हैं इस समय सदन में। तो बनारसी दास जी अगर ले जायं तो क्या सदन बन्द हो जायगा? उनकी जगह कोई दूसरा आदमी होगा उस से पूछिए।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। साथ ही साथ नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें भी आयी हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप राजी हों और होना चाहिये, तो जो अविश्वास का प्रस्ताव एजेंडा के आइटम १२ पर है पहले उस पर निश्चय हो जाय, उसके बाद ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जाय और नियम ५२ भी उसके बाद में ले लूंगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की घटना पर नियम ५२ है, पहले उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे रोकता नहीं हूं। बाद में उसे मैं ले लूंगा।

छितौनी बांध के टूट जाने के कारण जिला देवरिया व गोरखपुर के ग्रामों के किसानों में फैले हुए असन्तोष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

छितौनी बांध जिसकी लम्बाई १४ मील है, बड़ी गंडक के दाहिने किनारे पर गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में बना हुआ है। यह बांध नदी की बाढ़ के पानी को रोकने के लिये बनाया गया था। १९६५ की बाढ़ के बाद यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि बांध का सबसे खतरनाक स्थान उसके मील ३ और ४ के बीच में हो सकता है। इस बांध की सुरक्षा के उपायों पर विचार करने के लिये एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के चेयरमैन हैं, बनाई गई। यह मामला सिंचाई अनुसंधान इंस्टीट्यूट, रुड़की को भी भेजा गया और उन्होंने दो ठोकरों को बनाने की सिफारिश की परन्तु बाद में २०-२-६६ को यह तय हुआ कि केवल एक ही ठोकर मील ३.३ पर बनाई जाय जिसकी लागत का अनुमान ३८.८३ लाख रुपया था मगर बाद में उप कमेटी द्वारा यह सिफारिश की गयी कि मील ३-६-४५० की ठोकर को पीछे की ओर बढ़ा दिया जाय और उस स्थान पर बांध को भी पीछे हटाया जाय। इस कार्य की अनुमानित लागत ३८.५२ लाख रुपया आती थी। यह कार्य भी करना संभव नहीं था क्योंकि ऐसा करने से, ग्राम बड़िहारी की आबादी तथा काश्त की भूमि लेनी पड़ती जिसके लिये ग्रामवासी तैयार नहीं थे। ऐसी अवस्था में एक्सपर्ट कमेटी मौके पर गई और यह तय किया गया कि इतना व्यय करने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि बांध फिर नहीं टूटेगा इसलिये कोई बड़े काम करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव यह तय हुआ कि बांध को पानी के कटाव से बचाने के लिये तार की जाली में पत्थर भर कर डाले जायं।

छितौनी बांध के टूट जाने के कारण जिला देवरिया व गोरखपुर के ग्रामों के किसानों में फैले हुए असंतोष के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

जून, १९६६ के तीसरे सप्ताह में लगातार वर्षा के कारण नदी का बेग बढ़ने लगा और मील ३ और ४ के बीच में कटाव आरम्भ हुआ। इसको रोकने के लिये पत्थर के क्रेट डाले गये। इसके अतिरिक्त लोहे की जालियों में पत्थर के क्रेट भी डाले गये परन्तु कटाव रोकने में सफलता नहीं मिल सकी। ३ जुलाई, १९६६ को लगभग १०० फीट की लम्बाई में बांध में कटाव शुरू हो गया। ४-७-६६ को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने मौके का स्वयं निरीक्षण किया और क्रेटों को तेजी से डालने के आदेश दिये और कुछ पेड़ों की ठोकरों को भी डालने को कहा। इन तमाम प्रयत्नों के बावजूद कटाव को न रोका जा सका। १२ जुलाई की शाम को पानी के बहाव में काफी तेजी आ गयी और लगभग ७ बजे बांध टूट गया और खेतों की ओर पानी बढ़ने लगा। रात के १० बजे कटाव की लम्बाई २०० फीट हो गयी। १५-७-६६ को कटाव की लम्बाई लगभग २ फर्लांग हो गयी।

बांध की हालत की सूचना पहले से ही जिला अधिकारियों को दे दी गयी थी जिसके कारण उन्होंने ग्रामवासियों की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध कर लिया था जिससे कि जन या पशु किसी की भी क्षति नहीं हुई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री का ध्यान जे० पी० गुप्ता, चीफ इंजीनियर के प्रेस स्टेटमेंट की तरफ गया है कि अगर वह चीफ इंजीनियर होते तो इस बांध को वहां बनाने की राय कभी नहीं देते और अब इस बांध के कटाव को रोकने का कोई तरीका नहीं है? यदि यह ठीक है तो जिन चीफ इंजीनियर ने इस बांध को बनवाया है और इस प्रकार दो करोड़ रुपये की बरबादी की है, इसको सामने रखते हुये क्या सरकार एक कमेटी मुकर्रर करेगी जो इस सारे मामले की जांच करेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इसमें कोई कमेटी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, छितौनी बांध का बड़ा लम्बा इतिहास है। १९५३ में बनना शुरू हुआ, १९६५ तक बनता रहा। १ करोड़ १५ लाख रुपया लगा। १९६४-६५ की मरम्मत में सरकार के आंकड़ों के अनुसार ५० लाख रुपया लगा। यह बांध मिट्टी का बना हुआ है। पहले पहल १४ लाख की लागत का बना था। मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जिन चीफ इंजीनियर की यह राय है कि यह गलत जगह बना हुआ है, तो जब टेक्निकल कमेटी के सामने चीफ इंजीनियर ने इस बात को कहा कि इस बांध की मरम्मत नहीं हो सकती, दूसरा कोई बांध बनाया जाय, ४० लाख का टोटल बिलकुल बेकार हो रहा है तब किस के हुक्म से २८ जून से १२ जुलाई तक पत्थर के क्रेट डाले गये?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक संभव हो उसको क्षति से रोकने के लिये थोड़ा सा रुपया इस काम के लिये रखा गया था। तो उस हद तक जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने जो मुनासिब समझा उसको रोकने के लिये वह किया।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

जिस इंजीनियर की लापरवाही से यह हुआ उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—

इसमें लापरवाही का कोई सवाल नहीं है।

श्री उग्रसेन--

बहुत बड़ा सवाल है। सिंचाई मंत्री बराबर इसको जानते रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, हमारा उद्देश्य यह है कि छितौनी बांध को ठीक कर लिया जाय। तो यह सब कहने से तो काम बनेगा नहीं।

श्री उग्रसेन--

जब तक सिंचाई मंत्री ठीक नहीं होंगे, छितौनी बांध ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

सदस्यों का यह कहना है कि जिन्होंने पहले इस बांध को बनाया था उसमें लापरवाही की कोई बात थी। और अगर थी, तो सरकार उस संबंध में क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल--

जब शुरू में उन्होंने बनाया तो जैसा कि यहां प्रश्न उठा था, टेक्निकल आदमियों की अलग-अलग राय थी। कुछ लोगों की राय थी कि इस स्थान पर न बनाया जाय। लेकिन उस वक्त उस इलाके को बचाने के लिये एक साधारण सा बांध उस स्थान पर बना दिया गया और उसके जरिये से ६-७ हजार एकड़ जमीन की रक्षा की गई। लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि अगर उसको और रोका जायेगा तो जितने की जमीन नहीं है उससे कहीं ज्यादा रुपया खर्च होगा इसलिये इसको ज्यादा रोकना ठीक नहीं समझा और न कार्यवाही करना उचित समझा गया।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मैं चैलेंज करता हूं कि इसकी मंत्री जी इंक्वायरी करा लें और अपने यहां के इंजीनियरों को बुला लें, यह जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि मंत्री जी कहते हैं कि जो राय दी गई थी वह भिन्न-भिन्न थीं, हमने एक राय को मानकर ठीक करने की कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हो सका।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने पत्थर के क्रेट डालकर ठीक करने की कोशिश की लेकिन अच्छी राय यह थी कि ठोकर लगाई जाती तो वह ठीक रहती। वहां जो नदी की भयानकता है उसको ठोकर के जरिये पानी को ठीक से बहाया जा सकता था। लेकिन बालू की भीत में ऊपर पत्थर डाल कर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिये सिंचाई मंत्री से लेकर जितने अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक कमीशन बिठाया जाये। क्या इसके लिये मंत्री जी तैयार होंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, यह तो राय का प्रश्न है, इसमें भी वही बात आती है। अभी माननीय सदस्य ने ठोकर के लिये कहा है, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जवाब हो जाने दीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, सवाल तो यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो रुपया इस तरह से बहाया गया है क्या उसके लिये सिंचाई मंत्री जी जांच कमीशन बिठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब दे रहे हैं, उसे हो जाने दीजिये । फिर आप सवाल कर लीजिये ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ठोकर का प्रश्न भी उसी तरह से आया । आज उसके बारे में भी जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं, बांध को बचाया जा सकेगा या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है इसलिये अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है कि ठोकर बनाई जाये या नहीं । इसलिये जब तक बरसात समाप्त नहीं होती और फिर से इसे दुबारा रिसर्च के लिये नहीं भेजा जाता है तब तक कुछ कहना सम्भव नहीं होगा ।

श्री मंगल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह सदन के सामने है और इंजीनियर महोदय ने जो अपना बयान प्रेस सम्मेलन, गोरखपुर में दिया है, उसको आप पढ़कर सदन को सुना दें । इंजीनियर महोदय ने कहा है कि यह बांध नदी के पेटे में शुरू में ही बांधा गया । मैं जानना चाहूंगा कि अगर नदी के पेटे में यह बांध बांधा गया जिसकी गारंटी इंजीनियर नहीं लेना चाहते हैं तो इतनी बड़ी रकम बर्बाद क्यों की गई ? इसकी जिम्मेदारी इंजीनियरों पर है या सरकार के ऊपर, इसको बताने की कृपा करें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसमें मुख्तलिफ-मुख्तलिफ रायें आती रही हैं और उनके अनुसार आप सबके आदेश पर उस पर हरसाल कार्यवाही करनी पड़ी और उसकी रक्षा करने का हर सम्भव प्रयत्न करना पड़ा और उस पर अभी हाल में एक लाख रुपया इस आशा में लगाना पड़ा कि शायद यह बांध बच जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आप भी वकील रह चुके हैं । आप अच्छी तरह जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में जांच कमीशन की आवश्यकता होती है । आप जानते हैं कि जब विभिन्न अधिकारियों की रायों में परस्पर मतभेद हो जाए तो जांच की आवश्यकता हो जाती है । इस बारे में मेरा निश्चित मत है कि १६० लाख रुपया आपके इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ओवरसियर और ठेकेदार मिल कर खा गये हैं और उस पर भी आपके इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट की इस बारे में भिन्न भिन्न राये हैं । ऐसी परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या आपत्ति है जांच कमीशन बिठाने में, जिससे भविष्य में इस प्रकार से राज्य सरकार का रुपया नष्ट न हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इस में जांच कमेटी बैठाने की कोई आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जहां पर इतना रुपया लगा वहां इतने दिनों तक उस बांध ने सेवा भी की है और हर साल इसके ऊपर इसी

[डाक्टर रामनारायण पाण्डेय]

सदन और बाहर के सारे दबाव पड़ते रहे कि इस भूमि की रक्षा की जाए तथा इसके लिये जो भी प्रयत्न सम्भव था किया गया सरकार की तरफ से ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने इसी सदन में जवाब दिया था जब कि पार साल बाढ़ में यह बांध टूटा था, असेम्बली की प्रोसीडिंग्स निकलवा कर देख लिया जाय, पारसाल भी इसी स्थान पर से उसी गांव में बांध टूटा था, २ फर्लांग में और हजारों गांव उससे तबाह हो गये थे । उसी प्रकार से वहीं पर से, २ फर्लांग पर से, इस बार भी बांध टूटा है और वह हजारों गांवों को तबाह कर रहा है । तो इस घटना पर उस समय माननीय मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अब आगे से इसे ठीक से हमारे इंजीनियर देखेंगे और हमने समुचित इन्तजाम कर लिया है और अब आगे से टूटने की कोई बात नहीं होने पायगी । परन्तु श्रीमन्, फिर इस साल उसी जगह पर, उन्हीं स्थानों पर वह बांध टूट गया और २ फर्लांग का वह रास्ता बनाकर सारे गांवों को तबाह कर रहा है । तो जब आपके अधिकारी स्थिति को आप से छिपा रहे हैं और आपके द्वारा इस सदन को गुमराह करते जा रहे हैं, पार्लियामेन्ट्री डेलीगेशन भी मौके पर जाकर देख चुका है, सभी की राय है कि इसमें बड़ा भारी गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो क्या आप इन सबकी जांच के लिये एक जांच कमेटी बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

मैं तो इस बात को बराबर कह चुका हूं और इसके अलावा आपने जो करप्शन या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इसके सिलसिले में कोई यदि विशेष आपत्ति आप लोगों को हो तो लिखकर दे दीजिएगा मैं देखवा लूंगा ।

श्री दशरथप्रसाद (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, विगत ४ तारीख को चीफ इंजीनियर महोदय मौके पर गये थे उन से सारी बातों को जानकर, उनसे बात करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि १५० लाख रुपया जो खर्च हुआ है यह गवर्नमेन्ट की आंखों में धूल झोंकी गयी है । जब-जब मरम्मत कराने को कहा गया है कभी भी सूखे के समय में इस बांध की मरम्मत नहीं की गयी है । हमारे दो आदमियों के बीच में यह झगड़ा चलता रहा है । तो बांध दो आदमियों के झगड़े में टूटा, एक टेकनिकल हैंड था और दूसरा नान-टेकनिकल हैड । टेकनिकल हैड कहता था कि नान टेकनिकल आदमी की राय गलत है और नान-टेकनिकल कहता था कि टेकनिकल आदमी की राय गलत है । इस झगड़े में वह बांध कटता गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय दशरथप्रसाद जी । आप सवाल करें ।

श्री उग्रसेन--

यह उसी क्षेत्र के एम० एल० ए० हैं, इन्हें सवाल करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

वही तो कह रहा हूं कि कृपया सवाल कीजिये ।

श्री दशरथप्रसाद--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इंजीनियर का कहना है....

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये ।

श्री दशरथप्रसाद—

मेरे दो शब्द पहले सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत आप केवल प्रश्न कर सकते हैं, आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री दशरथप्रसाद—

क्या सरकार जिस समय से इस बांध का निर्माण हुआ है तब से आज तक की सारी गड़बड़ी की इन्क्वायरी के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से बैठ जाइये, नहीं तो मुझे इसे समाप्त करना पड़ेगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, छितौनी के बांध के बारे में पहले भी चर्चा कई बार हो चुकी है और आज भी हो रही है । समाचार पत्रों में भी विभिन्न प्रकार के लेख और सुझाव दिये जा चुके हैं । छितौनी बांध इसके पहले भी डैमेज हो चुका है । आज भी मौके पर टूटा है जिसकी चर्चा नरसिंह नाराण पांडेय जी ने की । इन सब बातों को दिमाग में रखते हुये क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने या इस विभाग ने भारत सरकार के या कुछ और बांध एक्सपर्ट्स से राय ली थी कि इसकी रोकथाम कैसे की जाय और क्या उन्होंने कोई सुझाव दिया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भारत सरकार से इस पर राय ली गयी थी । वाटर वावर कमीशन के चेयरमैन महोदय ने स्वयं जाकर उस बांध को देखा । उसके बाद उस माडेल को जांच के लिये दिया गया । उन्होंने अपने प्रस्ताव दिये और उन सुझावों को यहां की एक्सपर्ट्स कमेटी ने भी स्वयं जाकर साइट पर देखा और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि वहां पर बनने के बाद बांध की गारन्टी आगे भी की जा सकती है, यह संदेहात्मक है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं दो तीन प्रश्न करूंगा और सरकार शान्तिपूर्वक उनका जवाब दे देगी तो मैं आज के लिये सदन से चला जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो शान्ति से कहिये ।

श्री उग्रसेन—

हम तो शान्ति से कहेंगे ही क्योंकि हमारा पांसा ऊंचा है । हां, तो क्या यह सही कि जब केन्द्र के बिजली आयोग की तकनीकी कमेटी ने यह जांच की, अधिकारियों से बात की और बांध को स्वतः जाकर देखा और एक रपट प्रदेशीय सरकार को यह दी कि बांध

[श्री उग्रसेन]

बिलकुल नक्शे से उड़ा दिया जाय और १ करोड़ १५ लाख रुपया हमको दिया जाय ताकि हम उस बांध को नये सिरे से ठीक करवायें। सरकार ने कहा कि हमारे पास रुपया नहीं है, लेकिन १ लाख बोल्डर्स दे सकते हैं। क्या यह सही है कि सरकार ने यह किया कि १ लाख रुपये का बोल्डर्स देना स्वीकार किया? ९ जुलाई को वहां पर बोल्डर डाले गये। उनको रोकने के लिये इनके पास गोदाम में जाली नहीं थी। इनके पास केवल ५ मन जाली थी। ५ मन जाली को डालकर इन्होंने समझा कि यह बांध रुक जायगा और बाकी रुपया सब भ्रष्टाचार में चला गया। तो क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की राय इन्होंने स्पष्टतया नहीं मानी और जानबूझकर उत्तर प्रदेश की जनता को डुबो दिया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है यह बात सही है कि यह बांध गलत जगह पर बना हुआ है। यह बांध नदी के पेटे के अन्दर है, यह बात सत्य है। यह बांध शुरू में ही गलत जगह पर बन गया। इस बांध के प्रभाव में केवल २१ गांव ७ हजार एकड़ जमीन के हैं। यह जमीन उस लेविल से नीची है। इसका जो लेविल है वह उस बांध के लेविल से नीचा है जिससे पानी पहुंच जाता है। उसके पानी का प्रभाव इस जमीन तक पहुंचता है तो नीची होने के कारण यह जमीन सदा पानी में रहेगी। जब तक यह बांध उस पेटे के अन्दर बना हुआ तो उसकी मजबूती वैसी नहीं हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी ली जा सके।

श्री उग्रसेन--

केन्द्रीय सरकार की बात क्यों नहीं मानी और उनको रुपया क्यों नहीं दिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वह तो देखने की बात है कि गांवों की डूब के बाहर बांध बनाने से क्या लाभ है।

श्री उग्रसेन--

सरकार के गोदाम में जाली नहीं थी यह कहां तक सत्य है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह मैं इस समय नहीं बतला सकता हूं। पता लगाकर बताया जा सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

इस बात को देखते हुये कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा केवल सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण और उपेक्षा की वजह से पानी में बह गया जिसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री के ऊपर आयद होती है, तो क्या सिंचाई मंत्री जी इस्तीफा देंगे और स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री का उदाहरण उपस्थित करेंगे?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री राजदेव--

क्या सरकार को मालूम है कि पिछले साल सिंचाई विभाग ने अपने पास से १० लाख ईंटा लगाकर इसको बचाया था लेकिन इस साल इंजीनियर महोदय की लापरवाही के कारण वहां पर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पानी में डूब गई और इसकी सारी जिम्मेदारी इंजीनियर के ऊपर है कि जाड़े के सीजन में वह आराम से बैठे रहे और जब इस तरह से बांध टूट गया और जनता में तबाही आई तो उनको पता चला? तो सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष--

वह यह बात कह रहे हैं कि आप जांच कराने के लिये तैयार हैं या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जांच किस बात पर कराई जाय, यह मेरे समझ में नहीं आया।

श्री रियासत हुसैन--

इस बांध के संबंध में जो चीफ इंजीनियर के शब्द हैं वे इस प्रकार हैं :

"Had I been the Chief Engineer, when the bund was constructed In 1953, I would not have undertaken its construction in the meander belt because it can never afford to give permanent protection to the locality, even if we spend any amount, and there would be no end to recurring expenditure on repairs.

तो इस बात को सामने रखते हुए जब इस बांध में १ करोड़ १५ लाख रुपया लगा है सरकार को कौन सी दिक्कत है कि वह इस के लिये इंक्वायरी नहीं बैठाना चाहती ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इंक्वायरी वहां करायी जाय जहां कोई गोलमाल का मामला हो। जो आज के मुख्य अभियन्ता हैं उन का यह सोचना सही हो सकता है, लेकिन उस समय के जो अभियन्ता थे उन्होंने किसी बदनीयती से यह काम किया यह सोचना सही न होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब यह समाप्त हुआ। नियम ५२ के अन्तर्गत विषय पर २५ मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिये।

जिला कारागार, आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में राजनीतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य की प्रतिलिपि हम को प्राप्त नहीं हुई जो कि माननीय मंत्री जी देने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या आप चाहते हैं कि यह आज स्थगित कर दिया जाय। कल आप को प्रति मिल जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तो कल ही ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह कल के लिये स्थगित हुआ।

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नानार्थियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, श्रावण मास में बाहर से एक बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार आते हैं। इस वर्ष श्रावण में सोमवती अमावस्या पड़ने की वजह से पहले की अपेक्षा ज्यादा यात्री आये और आने वालों की संख्या दो तीन लाख अन्दाजी गयी है।

इधर हरिद्वार में कई दिन से सूखा मौसम रहा और १७ व १८ जुलाई, १९६६ की रात में बड़ी गर्मी थी। हरि की पैड़ी के प्लेटफार्म पर और आस पास खुली जगह पर बहुत से यात्री सोये हुए थे। १८ जुलाई की सुबह ५.३० बजे एकाएक जोर से बारिश होनी शुरू हो गयी। जिस गली में दुर्घटना हुई वह लोअर मार्केट से नाई सोटा और हरि की पैड़ी को मिलाती है और धर्मशालाओं और अन्य ठहरने के स्थानों से सब से करीब है। उक्त गली में ढाल है और यह गली ज्यादा से ज्यादा १३ फीट चौड़ी है। इस गली में से हर की पैड़ी पर नहाने जाने वालों की भीड़ पहले से ही गुजर रही थी कि एकाएक बारिश के आने से यात्रियों में भगदड़ मच गयी और लोग बचने के लिये इधर उधर भागने लगे। इस स्थान पर काफी फिसलन हो गयी थी और कहा जाता है कि ढलान पर एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। पीछे आने वालों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पीछे से भीड़ के रेलों के कारण वह खुद गिर गये। दूसरी औरतें भी गिरीं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गये। इस घटना में १७ व्यक्ति तत्काल मर गये जिनमें १३ औरतें, एक आदमी और १ लड़का और दो बच्चे थे। यह सब कुछ ही मिनटों में हो गया।

पुलिस ने जो ड्यूटी पर तैनात थी फौरन ही स्थिति पर काबू किया और सामान्य स्थिति कायम कर दी। सूचना प्राप्त होते ही हरिद्वार के मजिस्ट्रेट और सर्किल पुलिस आफिसर घटनास्थल पर पहुंच गये। लाशें सेवा समिति के दफ्तर में भिजवा दी गयीं। १७ में से १४ लाशें पहचानी गयीं और आवश्यक कार्यवाही के बाद उन्हें उनके संबंधियों को सौंप दिया गया। दो स्त्रियों व एक बच्चे की शिनाख्त न हो सकी और उन्हें सेवा समिति को दे दिया गया।

टेलीफून से समाचार मिलते ही जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गये और उन्होंने हरिद्वार नगरपालिका के अध्यक्ष, सिटी कांग्रेस के प्रेसीडेंट, सेवा समिति व गंगा सभा आदि संस्थाओं के कार्यकर्ताओं व अन्य व्यक्तियों से मालूमात की। इस घटना की मजिस्टीरियल जांच के लिए श्री बी० एन० राय, ए० डी० एम० (ई) सहारनपुर को नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने जांच आरंभ कर दी है। नगर की स्थिति सामान्य है।

"पायनियर" अखबार के एक फोटोग्राफर के साथ पुलिस द्वारा किये गये तथाकथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

इस विषय में लखनऊ के जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गयी थी। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि २१ जुलाई, १९६६ को सवेरे ९-२५ बजे के लगभग जब कि रोडवेज वर्कशाप, टेढ़ीकोठी से बसें शहर में चलाने के लिये निकाली जा रही थीं तो वहां कुछ आदमी जमा हो गये। एक फोटोग्राफर भी वहां आ पहुंचे। बसों को बाहर आसानी से निकालने जाने के मतलब से पास ही तैनात पी० ए० सी० की टुकड़ी के कमांडर ने वहां पर इकट्ठा भीड़ को, जिसमें उक्त फोटोग्राफर भी थे, पीछे हट जाने को कहा। इस बात को फोटोग्राफर ने बदसलूकी समझा और कम्पनी कमांडर से गर्मा-गर्मी की बातचीत की। इसी समय एक डी० एस० पी० और एक मैजिस्ट्रेट आ गये और और बसों के निकल जाने के बाद फोटोग्राफर से बात

को ओर समझाया कि कम्पनी कमांडर का निर्देश बिलकुल उचित था और इसमें नाराज होने को कोई बात नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि फोटोग्राफर को मारा गया या धक्का दिया गया अथवा उसके कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच की अदालतें एक दिन के लिए भी बन्द नहीं हुई हैं। मुकदमों की सुनवाई चल रही है और नये मुकदमे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने दायर किये जा रहे हैं। यह सही नहीं है कि अपीलें जिनकी मियाद खत्म हो रही है या खत्म होने वाली थी उनको अदालत में नहीं लिया गया या नहीं लिया जा रहा है। ऐसी हालत में हाई कोर्ट ने कोई जरूरत नहीं समझी कि कोई नोटिस पब्लिक की सूचना के लिए इस दिशा में जारी की जाय।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब आपके सामने अविश्वास का प्रस्ताव जो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय भगवान सहाय, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी तथा माननीय ऊदल ने प्रस्तुत किया है उसको नियमतः स्वीकार करके मैं सदन की अनुमति के लिए पढ़े देता हूं --

"यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम ३१९ के मुताबिक जो एजेंडे में कार्यक्रम है उसमें मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास के प्रस्ताव से पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव हो तो वह आना चाहिए। यह सभी को विदित है कि आज कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सभी ने मिलकर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। तो पहले उसको आप ले लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो बाद में आयेगा अनुज्ञा के लिए।

श्री रामचन्द्र विकल--

इसको सभी दल चाहते हैं, आप पहले माननीय उपाध्यक्ष वाला ले लें।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)--

माननीय सदस्य कांग्रेस दल से निलम्बित हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में हों वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं--प्रस्ताव यह है--"यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

(९७ सदस्य खड़े हुए)

[श्री अध्यक्ष]

चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या ९७ है जो पंचमांश से अधिक है, अतः अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी। मैं समझता हूं आज का कार्य-क्रम समाप्त होने पर इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, आज मत लें, कल लें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

अभी तो दो बिल हैं, पता नहीं कब तक यह बिल चलते रहें। एकअनिश्चितता का वातावरण बना रहेगा, इसलिये कल ही इसे लिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह बड़े महत्व का प्रश्न है, अगर कोई आपत्ति न हो तो इसे आज न लिया जाय, कल ही ले लिया जाय, अभी तक न हमको कोई कार्यक्रम मिला, न एजेण्डा ही मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

इस अविश्वास के प्रस्ताव पर कम से कम ६ दिन तक बहस होना चाहिये। पहले भी समय इतना दिया गया है। दूसरे आज इस पर बहस न हो, कल होना चाहिये। हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। कार्य-मंत्रणा समिति की कभी कोई बैठक नहीं हुई। माननीय बनारसी दास जी जो विधेयक चाहते हैं वह ले आते हैं और पास करा लेते हैं। आप कार्य-मंत्रणा समिति से पूछें और अगर आज बैठ कर यह वह निश्चय करती है कि कल विचार होना चाहिये तो आज विचार नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अभी लेना चाहिये। माननीय खेर जब अध्यक्ष थे और जब उन्हें तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव आता था तो उसे वे फौरन् सदन में लेते थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गरिमा इसी में रहेगी। अगर नहीं लेते हैं तो लोकतन्त्र के खिलाफ आप काम करते हैं और उसके प्रति अच्छा आदर का भाव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, उपाध्यक्ष के अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में अभी वोट ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

अभी ले लूं। मैं कब कहता हूं कि अभी नहीं लूंगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम २७४ के उपखंड (२) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह है कि "यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे यदि समस्त सदस्यों के पंचमांश से अन्यून.....

श्री अध्यक्ष--

जो मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है क्या आप उसके सम्बन्ध में पढ़ रहे हैं?

श्री कमलासिंह यादव--

इस प्रकार खड़े हो जायं, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक १० दिन के भीतर किसी ऐसे दिन, जो अध्यक्ष नियत करें, लिया जायेगा :"

इसका मतलब है श्रीमन्, कि आज जो यह अनुज्ञा आपने दे दी। लिये जाने के दिन से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर यानी टेन डेज लिमिटेशन होना चाहिये। आज तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता। तो आज से दस दिन के भीतर जो दिन आप निश्चित करेंगे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वे अपनी बात कह रहे हैं, कहने दीजिये।

श्री कमला सिंह यादव--

बड़ी शर्म आती है यदि कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं, खासकर सरकारी पक्ष। अब मान लीजिय कि पंचायत का चुनाव होने वाला है। डिक्लेरेशन हो गया कि तीस दिन के अन्दर कोई आदमी भी एलेक्शन पेटिशन दाखिल कर सकता है। आज हम अगर दाखिल करें तो प्रि-मेच्योर हो जाती है। तो आज के बाद यानी पांच बजे के बाद लिमिटेशन शुरू होगा और दस दिन के भीतर आप कोई भी दिन नियत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इतनी सी बात पर आप कितनी मर्तबे कहेंगे ? एक बात को चार २ मर्तबे कहने से कोई फायदा नहीं। आप दिन भर यही कहा करिये। हो गया, मैंने सुन लिया।

जो बहस माननीय कमला सिंह ने की है उसको मैं स्वीकार नहीं करता लेकिन नेता विरोधीदल ने जो प्रार्थना की है उसको मैं स्वीकार करता हूं और यह तय करता हूं कि यह विषय कल और परसों दो दिन रहेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसमें छः दिन से कम समय नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

नहीं। अब यह विषय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अध्यक्ष जी, ऐसे विषय पर इस सदन में चार दिन से कम बहस पहिले नहीं हुई है। इसलिये चार दिन से कम समय नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में यह समय पर्याप्त है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं बहुत दुःखी हूं और इसलिये दुःखी हूं कि आप सरकार को बचाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप मात्र है और कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास सूचना आयी है माननीय विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय रामचन्द्र विकल, माननीय झारखंडे राय, माननीय भगवान सहाय, माननीय लखपतराम शर्मा, माननीय खेम चन्द, माननीय गिरधारी लाल, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी और माननीय कमला सिंह की। उनका प्रस्ताव यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि, "माननीय होती लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा को उनके उपाध्यक्ष पद से हटाया जाय।"

इसके बारे में मैंने स्वयं इसी सदन में यह व्यवस्था दी थी कि यह सूचना देने के चौदहवें दिन आ सकता है। मैं अब भी यही समझता हूं कि हमारे नियमों की यही सही मंशा भी है। माननीय रामसुन्दर पांडेय ने खेर साहब के निर्णय का जो उल्लेख किया, उसके संबंध में मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने भी उस समय यही कहा था कि "इस अवधि को ध्यान में रखते हुये भी इसको मैं आज ले रहा हूं।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आप भी उस को ध्यान में रखें। खेर साहब और टंडन जी के रास्ते पर आप भी चलें।

श्री अध्यक्ष--

जो निर्णय मैंने अपने संबंध में लिया था वही इस संबंध में भी ले रहा हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, इस प्रस्ताव की एक विशेष परिस्थिति है। इस प्रस्ताव में विरोधी पक्ष के सभी दल नहीं अपितु कांग्रेस दल के लोग भी सम्मिलित हैं। इसलिये आप नियमों का खयाल न करते हुए व्यावहारिकता को देखते हुए, इसकी अनुज्ञा ही देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

यहां कांग्रेस दल और गैर कांग्रेस दल का प्रश्न नहीं है। इस सदन में हरएक व्यक्ति को बराबर अधिकार है। कांग्रेस दल के व्यक्तियों के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं। अगर इधर (विरोधीदल) के प्रस्ताव के संबंध में कोई विशेष निर्णय लिया गया है, तो उधर के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी वही निर्णय लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

आप तारीख तो मुकर्रर कर दें। सोमवार और शुक्रवार न रखें।

श्री अध्यक्ष--

मैं तारीख बता दूंगा।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

कहीं तब तक असेम्बली ही खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

हम चाहे कुछ भी करते हों लेकिन हमें किसी भी माननीय सदस्य के प्रति अविश्वास की भावना नहीं रखनी है कि वे धोखा देंगे। आप यह क्यों सोचते हैं कि सरकार मुझे रोक सकेगी?

(श्री बद्री प्रसाद पालीवाल के खड़े होने पर--अध्यक्ष)

श्री उग्रसेन--

यही हमेशा गड़बड़ करते हैं इनको निकालिये यहां से।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

मेरा निवेदन है कि इसमें सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्यों को स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है, लेकिन हमारी प्रक्रिया नियमावली से नियम स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव नियमों के प्रतिकूल है इसलिये इसको पेश होने की आप अनुमति न दें।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव"--

वह बतायें कि कौन सी वह धारा है जो प्रतिकूल पड़ती है?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

इस तरह से तो श्रीमन्, अविश्वास का प्रस्ताव आ ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री उग्रसेन--

जब आप ने निर्णय दे दिया तब पालीवाल जी को शंका करने का हक कहां से है?

श्री अध्यक्ष--

आप तो दस बार वही नियम तोड़ते हैं, उन्होंने तो एक ही बार तोड़ा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब यह जो कामरोको प्रस्ताव आये हैं मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसे हैं कि जिन पर अविश्वास के प्रस्ताव में विचार हो सकता है, अतः इस समय मैं इनको अस्वीकार करता हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा निवेदन है कि आपने उसके लिये कुल दो दिन ही दिये हैं, उसमें २ घंटे का का यह हो गया और कल और परसों में और आ जायंगे तो यह समय बहुत कम है। उसको आप कृपया और बढ़ा दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

जब सब मामला तय हो गया तब भी विद्यार्थियों पर अत्याचार इस समय भी हो रहा है, और उनको मारा जा रहा है, तो यह सब अब क्यों हो रहा है? सब मामले छात्र नेताओं से मिल कर तय किये जावें।

श्री अध्यक्ष---

एक यह श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है कि अध्यापकों का वेतन फरवरी, सन् ६५ से नहीं मिल रहा है। इसमें नियम ५२ में वह वक्तव्य चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जिला परिषद् में उठाया जा सकता है लेकिन फिर भी मैं इसे मंत्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, हमारे नियम ५२ के प्रश्न का क्या हुआ, सरकार से सूचना मिलनी चाहिये। लखनऊ विश्वविद्यालय में कल पुलिस बिना वाइस चांसलर की आज्ञा के घुस गई, यूनियन की इमारत में पुलिस जाती है, ऐसी स्थिति में ११०....

श्री अध्यक्ष---

यह एक दूसरी नियम ५२ की सूचना श्री कमला सिंह की है, इस प्रदेश में गाजीपुर जैसे बहुत से जिलों में अभी तक अवर्षण हुआ है और जहां पहली वर्षा हुई खरीफ बोई गई और पौधे उगे थे वे सूख रहे हैं, उस विषय में है। यह मैं मंत्री जी को भेज रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

सारे सूबे में अवर्षण पर वक्तव्य के लिये कहा गया था, इसलिये तारीख बताई जाय कि यह वक्तव्य कब होगा।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी बतायें कि कब तक वक्तव्य दे सकेंगे?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

चार, पांच रोज में दे देंगे, शुक्रवार को दे देंगे।

एक सदस्य---

पूरे प्रदेश के बारे में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसेन की सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, बुलन्दशहर में लाठी चार्ज हुआ है। आठ आदमी गिरफ्तार हुए हैं। परिस्थिति गम्भीर है। अतः आप इसे माननीय मन्त्री जी के पास भेज दें तो उधर से वक्तव्य हो जाय।

श्री उग्रसेन---

माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मेरा एक कामरोको प्रस्ताव था। कृपया उस पर सरकार का बयान करवा दीजिए।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष---

एक माननीय उग्रसेन जी का भी काम रोको प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि जब इसका विषय होगा, बात हो जायगी।

131812

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, यह बात करने का विषय नहीं है। माननीया सुचेता जी से बात तो हो चुकी है। अधिकृत वक्तव्य नियम ५२ के अन्तर्गत होना चाहिए। यहां पर यह सवाल नहीं है कि कोई चर्चा की आवश्यकता हो।

श्री अध्यक्ष—

कौन्सिल हाउस में लाठी चार्ज पर ३–३ बार कार्य स्थगन हुए।..

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

लेकिन माननीया मुख्य मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया है

नियम ५३ के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ प्रस्ताव आये हैं। मैं समझता हूं कि नियम ५४ के परन्तुक में यह साफ दिया हुआ है कि "अगर वह विषय अन्य तरीकों से उठा सकते हैं तो नियम ५३ में कोई सूचना नहीं ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय–

श्रीमन्, आप ने समय तो २ दिन का ही दिया है।

श्री अध्यक्ष–

उस पर भी आप अगर संतुष्ट न हों तो फिर मैं देख लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय–

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना अभूतपूर्व घटना है। अहाते के अन्दर घस-घुस कर छात्रों के ऊपर प्रहार किया गया है। छात्रों के यूनियन भवन में घुस-घुस कर लड़कों को मारा गया है। एक लंगड़े लड़के को और लंगड़ा बना दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

नियम ५४ के परन्तुक में दिया हुआ है : "परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिए इसके पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है" तो आपको एक अवसर और है। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं देख लूंगा।

श्री बलवान सिंह–

अध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन का नियम ५२ के अन्तर्गत बुलन्दशहर के बारे में है। वहां की स्थिति अत्यन्त खराब है। लाठी चार्ज हुआ है। ८ से ज्यादा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः मैं चाहता हूं कि आप इस पर गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य दिला दें क्योंकि वहां की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे खेद है कि यह विषय नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार से भी विदित होता है कि लड़कों पर पुलिस ढेले चला रही है। अतः मेरा निवेदन है कि आप आश्वासन दें कि यदि सरकार कोई कैटिगोरिकल वक्तव्य न दें तो आप उनसे वक्तव्य दिलायेंगे। आप भी इसको देख लें (अखबार की ओर इशारा करते हुए) पुलिस वाले ढेले चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम देख लें। कुछ निर्णय भी ऐसे हैं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला—बस्ती)—

अभी माननीय संसदीय मंत्री जी चले गये। अभी तक वे बैठे हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि उनसे पूछ लिया जाय और हमें इस संशय में क्यों रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप तो कल भी बैठेंगे।

†उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

खण्ड २ (क्रमागत)*

**श्री रक्षपाल सिंह (जिला—फतेहपुर)—

अध्यक्ष जी, कल मैं माननीय कमला सिंह द्वारा प्रस्तुत उस संशोधन पर बोल रहा था जिस के ऊपर उन्होंने एक व्यवस्था चाही है कि जो बिक्री-कर बढ़ रहा है, दो पैसे या तीन पैसे कर दिया गया है वह घटा कर के १ पैसा कर दिया जाय। मैं कह रहा था कि सरकार ने जो बिक्री-कर बढ़ाने वाला निर्णय लिया है उससे गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों की रीढ़ टूटने वाली है और यह मीठी छुरी चलाने वाला कार्य सरकार कर रही है। जितनी भी वस्तुएं इसमें गिनायी गयी हैं, लोहा, रूई, तेल, डालडा, इस प्रकार की तमाम वस्तुएं जो हैं इन सब के ऊपर यह बिक्री-कर बढ़ने वाला है और आज की अवमूल्यन की स्थिति में इस कर का प्रभाव गरीब जनता पर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

संशोधन यह है कि खंड २ की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक" के स्थान पर "१ नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक" रख दिया जाय।

तो आप कहते हैं कि यहां रख दिया जाय १ नया पैसा।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। मैं जानना चाहता था कि किस तरह से यह संशोधन इन आर्डर है। पहले मैं समझता था कि यह ओरिजिनल ऐक्ट में कोई संशोधन कर रहे हैं। मालूम हुआ कि आप ओरिजिनल ऐक्ट में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी विधेयक में कर रहे हैं।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

यह इन आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

बाद में सुन लेंगे।

---

†२ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

*२५ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही से

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा—

जिस उद्देश्य से यह बिधेयक लाया गया है उस उद्देश्य के यह खिलाफ है इसलिये इन आर्डर नहीं है।

श्री कमला सिंह यादव (जिला—गाजीपुर)—

श्रीमन्, आप ने कहा था कि आबजेक्ट और रीजन्स कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों घबड़ा रहे हैं। आप तो जवाब देंगे तब कहियेगा।

श्री रक्षपाल सिंह—

तो मैं कह रहा था कि जिन वस्तुओं का उल्लेख धारा ३ (क) में है वह सब जनसाधारण से सम्बन्ध रखती हैं और इसका असर सब पर पड़ने वाला है। मंत्री जी ने कल एक बात कही थी कि हमने सिंगिल प्वाइंट कर दिया। परन्तु अगर आप धारा ३ (क) के उपखंड (२) को देखें तो उस में लिखा हुआ है कि जब उपभोक्ता को बेचेंगे तब लगेगा। परन्तु यह उपभोक्ता कौन है इस को सिद्ध करने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने व्यापारी के ऊपर रखी है। तो यह परिणाम होगा कि व्यापारी यह तो तय नहीं कर पायेगा कि वह उपभोक्ता को बेच रहा है या बड़े व्यापारी को बेच रहा है। इसलिये वह तो हर एक से वसूल होगा और यह जो मंत्री जी कहते हैं कि यह सिंगल प्वाइंट हो जायगा यह बिल्कुल गलत है और ठीक उसी प्रकार से वसूल होगा जैसे अभी तक हो रहा है।

जो वसूली का प्रकार है उस में आये दिन सेल्स टैक्स अफसर जा कर के असेस कर देते हैं कि इतना रुपया हो गया, इतने की बिक्री हम आप की मानते हैं और आप जैसे चाहें इस के बारे में जवाब लगावें। ऐसा कुछ नहीं है कि एक निश्चित मात्रा आप के यहां से असेस होती हो। अभी तक इनके यहां यह व्यवस्था थी कि एक आदमी, या अधिकारी जाता था और उसके सामने लोग अपने क्लेम और आबजेक्शन्स रखते थे। परन्तु उस की भी व्यवस्था आप ने समाप्त कर दी है। इस तरीके से इस नयी व्यवस्था को ला कर सरकार लोगों की कमर तोड़ने वाली है और आज का जो व्यापारी है उस को सतत परेशान करने वाली है और इस को मंत्री जी ला कर के एक प्रकार का नया बोझ हमारी साधारण जनता के ऊपर डालने वाले हैं। जब कई प्रकार की योजनायें चल रही हैं और कोयला सस्ता कर रहे थे, उसे गांव तक पहुंचा रहे थे तो हो क्या रहा है? कोयले पर टैक्स बढ़ेगा और बिक्रीकर बढ़ जाने से लोहे के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लोहे से ही हल बना कर हम देहात में पहुंचाना चाहते हैं। यह संशोधन बड़ा प्रतिगामी है और हमारी योजनाओं के विरोध में आने वाला, है, थोड़ा पैसा जरूर मिल जायगा। मेरा निवेदन है कि समाजवादी सरकार ऐसा प्रतिगामी संशोधन न लावे और जो कमला सिंह जी का संशोधन है उसे मान ले या जो पूर्ववत् संशोधन है उसे मान ले।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यों तो मैं कुछ बोलना आवश्यक नहीं समझता था लेकिन जो भाषण आज और कल सुने उनसे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पर कुछ भ्रान्ति हो रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो संशोधन सरकार की ओर से आया है वह आवश्यक है और वह नतीजा है उस ऐक्शन का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में दो धारायें हैं १४ तथा १५/१४ में यह प्राविधान है कि कौन से स्पेशल गुड्स आफ इम्पार्टेंस हैं और १५ में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि विभिन्न राज्यों में जो स्पेशल इम्पार्टेन्स गुड्स हैं उन पर राज्य सरकार दो परसेंट से अधिक टैक्स नहीं लगा सकतीं। राज्य सरकार का अधिकार नियमित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट]

है केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट के द्वारा और उसके जरिये दफा १४ व १५ सेंट्रल सेल्स ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत रोक लगा रखी गयी है कि सारी राज्य सरकारों में दफा १४ के मातहत जो विशेष महत्व की वस्तुएं हैं उन पर दो परसेंट से अधिक टैक्स नहीं लग सकेगा। केन्द्रीय सरकार ने अब दो पैसे की अधिकतम सीमा को तीन पैसे कर दिया है और उसके अनुरूप लाने के लिये राज्य सरकारों के लिये परमावश्यक है कि वे अपने ऐक्ट में करसपोंडिंग संशोधन करें।

श्री अध्यक्ष—

वह कांकरंट लिस्ट में का विषय है ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

जी हां। तो प्रश्न आता है कि केन्द्र ने एक कानून बनाया और उसके अनुरूप हमको अपना कानून बनाना है और अगर वहां वृद्धि होती है तो हमारा कानून उसके अनुरूप अमेंड हो जायगा। मैं करीब-करीब बिल्कुल यही निवेदन कर रहा था।

यह तो रहा इसका कानूनी पहलू। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। अभी कहा जा रहा था कि इससे गरीब जनता पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी कुछ भ्रान्ति है। जो सूची इसमें दी है उसमें कोयला एक ऐसी चीज है जिसको कहा जा सकता है कि वह गरीब जनता के उपयोग की चीज है। और काटन यार्न को भी किसी मात्रा में कह सकते हैं, यद्यपि मैं उसको नहीं मानता। उसके बाद जितनी चीजें हैं उनका गरीब जनता से कोई वास्ता नहीं है, वे सारी इंडस्ट्रियल उपभोग की चीजें हैं और उसमें प्राविधान है कि अगर उपभोक्ता उसको प्रयोग में लायेगा तो कोई टैक्स लगता नहीं है और एक जगह यह है कि किस सूरत में लगेगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इसी सदन में हम मांग करते रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर सारी स्टैट्स में एक सा हो। तो यह उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारतवर्ष के सारे प्रदेशों को यह आवश्यक संशोधन करना पड़ा और उन्होंने किया और इनका छोटे तबके पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यही रखा है कि अधिकतम सीमा के बाद भी सरकार को यह अधिकार रहेगा कि अगर कोई वस्तु ऐसी है जो जनता के हित की है तो अधिकम सीमा तो केन्द्रीय ऐक्ट के अनुरूप कर दें लेकिन उसकी न्यूनतम सीमा भी समय समय पर सदन का ध्यान रखते हुये निश्चित कर सकती है....

श्री कमलासिंह यादव—

जरा माननीय सदस्य यह बता दें कि किन-किन प्रदेशों में ऐसा संशोधन लाया गया और पास किया गया ?

श्री जगदीशरण अग्रवाल, एडवोकेट—

मेरी सूचना यह है कि सारे प्रदेशों में यह संशोधन लाया गया।

मैं अपना निवेदन समाप्त कर चुका। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन एक तरह से नेसेसरी कांसीक्वेन्स है उस केन्द्रीय संशोधन का और जो दर इस सरकार ने बढ़ाई है यह निर्विवाद विषय हो जाता है और सदन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है इसका मैं विरोध करता हूं। बिक्री-कर का व्यापार से बड़ा संबंध है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

किस संशोधन का विरोध सदस्य महोदय कर रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि वे स्वयं अपने भाषण में स्पष्ट कर देंगे ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

व्यापार में जो हमारे आस पास के राज्य हैं वहां यदि बिक्री—कर कम हैं और हमारे यहां अधिक है तो हमारे यहां का व्यापार बिलकुल चौपट हो जायेगा । कल मंत्री जी ने कहा था कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने निश्चय किया है कि बिक्री—कर की दर समान रखेंगे । लेकिन हमारे प्रदेश से मिला हुआ दिल्ली का प्रदेश है जो केन्द्र द्वारा शासित है यदि वहां पर बिक्री-कर की दर कम है तो हमारे यहां का व्यापार बिलकुल चौपट हो जायेगा । जहां तक यह बताया गया है कि दिल्ली में सेल्स टैक्स ३ प्रतिशत कर दिया गया है, इस पर वहां हड़ताल हुई थी और यह आश्वासन दिया गया है कि यदि दिल्ली में बाहर का माल आयेगा और वह बिकेगा तो एक प्रतिशत बिक्री-कर देना होगा । दिल्ली में जो माल बनेगा और बाहर का व्यापारी खरीदेगा तो उस पर ३ प्रतिशत बिक्री—कर देना होगा ।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट पीठासीन हुये ।)

अधिष्ठाता महोदय, किसी भी वस्तु का उत्पादन दिल्ली में नहीं होता है, अधिकतर बाहर से माल आकर यहां बिकता है । अब आप विचार करें कि आगरा या उत्तर प्रदेश के व्यापारी किसी माल को कलकत्ते से लाते हैं और उसी माल को दिल्ली के व्यापारी लाते हैं । अब दिल्ली के व्यापारी उस माल को पंजाब या राजस्थान के व्यापारी को बेचते हैं तो उनको एक प्रतिशत बिक्री—कर देना पड़ेगा और हमारे यहां के व्यापारी से उसी माल को यदि खरीदा जायेगा तो उनको ३ प्रतिशत बिक्री—कर देना पड़ेगा । अब मैं जानना चाहूंगा कि यदि दिल्ली में दो प्रतिशत बिक्री-कर कम देकर बाहर के व्यापारी को माल मिल सकता है तो वे उत्तर प्रदेश के व्यापारी से माल क्यों खरीदेंगे ? इस तरह से हमारे यहां का व्यापार बिलकुल चौपट हो जायेगा और दिल्ली का व्यापार बढ़ता चला जायेगा । यहां के व्यापारी भी दिल्ली से माल लाकर बेचेंगे । जो कह रहे हैं कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स सब जगह एक सा हो तो वहां पर भी इस नियम को लागू करें कि जो माल वहां बिकेगा उस पर भी ३ प्रतिशत बिक्री—कर पड़ेगा । इसलिये मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यदि उनको जानकारी नहीं है तो केन्द्रीय सरकार से विश्वास प्राप्त करें और जब तक यह प्राप्त न हो जाये तब तक के लिये इसको स्थगित रखें ।

इसी के साथ-साथ अभी माननीय जगदीशप्रसाद जी ने रुई और कोयले की बात कही है लेकिन चमड़े की बात उन्होंने नहीं कही । चमड़े के उद्योग से हमारे यहां जूते बनते हैं और वह रूस को भेजे जाते हैं । आज लगभग दो करोड़ के विदेशी मुद्रा आगरा और हमारा प्रदेश जूतों से प्राप्त करता है । यदि यह सेल्स टैक्स लगाने के बाद हमारे माल की कीमतें अधिक हो जाएंगी तो जहां वैसे भी जूते का व्यापार पाकिस्तान में आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमारे जूते का व्यापार कम होता जा रहा है और पाकिस्तान का अधिक बढ़ता चला जा रहा है, तो वह बिलकुल ही समाप्त हो जायगा, बिलकुल ही पूरी तरह चौपट हो जाएगा । साथ ही इससे जोव हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, वह भी कम हो जाएगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि है कि जो निर्यात होने वाला सामान है, उसके ऊपर हम यह बोझ न डालें, जिससे उनकी कीमतें बढ़ें और फलस्वरूप विदेशी व्यापार, निर्यात और विदेशी मुद्रा में कमी आवे । इन दोनों बातों के कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, यहां पर जो संशोधन प्रस्तुत है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

इस संबंध में मैं एक निवेदन कर दूं। इस पर जनरल डिकस्शन तो हो चुका है, अब तो एक विशेष संशोधन आपके सामने विचारणीय है, इस कारण आपका वक्तव्य उस परिधि तक सीमित रहे, तो अच्छा हो।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं विरोध इसलिये कर रहा हूं कि हमारी प्रांतीय सरकार के सामने हर समय एक ही ख्वाहिश रहती है कि पैसा जहां से भी आ सके आवे, व्यापार रहे या न रहे या आदमी जीवित रहे या न रहे, उन्हें तो पैसा मौज, गुलछर्रे उड़ाने के लिये चाहिये। श्रीमन्, असलियत यह है कि केन्द्रीय सरकार पैसा चाहती है और कोई भी सरकार अपना काम काज चलाने के लिये पैसा चाहती है और उसे पैसा चाहिये भी। तो किन्हीं कारणों से केन्द्रीय सरकार ने २ पैसे के बजाए ३ पैसा अपने यहां सेन्ट्रल सेल्स टैक्स कर दिया। इस बारे में हमारी सरकार ने भी अपना सेल्स टैक्स २ पैसे से बढ़ाकर ३ पैसा करने का विचार किया। मेरा निवेदन है कि इससे जो असर हमारे व्यापार पर होने जा रहा है, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे तो उसे २ प्रतिशत के बजाए १ प्रतिशत करने के लिये विचार करने पर मजबूर हो जाएगी। श्रीमन्, जितने जिले दिल्ली के आस पास हैं—जैसे सहारनपुर, देहरादून, मेरठ और मथुरा आदि, इन सभी जिले के लोगों को दिल्ली नजदीक पड़ती है और वहां से आवागमन के साधन भी बड़े आसान हैं, इसलिये जितना भी व्यापार उन इलाकों में होता है वह दिल्ली से ही होता है, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा भारी मार्केट है। मैं एक मसला मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, दिल्ली में गुडइयर और डनलप के रबर का सामान बनता है—बिकता है। उसके दफ्तर दिल्ली में भी हैं और लखनऊ में भी हैं। यू० पी० को तो सामान सप्लाई होता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने दफ्तर इस प्रदेश में खोल रखे हैं वह वहां से एक प्रतिशत में भी नहीं बल्कि केवल नम्बर दिखाकर बिना सेल्स टैक्स के कम्पनियों से माल खरीदते हैं और जब वही व्यापारी लखनऊ से अपना माल खरीदते हैं तो उन्हें २ प्रतिशत का सेल्सटैक्स देना पड़ता है और मंगाने का भी ज्यादा खर्च देना पड़ता है जबकि वह दिल्ली से बिना सेल्स टैक्स के थोड़े से नाम मात्र के भाड़े से सामान मंगा लेते हैं। तो जो दो सौ, पांच सौ का सामान खरीदना चाहता है तो वह २-४ रुपये खर्च करके सैल्स टैक्स बचाकर वहां से सामान मंगा लेता है, हमारे यहां की अपेक्षा वहां पर कीमतें भी कम रह जाती हैं।

दूसरा कारण इसमें और है, जो यह है कि हमारा व्यापार खिचता चला जा रहा है पंजाब में या दिल्ली में। उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कई बार दिला चुका हूं और लिखित रूप में कई बार सुझाव दे चुका हूं। आपने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने वादा कर रखा है कि हम अपने यहां वही दरें करने जा रहे है जो सेल्स टैक्स की हमारे यहां हैं। पिछले वर्ष एक मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया था कि फलां-फलां चीज पर इतना सेल्स टैक्स होगा लेकिन इस सरकार को इतनी उतावली थी कि इन्होंने ७ से १० और ३ से ५ प्रतिशत दर कर दिये जब कि दिल्ली वालों ने आजतक उसपर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने सोचा करने की तो पिछली अप्रैल में वहां हड़ताल हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को झुकना पड़ा और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि व्यापारियों की मर्जी के खिलाफ सेल्स टैक्स नहीं बढ़या जायगा। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स में यह है कि जो वहां का उत्पादन है दूसरे स्थान पर जायगा तो ३ परसेंट होगा उस पर सेल्स टैक्स लेकिन दिल्ली की मारकेट में जो पंजाब, राजस्थान बम्बई, मद्रास आदि से माल आता है उस पर एक दफा सेल्स टैक्स लगने के बाद और खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के माल पर सेल्स टैक्स १ प्रतिशत लगेगा। लेकिन यहां जो लगायेंगे वह ३ प्रतिशत होगा। इस तरह पर २ प्रतिशत का अन्तर हो जाता है। इस वजह से दो प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। सरकार के नुकसान पर एक तो लोग माल बाहर से खरीद कर ले आते हैं और सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पड़ता है। और यह सरकार उसके लिये कोई रास्ता नहीं निकाल पायी।

सरकार के सेक्रेटरीगण आकर कहते हैं कि इतना प्रतिशत कर दिया जाय और वह हो जाता है लेकिन जो उसके असरात होते हैं उसभोक्ताओं पर और सरकार के बजट पर उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हो सकता है कि २ से ३ प्रतिशत कर देने से आमदनी बढ़ जाय लेकिन इससे व्यापार कितना घटेगा और दूसरे प्राविन्सेज को चला जायगा उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।

अब तक मैंने यह फैक्टरी की बात बतायी लेकिन बिजली और दूसरी चीजों के बारे में कह रहा हूं। एक तो हमारे यहां का ७ का १० प्रतिशत कर दिया गया वहा दिल्ली में ६ प्रतिशत है तो ४ प्रतिशत का अन्तर और २ प्रतिशत का अन्तर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से जनरल, इस तरह से ६ प्रतिशत के अन्दर पर कौन व्यापारी यहां का किस तरह से काम कर सकता है? जिस आदमी को ६ रुपये सैकड़ा माल बाहर से कम मिलता होगा वह क्यों यू० पी० से खरीदेगा। अब आज माल लाने के लिये तमाम साधन उपलब्ध है वह आदमी बाहर से जाकर माल खरीद लायेगा या मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद से खरीदेगा। वह फौरन पंजाब से माल लायेगा। इस तरह सेल्स टैक्स के हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। हमेशा हम इस खयाल में रहे कि पैसा बढ़ा दें लेकिन आपको यह सोचना चाहिये कि पैसा आ भी रहा है या नहीं। मैं इन कारणों से इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि आप इतनी जल्दी न करें बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से फिर बातें कर लें और उनसे फिर अच्छी तरह से आश्वासन ले लें कि आपकी उनकी दरें एक होंगी उसी सूरत में आप बढ़ा लें तो किसी व्यापारी और उपभोक्ताओं पर फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है वह ३ दृष्टियों से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। कुछ लोगों से जो प्रदेश के विभिन्न भागों में व्यापार करते हैं उनसे विचार विमर्श करने की नौबत आयी तो उन्होंने यह बताया कि हमारे यहां जो सेल्स टैक्स का तरीका है वह गलत है, वह प्रदेश के अन्दर का या बाहर का हो, दोनों ही गलत है। जो केन्द्रीय सरकार का सेल्स टैक्स है जो करीब-करीब सब प्रान्तों में लगता है वह हमारे यहां के व्यापार को प्रभावित करता है और दूसरा वह जो हमारे यहां अन्दर लगता है। मान लीजिये चमड़े का जूता अपने यहां बनायेंगे तो ७ परसेंट, ८ परसेंट या १० परसेंट लगेगा। मैं दोनों दृष्टियों से विचार रख रहा हूं। बाज समय ऐसा होता है कि बाहर का माल जब हमारे यहां आता है तो सस्ता पड़ता है, उनके उत्पादन पर सेल्स टैक्स कम होगा २ या ३ परसेंट है वह हमारे यहां के व्यापार को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जब प्रान्तीय सरकार अपने यहां की चीजों पर सेल्स टैक्स की दरें निश्चित करती है तो उस समय हमारे खयाल में रहना चाहिये कि हमारे प्रान्त की दरें दूसरे प्रान्तों की दरों के मुकाबले में किस तरह पर असर करती हैं। आपने यह स्वीकार किया था कि हम ऐसा करेंगे कि हमारे व्यापार को हानि न हो। हमारे यहां से ऐसी चीजें जिनका कारखाना दूसरी जगह नहीं था जैसे चूड़ी का कारखाना और प्रदेशों में नहीं है और अगर दूसरे प्रदेश में होता तो हमारे कारखाने बन्द हो जाते क्योंकि उस समय यहां का माल तेज बैठता।

दूसरी बात मैं यह कहना चहता हूं कि हमारे यहां की सीमा नैपाल से मिलती है और चीन से बना माल बिला किसी सेल्स टैक्स के लखनऊ और कानपुर तक के बाजारों में बिकता है आनन्द से और माननीय मंत्री जी ने कहा कि कदाचित् नैपाल से माल लोग ले आते हैं। लेकिन एकाध चीजें लोग ले आ सकते हैं लेकिन मैं साफ कहता हूं कि इस तरह का माल बार्डर से जाकर लोग ले आते हैं। इस तरह से यह हमारे व्यापार को और हमारे सेल्स टैक्स को प्रभावित करने लगता है। इसके साथ एक बात और है कि हमारे यहां सेल्स टैक्स का निर्धारण यहां से हो जाता है बजाय इसके कि वहां की वस्तुओं और व्यापारियों को देखकर निर्धारित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

करते, यहां से आफिसरान करते हैं यह हमें व्यापारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों ने बताया कि यहां के अधिकारी यह कहते हैं कि हम क्या करें, हम को तो इतना निर्धारित करना ही है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान गया होगा कि सात-सात सरकारी अधिकारी इस बात के लिये जिम्मेदार पाये गये हैं कि उन्होंने सेल्स टैक्स का असेसमेंट कम किया। यह सब चीजें इस छोटे संशोधन में नहीं आतीं लेकिन वस्तुस्थिति यह है। हमारे यहां की दरियां आसाम जाती हैं लेकिन मद्रास की दरियों के कम्पेटीशन में हमारी दरी तेज पड़ने लगती है सेल्स टैक्स की वहज से। इसका कारण यह है कि दो परसेंट टैक्स लगता है ज्यादा और वह हमारे गृह उद्योगों के माल को निरर्थक कर देता है। हमारे चमड़े, लोहे और कोयलें की दरें इससे बढ़ेंगी। अगर सीधे उपभोक्ता को बिकेंगी तो इस तर टैक्स नहीं लगेगा। और कौन सी चीजें हैं जो उपभोक्ता को सीधे बेची जायंगी। उत्तर प्रदेश में कोयला पैदा नहीं होता है। थोड़ा सा रिहन्ड डैम के पास होता है वह भी कोई खास नहीं है। और कोई खान उत्तर प्रदेश में कोयले की नहीं है जिसमें उपभोक्ता की सीधे माल बिकने का अवसर हो। कच्चे चमड़े का कोई उपयोग नहीं है जब तक वह पकाया न जाय। यह जो क्लाज रखी गई है इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो सीधे उपभोक्ता के पास जा सके। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो सीधे उपभोक्ता के काम में आनेवाली हो।

हमारे प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं उनमें देखने की बात यह है कि कदाचित डिवैल्युएशन के बाद उनकी हालत खराब हो रही है। हमारी जो गन्ने की फैक्टरी हैं वे सड़ी गली पुरानी हैं। उनमें कुछ ठीक हैं। वह भी जैसे तैसे अपना काम कर रही हैं। जो कानपुर की कपड़ा मिल हैं वे भी सड़ी गली हैं। उनकी हालत भी अब डिवैल्युएशन के बाद और खराब हो जायगी। सरकार उनको पूंजी नहीं दे सकती है और न मिल मालिक अब उस व्यापार को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऐसी हालत में जब हम अपने उपभोक्ताओं पर यह दर बढ़ाने जा रहे हैं तो दूसरे उपभोक्ताओं पर भी, जिनको केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दे रखी है, उनके ऊपर भी हमारे माल की दर बढ़ जायगी। उस माल पर पहले से ही दर बढ़ी हुई है तो यह हमारा माल अधिक महंगा हो जायगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि न तो व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से न बाहर के व्यापार के प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और न वर्तमान समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किसी प्रकार से सेल्स टैक्स पर जो यह निर्णय लेने जा रहे हैं, लाभ करने वाला है। हो सकता है केन्द्रीय सरकार की सेल्स टैक्स की दर बढ़ने के कारण हम बाध्य हो जांय लेकिन हमको यह देखना है कि हमारे प्रदेश का किसी प्रकार से नुकसान न हो। जिस दिन यह दर बढ़ जायगी तो करोड़ों रुपये का अन्तर पड़ सकता है। अब उपभोक्ता के पास इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि और भार उठा सके। उनके अन्दर कर देने की और अधिक शक्ति नहीं है। हर प्रकार से अपने उपभोक्ता को आप त्रस्त कर रहे हैं। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और किसी कीमत पर हम अपने उपभोक्ताओं पर कर की दर को न बढ़ायें। आप उस व्यापार को रोक नहीं कसते जो दिल्ली के माध्यम से होता है। उधर के माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि कामन मैन पर अधिक टैक्स अब नहीं लगाया जायगा। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि वह टैक्स नहीं लगायेंगे जिसका भार आम आदमी पर पड़ता हो। तो इसमें आप कौन सी चीज कर रहे हैं जो आम आदमी से हटकर हो। जो जो आम आदमी की महंगाई को बढ़ाने वाली चीज है, जो आम आदमी को त्रस्त करने वाली चीज है वही आप करने जा रहे हैं। अभी तो कुछ भत्ता भी नहीं बढ़ाया गया है और न तनख्वाह ही बढ़ाई गई है। कुछ सहूलियत देने का एलान किया गया है वे अभी नहीं दी गई हैं। वे अभी देना हैं। ऐसी हालत में इस टैक्स को बढ़ाकर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में देंगे। कुछ थोड़ा सा पैसा करीब आधा एक परसेंट उनके हाथ आ जायेगा। और कुछ फायदा होने वाला नहीं हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बड़ा नुकसान होगा। स्मगलिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश को कच्चा माल बहुत कम और

कठिनाई से मिलता है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह २ प्रतिशत की जगह ३ प्रतिशत न करे और वह माननीय कमलासिंह जी का जो संशोधन है उसको स्वीकार कर ले। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वह मजबूत होगी।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

मान्यवर उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर कल से विवाद चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने पहले अधिकतम सीमा २ प्रतिशत रखी थी। हमारी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके अपने यहां भी २ प्रतिशत कर दिया। अब उन्होंने ३ प्रतिशत किया तो यहां भी सरकार ३ प्रतिशत कर रही है। पहले हाइड्स स्किन पर ८ आना प्रति सैकडा था उसको बाद में सरकार ने २ प्रतिशत कर दिया। आयल सीड पर पहले सरकार ने ६ प्रतिशत परचेज टैक्स रखा। उसके बाद सरकार ने आयल सीड पर तो डेढ़ परसेंट कर दिया और आयल पर ३ परसेट कर दिया। इस तरह से कुल साढे ४ परसेट ही सरकार को मिला। मिल ओनर्स को बचाने के लिये सरकार ने आयल सीड पर सेल्स टैक्स घटा दिया। मान्यवर सेन्ट्रल ऐक्ट में एक रिस्ट्रक्शन यह भी है सेक्शन १५ में—

"15 (*b*) Where a tax has been levied under that law in respect of the sale or purchase inside the state of any declared goods and such goods are sold in the course of inter-State trade or commerce, the tax so levied shall be refunded to such person in such manner and subject to such conditions as may be provided in any law in force in that State."

तो यह भी रिस्ट्रिक्शन था कि जो टैक्स आप उस से ले लें वह उस को वापस करना पड़ेगा। आप यह भी देखें कि आप के यहां भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है और टैक्स कितना छिपाया जाता है। व्यापारी लोग माल की बिक्री दूसरे प्रदेश में दिखा कर आप को यह टैक्स नहीं देंगे। इस के लिये ही मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस को धीरे-धीरे लगावें। मेरा निवेदन है कि माननीय कमला सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को आप अवश्य मानें।

*श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी द्वारा प्रस्तत संशोधन का समर्थन करता हूं। आपने जो पहले अपने विचार व्यक्त किये और बतलाया कि हम लोगों को कुछ भ्रम है उस संबंध में मैं बतलाना चाहता हूं कि वह सब वैसे का वैसा ही है। आपने स्वयं कहा था कि प्रान्त में केन्द्र के अनुरूप कर रखने के लिये ही यह संशोधन लाया जा रहा है, लेकिन यदि आप इस की भाषा देखें तो इस में जो संशोधन हुआ है वह इस प्रकार है 'सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट सन् १९५६ की धारा १५ के तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक'। यह शब्द जोड़े हैं ३-कक में। अब आप इस को जरा पढ़ लें। इस के रखने के बाद वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय। अब केन्द्र के अनुरूप सेल्स टैक्स करने के लिये ही सरकार ने इस प्रकार का संशोधन रखा है। यह घोषणा एक परसेंट, डेढ़ परसेंट या दो परसेंट तक हो सकती है। दूसरा विचार यह है कि केन्द्र जो टैक्स निश्चित करेगा। उस से ज्यादा प्रान्त का टैक्स नहीं जा सकता। उस धारा १५ का आशय यही है कि उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो हो क्या गया। बढ़ाने का मतलब ५० परसेंट सेल्स टैक्स आप बढ़ा देंगे। देखने में वह एक परसेंट ही मालूम देगा लेकिन सेल्स टैक्स बढ़ जायगा पचास परसेंट।

(इस समय १ बजकर ४६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट]

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण में पूछा था कि अगर कोई कच्चा चमड़ा किसी मोची को बेचता है तो क्या उस पर सेल्स टैक्स पड़ेगा, तो उन का उत्तर था कि पड़ेगा। अब आप देखें कि मोची जूता बनाता है। उसके बाद वह उपभोक्ता के पास जाता है और इस प्रकार उस चमड़े पर तीन स्टेजेज आती हैं। एक कच्चा माल होता है फिर उसको बनाया जाता है—टैनिंग होता है। तीसरे फिर उसका जूता बनता है। अब आप सोचें कि पहले एक दफा कच्चा माल मोची ने खरीदा तो ३ परसेंट आपने ले लिया फिर मोची ने साफ करने वाले से कहा कि इसको साफ कर दो तो फिर आपको ३ परसेंट देगा। फिर जब उसका मोची जूता बनाकर लाता है और वह उपभोक्ता के पास पहुंचता है तो ९ परसेंट हो जाता है। इस पर आप विचार करें। कमला सिंह जी ने प्रस्ताव किया है कि ३ के बजाय १ परसेंट कर दिया जाय। उससे तीन स्टेजेज में वह ३ परसेंट हो जाता है। हमारे मंत्री महोदय ऐशो-आराम में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, उनका व्यापार से कोई संबंध नहीं रहता। जो उनके पास सेक्रेटरी द्वारा संशोधन आ गये उनको पारित कर दिया उनका काम समाप्त हो गया। अभी एक वक्ता ने बताया है कि यदि सेल्स टैक्स बढाना चाहते हैं तो बहुत सी चीजों पर ध्यान देना होगा कि बगल के प्रान्तों में सेल्स टैक्स कितना लग रहा है। यदि आप व्यापारी को जीने देना चाहते हैं तो जैसा कि मायर जी और बालोजी ने बतलाया कि जो व्यापारी यहां से दिल्ली चला जाता है और बिना टैक्स दिये ही सामान लिये चला आता है रास्ते में आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं और व्यापारी उसी माल पर उपभोक्ता से ३ परसेंट ले लेंगे और ३ स्टेजेज में ९ परसेंट ले लेंगे। इस लिये मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

केवल यही नहीं कि संशोधन चूंकि केन्द्र से इस तरह से आया है तो केन्द्र से आने का यही मतलब नहीं होता है कि आप पर बाइंडिंग हो गया कि आप ३ परसेंट कर दें। उसका तात्पर्य केवल यह है और आशय यह है कि आप ३ से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कम कितना ही कर दें। अभी दो ही किया है। तो सवाल यह है कि (व्यवधान) अभी फिर विज्ञप्ति करनी होगी और उसमें पता नहीं कि आप क्या रख देंगे —३ रख देंगे, २ रख देंगे—कोई आश्वासन आप देने के लिये तैयार नहीं हैं। जो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे उसमें कितनी पावर देंगे यह ठीक नहीं है। जो भूमि भवन कर था वह आपने ५ परसेंट से १५ परसेंट कर दिया। इसी प्रकार इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार जो होगा वह रख देंगे। इसलिए मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि जो संशोधन १ फीसदी का है उसको मान लें वह ठीक है।

श्री दयाराम शाक्य—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कमला सिंह जी ने रखा है मैं उसके सामर्थन में विचार रखना चाहता हूं। अभी जो स्पष्टीकरण सरकारी पक्ष से आया कि चूंकि भ्रम हो रहा है केन्द्र में इस प्रकार से करने के कारण इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। साथ में यह भी कहा गया कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसा हो गया है। लेकिन जैसी कि केन्द्रीय ऐक्ट की भाषा है और जो अपना ऐक्ट है उससे कहीं यह भासित नहीं होता जो कि बहुत आवश्यक है कि केन्द्र में जो दर है वही हम रखेंगे ही। हम कितनी ही दर नियत कर सकते हैं। वैसे ही केन्द्र ने ३ परसेंट से अनधिक इस प्रकार की भाषा प्रयोग की। परन्तु अब इस संशोधन के बाद सरकार की मंशा स्पष्ट ही है। यद्यपि सरकार कहती है कि हम डिक्लेअर नहीं करेंगे कि कितना रखेंगे और कितना नहीं रखेंगे। परन्तु आजकल के समय में केन्द्र और प्रदेशों की सरकार इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि पिछले कुछ समय से प्राइसेज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, आज का जनजीवन बहुत कठिन हो रहा है और व्यक्तियों के लिये अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है।

अभी जो पिछले समय में कर्मचारियों की हड़ताल रही, स्थगन प्रहताव आये, उसी के बीच में बोलते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रान्तीय सरकार ने निश्चय किया है कि और कोई टेक्स नहीं लगायेंगे। परन्तु एक, दो दिन के पश्चात हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का आश्वासन सदन में दिया गया और जिस बात को डिक्लेअर किया गया कि टैक्सेज नहीं लगायेंगे परन्तु फौरन ही एक टैक्स बढ़ाने की युक्ति सरकार ने निकाली। आज जब अवमूल्यन के कारण केन्द्र से लेकर प्रान्त के मंत्रियों ने इस बात का बहुत प्रचार किया और दौरों पर दौरे लगाये और देश के कोने-कोने में जाकर जतना को समझाया कि अवमूल्यन से इस देश की कीमतों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परन्तु सब कुछ करने के बाद भी और जनता को समझाने के बाद भी, दौरों पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी प्राईसेज आकाश को छूते जा रहे है। जनता को अपना निर्वाह करना दूभर हो गया है। ऐसे समय में सरकार ने बुद्धिमत्ता का कदम यह लिया है कि जो टैक्स दो परसेन्ट था उसको पचास परसेन्ट बढ़ा दिया। सरकार एक ओर कहती है कि हम जनता पर करभार नहीं डालना चाहते हैं और इसके लिये प्रयास कर रही है अनेकों केन्द्र खोलकर स्थिति को नियन्त्रण करने में, परन्तु फिर भी सरकार अपने को असमर्थ ही पाती है और उस पर भी सरकार सोचती नहीं और यह प्रयास कर रही है कि टैक्सेज को पचास गुना बढ़ाकर जनता पर अनुचित कर भार लगाये। ऐसे समय में जब कि सरकार स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है, सारा देश और प्रदेश इस बात को स्वीकार करता है कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा प्राइसेज पर कन्ट्रोल न कर पाना, और यह समझते हुए भी कि प्राईसेज बढ़ती चली जा रही हैं, उनको नीचे आना चाहिये परन्तु सरकार कीमतें नीचे नहीं ला पा रही है। इस प्रकार सरकार के पास कोई औचित्य नहीं रहता है कि वह और टैक्सेज लगाये। तो मैं अधिक बात न कहकर मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है और हाउस में माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात की घोषणा भी की थी कि और टैक्सेज नहीं बढ़ाये जायेंगे उसके आधार पर जो नीयत है सरकार की टैक्स बढ़ाने की और जो संशोधन इस सम्बन्ध में लाया गया है उसे समाप्त करें, एक प्रतिशत करने की कोशिश करें। जहां तक खर्च से बढ़ जाने की बात कही जाती है, पिछले सत्र में जब कि सारे आपोजिशन ने इस बात का विरोध किया कि पार्लियामेंन्टरी सैक्रेटेरीज वगैरह की उपलब्धियों को न बढ़ाया जाय, बढ़ाया गया, मंत्रियों के दौरे बराबर बढ़ते चले जा रहे है। इस पर तो आपने कोई नियंत्रण नहीं किया। प्राईसेज की स्थिति पर भी आपने नहीं सोचा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय कमलासिंह जी जो संशोधन लाये है एक प्रतिशत का उस पर विचार करें।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें तो इस वजह से कही गई कि न तो सेंन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट को समझने की कोशिश की गई और न जो संशोधन किया गया है उसे समझने की कोशिश की गई। जैसा मैंने सदन से कल ही निवेदन किया था, यह संशोधन विधेयक एक आनुषांगिक संशोधन करने के लिये लाया गया है। हम अपने आप कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। ऐसे सामानों के बारे में जो अन्तर राज्यिक ब्यापार और व्यवसाय के लिये विशेष महत्व रखते है उनकी घोषणा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट धारा १४ में की गई थी, राज्य सरकारों को अधिकार कि किस माल पर कितना सेल्स टैक्स लगे, क्या उसकी दर हो, वह खुद को है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने घोषित मालों के बारे में राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित कर दिया है। हम उसके बाहर नहीं जा सकते है। वह सीमा थी कि अधिकतम दर २ प्रतिशत होगी और दूसरी सीमा यह कि वह टैक्स केवल एक स्थान पर लगेगा। ये दो सीमायें केन्द्रीय सरकार ने बांध रखी थीं घोषित मालों के सम्बन्ध में। हमने उसके अनुरूप अपने ऐक्ट में व्यवस्था कर रखी थी जो धारा ३ (क) (क) में है। उसमें यह है कि घोषित मालों पर सेल्स टैक्स की अधिकतम दर २ प्रतिशत होगी। किस माल पर कितनी होगी, यह सरकार गजट में विज्ञापित करके निर्धारित करेगी। इसके माने यह नहीं हैं कि हर माल पर २ प्रतिशत लगेगा। हमारे ऐक्ट की धारा ३ (क) (क) में लिखा है कि वह सेल्स टैक्स एक पदीय हो गया। जहां रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा माल किसी अन-रजिस्टर्ड व्यापारी या उपोभोक्ता को बेचा जाय वहां, यानी बिक्री के अन्तिम प्वाइंट पर, वह टैक्स लगेगा। इन दोनों बातों की व्यवस्था हमने भी कर रखी है। अब केन्द्रीय सरकार ने

[श्री जयराम वर्मा]

जो सीमा हमारे ऊपर बांधी थी उसमें परिवर्तन कर दिया कि अधिकतम दर २ के बजाय ३ प्रतिशत होगी, इसी अधिकार की सीमा का परिवर्तन हम अपने ऐक्ट में कर रहे है, और कोई बात नहीं है। राज्यों के लिये केन्द्रीय सरकार ने अपने ऐक्ट में परिवर्तन कर दिया। यह उन्होंने मार्च में किया था और लागू किया है पहली जुलाई, १९६६ से। हमने ६ जुलाई से लागू किया।

कुछ माननीय सदस्यों को और खास तौर से वकील श्री कमलासिंह जी को यह एतराज है कि जो शब्द लिखे गये हैं वे क्यों लिखे गये है। शब्दों के लिखने की एक मंशा है। अगर इस तरह के शब्द पहले से लिखे होते तो आज हमें उस सीमा में परिवर्तन करने लिये कोई संशोधन नहीं करना पड़ता। इसलिये हम ऐसा संशोधन कर रहे है कि केन्द्रिय सरकार हमारी अधिकार सीमा में कोई परिवर्तन करे तो हमको अपन अधिनियम में कोई परिवर्तन न करना पड़े। अगर केन्द्रीय सरकार बार-बार हमारी अधिकार सीमा में परिवर्तन करे तो हमको कोई परिवर्तन न करना पड़े। हमने न ३ कहा, न २ या १ कहा है। हम चाहते है कि आपको बारबार तकलीफ न दें। जो अअधिकार की सीमा केन्द्रीय सरकार नियत करे वही हम ले रहे हैं। यह कौन सी अकलमन्दी की बात है कि केन्द्रीय सरकार हमारे अधिकार की सीमा बढ़ाकर नियत करे और हम कहें कि हम नहीं लेते हैं। यदि ऐसा हो तो वह कहेंगे कि हम उन से पैसा क्यों मांगते हैं जबकि हम उनकी निर्धारित सीमा को अपनी सीमा नहीं मानते है। इसके माने यह भी नहीं है कि जितने घोषित माल हैं उन सब पर हमने उस संशोधन से ३ परसेंट बिक्रीकर लगा दिया। किस माल पर और क्या दर होगी, यह हम अपने गजट में विज्ञापित करके निर्धारित करेंगे। यह अधिकार हमें है। इसलिये इसमें कोई शब्दों का सवाल नहीं है।

अध्यादेश जारी हो गया और ६ जुलाई से हमने उस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी और हमने इसमें कुछ संशोधन किया है। संशोधन यह किया है कि अब जो अधिकार मिल गया है उसके आधार पर ३ चीजों पर हमने पहले की दर में संशोधन किया। ये तीन चीजें हैं कोयला, लोहा और आयरन ऐन्ड स्टील। इन तीन चीजों पर हमने ३ प्रतिशत किया है। लेकिन जो इसमें और भी चीजें लिखी हैं जैसा कि आपने देखा होगा उन पर नहीं किया है। तीसरे नम्बर पर लिखा है खालें और चमड़े। उसकी दर में हमने कोई संशोधन नहीं किया है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान्जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह अधिकार सीमा हो जाने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि हम सब चीजों पर कर बढ़ा ही दें। जहां तक खालों और चमड़ों का संबंध है हमने वही दर रखी है जो पहले थी। इसी प्रकार तिलहन की दर में भी कोई तब्दीली नहीं की गयी है।

इसके बाद नंबर ५ पर पटसन रखा हुआ है। जूट के बारे में भी हमने कोई तब्दीली नहीं की है। जूट को हमने सेल्स टैक्स के बजाय परचेज टैक्स में रख दिया है लेकिन दर में हमने कोई तब्दीली नहीं की है। जिन तीन चीजों में हमने तरमीम की है वह गजट में विज्ञापित करके निर्धारित किया है। अन्य मालों के बारें में जब हम गजट में विज्ञापित कर देंगे तब वह लागू होगा।

अब कुछ माननीय सदस्यों को उपभोक्ता के बारे में कुछ संदेह है कि उपभोक्ता को इससे परेशानी होगी। जिन मालों का इसमें जिक्र किया गया है वह अन्तर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय के लिये विशेष महत्व रखते है। जहां तक काटन का सवाल है, काटन ज्यादातर मिल वाले खरीदते हैं।

वह रुई मगांकर बेचते नहीं हैं बल्कि वह उसका कपड़ा बनाते हैं इसलिये मिल ही इस काम के लिये उपभोक्ता हो गई। जब वह बेचेंगे तो उनके इस कर को देने का सवाल ही नहीं है। वह तो उसका कपड़ा बनावेंगे और जब वह कपड़ा बनायेंगे तो उस पर ऐडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती ही है। जब उसकी शक्ल रुई से कपड़े की हो गई तो वह माल ही दूसरा हो गया रुई और कपड़े में अन्तर है वह दोनों माल-अलग-अलग हैं। छोटे-छोटे उपभोक्ता तो रुई को अधिक तादाद मे माल लेते नहीं, वह मिल वाले ही बड़ी तादाद में खरीदते हैं।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर सेल्स टैक्स की दर कम रखें तो हम बाहर से ज्यादा माल मंगा सकेंगे। अगर बाहर से उन की मन्शा विदेश से है तो बाहर का माल तो अब मुद्रा अवमूल्यन से और मंहगा हो गया और हमारे सामान को वह कम्पीट नहीं कर सकते। उसकी कीमत और ज्यादा होगी इसलिये उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। दूसरे जो माल मिल-मालिक कपड़ा बनाने के लिये मंगाते हैं तो उन पर इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स पड़ेगा और प्रदेश के अन्दर किसी तरह का कोई बिक्रीकर नहीं पड़ेगा। इन्टर स्टेट की दर धारा ८ के अनुसार है ३ प्रतिशत की और बाहर के सूबे से मंगाने पर वही लगेगी पहले वह दर २ प्रतिशत की थी अभी जो धारा १५ में केन्द्रीय सरकार ने संशोधन किया तो उन्होंने धारा ८ में भी सेल्स टैक्स की इन्टर स्टेट दर ३ प्रतिशत कर दी। दूसरे प्रदेश से मंगाते हैं तब भी वही हाल है और अपने यहां से भी लेते हैं तो ३ प्रतिशत ही लगेगा। इसमें छोटे-छोटे उपभोक्ताओं का मामला कहां से आ गया और शुद्ध रुई का प्रश्न कहां से आता है। दूसरे माल की भी यही बात है।

एक सूत्री कर का मतलब यह है कि जब तक एक माल उसी शक्ल में रहता है तब तक उस पर केवल एक स्थान पर कर लगेगा, लेकिन अगर उसकी शक्ल बदल जाती है तब उसकी कटेगरी बदलेगी। चमड़ा और जूता अलग-अलग चीज है। चमड़ा जब तक चमड़े की शक्ल में रहेगा चाहे उसके दस ट्रान्जैक्शन हों एक सूत्री कर ही लगेगा और वहां पर जहां रजिस्टर्ड व्यापारी अनरजिस्टर्ड व्यपारी या उपभोक्ता के हाथ में बेचता है उसी शक्ल में प्रयोग करके के लिये, कर लगेगा।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अगर दिल्ली से कोई माल ले आये दूसरी स्टेट में या दूसरी स्टेट से दिल्ली में ले जाय तो केन्द्रीय सरकार की दो दरे हैं। यह तो इन्टर स्टेट कर है वह सब के ऊपर लागू होता है चाहे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान कहीं से कहीं ले जाय। वह २ प्रतिशत की जगह ३ प्रतिशत कर दिया है। धारा १५ में भी अधिकतम सीमा ३ प्रतिशत है। दिल्ली से माल हम चाहे अपनी स्टेट में लायें और चाहे यहां से कोई दिल्ली ले जाये तो दोनों सूरतों में ३ प्रतिशत देना पड़ेगा तो इससे उसमें कोई फर्क नहीं है। यह बात सही है कि सेल्स टैक्स की दर कुछ ऐसी होनी चाहिये कि उसका व्यापार पर बुरा असर न पड़े और हमारे प्रदेश के औद्योगीकरण पर बुरा असर न पड़े अन्यथा इसमें शिथिलता आ सकती है। अभी हाल में ४ स्टेट्स की आपस में एक बैठक हुयी जिसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश थे और प्लानिंग कमीशन के सामने यह तय किया गया कि प्रदेशों में विभन्न दरों के होने से बुरा असर पड़ता है। एक जगह के व्यापार पर जहां पर दर ज्यादा होगी दूसरी जगह के व्यापार की अपेक्षा जिस स्टेट में कम दर होगी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। अतः यह विचार हुआ क इन चार स्टेट्स में, जो एक दूसरे से मिलती हैं, एक यूनि-फार्म रेट रहना चाहिये। इसमें सीमा दिया हुआ है कि कौन सी सीमा हम बाधेंगे और वे कौन सी सीमा बाधेंगे। दूसरी स्टेट्स में पके हुये भोजन पर २ प्रतिशत दर थी जबकि हमारे यहां पर १ प्रतिशत थी। हम इस दर को बढ़ाना तो नहीं चाहते थे लेकिन समझौते केअनुसार २ प्रतिशत करना पड़ा ताकि कोई भिन्नता मालूम न पड़े और इन प्रदेशों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

जहां तक २ प्रतिशत से ३ प्रतिशत करने का सवाल है, तो वह बढ़ा तो जरूर है लेकिन इसका कोई बुरा असर व्यापार पर नहीं पड़ेगा। यहां मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह बढ़ोत्तरी इन्डस्ट्रीज विभाग की भी साह से की गयी है। इसे वित्त विभाग ने अपने आप ही किया हो, ऐसी बात नहीं है। माननीय कमला सिंह जी नेजो संशोधन पेश किया है, श्रीमान जी, चाहे उद्देश्य और कारण ऐक्ट का हिस्सा हो या न हो, लेकिन हमें यह देखना है कि हम इस संशोधन को क्यों लाये, इसकी मंशा

[श्री जयराम वर्मा]

क्या है। इसकी मंशा केवल यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऐक्ट की धारा १५ के अन्दर जो अधिकार सीमा बढ़ा दिया है उसके अनुरूप हम अपने ऐक्ट में संशोधन कर लें।

एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यहां पर यह घोषणा की गयी, सरकार की तरफ से, कि कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं और यह उसके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि घोषणा यह की गयी थी कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे और हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं।

श्री कमला सिंह यादव—

मैं जानना चाहता हूं कि कितनी आमदनी मंत्री जी को होगी इससे ?

श्री जयराम वर्मा—

यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जितनी हमारी आमदनी थी उस की ड्योढ़ी हो जायेगी। इस से बिक्री कम नहीं होगी, जैसी आपकी शंका है। अब तो स्वदेशी भावना बढ़ने दीजिये। अब तो इम्पोर्टेड माल बहुत महंगा पड़ेगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

आप जब कहते हैं कि तीन परसेंट टैक्सेसन लगाने से ड्योढ़ी आमदनी हो जायेगी तो इंसीडेंस आफ टैक्सेशन जो कंज्यूमर के ऊपर है वह ड्योढ़ा नहीं होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

जो इस्तेमाल करता है उस पर तो पड़ता ही है। लेकिन जो आपने व्यापार के लिये कहा, तो व्यापार गड़बड़ नहीं होगा। अब तक हमारी आमदनी रा काटन पर बिक्री कर से १९६४-६५ में १ लाख ६२ हजार थी। और अब चूंकि ६ जुलाई से नई बर लागू हो रही है इसलिये अन्दाज है कि ५० हजार की इन्कम हमारी बढ़ेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

१ लाख ही है केवल।

श्री जयराम वर्मा—

१ लाख ६२ हजार साल भर की है। आयरन और स्टील में हमारी आमदनी ६४-६५ में ९२ लाख ७७ हजार की थी और अन्दाज है कि पूरे साल में ड्योढ़ी हो जायगी। लेकिन अब चूंकि साल भर नहीं रह गया है इसलिये डेयोढ़ी नहीं होगी। कुछ कम होगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

कन्ज्यूमर गुड्स की कीमतें ड्योढ़ी होंगी कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ड्योढ़ी नहीं होंगी। यह तो रा मेटिरियल पर है।

श्री जयराम वर्मा—

१०० पैसे पर १ पैसा बढ़े तो ड्योढ़ी कहां हो जायगी ?

इन शब्दों के साथ में माननीय कमला सिंह द्वारा उपस्थित संशोधन का विरोध करता हूं और उन से कहता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब १०० में एक नया पैसा बढ़ाते हैं तो ड्योढ़ा वसूल करते हैं व्यापारी लोग।

श्री जयराम वर्मा--

सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ।

*श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह बिलकुल असंतोषनजक है । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह मेरी समझ में नहीं आता, वह बड़ा भ्रान्ति पूर्ण है । शायद उनका गला घोंट कर कहा गया है कि ऐसा संशोधन सदन में रखो । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह आनुषंगिक संशोधन इसलिये रखा है कि केन्द्रीय सरकार जब जब जिस प्रकार संशोधन करे वही हमारे यहां भी आटोमेटिकली संशोधन हो जाय और उस पर यहां चर्चा न हो । अगर माननीय मंत्री जी गांधी जी के भक्त हैं और उनका जनतंत्र इसमें विश्वास करता है कि एक बार ऐक्ट बन जाय फिर विधान उभा में विचार न हो तो मैं समझता हूं कि यह चीज डिक्टेटरशिप को छोड़कर दूसरी चीज नहीं हो सकती । सरकार का यह रवैया रहा है कि रोडवेज में टैक्सेशन का अधिकार ५ परसेंटेज तक करने का ले लिया और अब वह १५ परसेंट तक हो गया जबकि विधान सभा के सदस्यों को उसका पता तक नहीं चला जबकि नियमानुसार वह हमारे सामने आना चाहिये था । गजट सरकार के हाथ में है लेकिन हर आदमी उसे पढ़ता नहीं । कभी २३ दिसम्बर, १९६५ को गजट किया और कभी ३० जून, १९६६ को गजट किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल गजट में कोई गलती नहीं थी । असेम्बली के कागज में गलती नहीं थी ।

श्री कमलासिंह यादव--

गजट असेम्बली का कागज नहीं है । यह कागज सरकार का है । सरकार ने बिल बनाकर यहां भेजा है और हम उसका कोई रूप नहीं बदल सकते और गवर्नर महोदय ने जिस रूप में उसे भेजा उसी रूप में यह सदन के सामने प्रस्तुत हुआ । इसलिये असेम्बली से कोई गलती नहीं हुई, यह सरकार की गलती है । हमारे प्रदेश के अन्दर इस सेल्स टैक्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? सरकार जब चाहे इस टैक्स को बढ़ा दे यह जनतांत्रिक प्रणाली नहीं होगी, केवल डिक्टेटरशिप होगी । ऐसी हालत में वर्मा जी ने जो इस प्रकार का यह संशोधन रखा है यह कोई नई बात नहीं है । हम तो समझते हैं कि हमें सरकार को हमेशा के लिये यह अधिकार दे देना चाहिये कि वह चाहे जिस रूप में जब चाहे विधेयक को रख दे और वह पास समझा जायगा ।

जहां तक मंत्री जी ने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट की धारा १५ जो है उसके मुताबिक हम करेंगे, तो जब हम धारा १५ को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है "Restrictions and conditions in regard to tax on sale or purchase of declared goods within a State" और हमारे यहां माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि चार स्टेट्स ने मिल कर यह तय किया है कि हम लोगों की सीमा एकसी होनी चाहिये इसलिये हम यह कर रहे हैं जैसा कि फूड के बारे में मंत्रीजी ने बतलाया कि पहले एक पैसा था, अब दो पैसे कर दिया गया है । मैं मंत्रीजी से पूछता हूं कि आज कोई उत्तर प्रदेश में खाना खाये और दिल्ली में खाये तो कौन खाना मंहगा मिलेगा ? मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आज भी दिल्ली में खाना यहां के मुकाबले में सस्ता मिल रहा है । अगर हम इतना भी नहीं समझ पाते कि अगर और प्रदेशों की तरह हम भी अपने यहां सेल्स टैक्स बढ़ा दें और चीजें इतनी मंहगी हो जायं कि उसका आम जनता पर असर पड़े तो मैं समझता हूं कि ऐसा संशोधन हमें कभी भी पास नहीं करना चाहिये । अगर उतने ही पैसे में वह चीज यहां मिले जितने में दूसरे प्रदेश में तब तो कोई बात नहीं है लेकिन यह कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है ।

जहां तक मंत्री जी ने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार तीन पैसे कर रही है और हमें भी वही करना चाहिये तो मैं तो साफ कहना लाहता हूं कि जो चार संबंधित स्टेट्स हैं यह कहां की गारन्टी है कि जो सीमा आपने बांधी है वही वह स्टेट्स भी कर रही है ? हो सकता है कि कोई स्टेट एक पैसा लगाये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

कोई दो पैसे, कोई ढाई-तीन पैसे लगा दे। तो इस तरह का वैरिएशन हर स्टेट में हो सकता है। अगर केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि जो तीन पैसे हमने लगाये हैं वही लगेगा तो हमारी सरकार को ऐसी व्यवस्था करने की क्या जरुरत थी। तो केन्द्रीय सरकार जो करे वही हम भी करें, यह उचित नहीं है। हमें अपनी परिस्थिति को देखना पड़ेगा और फिर जो उचित हो वह करना चाहिये। तो मंत्रीजी जो दलील देते हैं, मैं समझता हूं वह बिलकुल खोखली है।

श्री कृष्णानन्द राय---

कोई प्रेस वाला नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

मुझे बड़ा अफसोस होता है अगर कृष्णानन्द जी ऐसे आदमी ऐसी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने आपको आगाह कर दिया।

श्री कमलासिंह यादव---

शायद कृष्णानन्द जी की बात ज्यादा छपती है इसलिये वे कहते हैं कि प्रेस रिपोर्ट्स नहीं हैं।

मैं कह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती जा रही है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि यहां सामान दिनों दिन मंहगा होता जा रहा है। यह कारण नहीं है कि सामान नहीं मिल रहा है बल्कि सरकार उसमें टैक्सेशन कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

पूरा सेल्स टैक्स तो डिसकशन में नहीं है, केवल एक अमेंडमेंट है।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, अगर इस पर भी आप न बोलने दें तो ठीक नहीं है। अभी तक देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लैंड रेवेन्यू २६ करोड़ हो गया है, स्टेट एक्साइज १२ करोड़, स्टाम्प का ९ करोड़ है और जनरल सेल्स टैक्स का रुपया १९ करोड़ हो गया है, जब कि भारत सरकार का सेल्स टैक्स केवल १२,४३७ करोड़ है। जब इंडिया के मुकाबले में हमारे यहां का सेल्स टैक्स इतना ज्यादा जा रहा है तो सामान महंगा होगा ही और सामान महंगा करने के लिये इस तरह से सेल्स टैक्स लगाना अपने प्रदेश का दुर्भाग्य है। मुझे ताज्जुब हुआ जब कि सेल्स टैक्स दो पैसे लगाया गया। इसके बाद १८ साल के बाद तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष---

अब इसी आइटम पर आ जाइये। सारा सेल्स टैक्स थोड़े ही लिया जायेगा।

श्री कमलासिंह यादव---

अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भाषण न करें तो कोई बात नहीं है। अगर आप कहें तो हम बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, नहीं, आप कहें।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी मंत्री जी ने कहा था कि वे सिंगल प्वाइंट टैक्सेसन लगाना चाहते हैं और वह भी अंतिम स्थान पर। मैं मंत्री जी का ध्यान धारा ३ और ३(१) की ओर दिलाना चाहता हूं। धारा ३ में जो सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन का जिक्र है उसी तक आप अपने को सीमित रखिये और देखें कि परिस्थिति क्या होगी? धारा ३(२१) (ए) (२) में एक एक्जेम्पशन दिया गया है कि "(2) Unless the dealer proves otherwise, every sale by a dealer shall, for the purposes of Sub-section (1) be presumed to be to a consumer."

मैं चाहता हूं कि धारा ३ (ए) (ए) (१) को भी पढ़ा समझा जाये क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सिर्फ जरूरी पोर्शन पढ़ना चाहता हूं। ऊपर के में हर चीज का एक्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन दूसरे खंड में एक्जेम्पशन डीलर को दिया गया है। वह डील वही है जो प्रपत्र (क) में रजिस्टर्ड है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को पता नहीं होगा कि कितने रजिस्टर्ड डीलर्स हैं इसमें खास चीज यह है कि 'Certified that the goods specified below ordered for in my/our purchaser Order No.....dated.....supplied under Chalan, Invoice No.....Dated.....are for resale in the same conditions."

इसी तरीके से मंत्री जी ने कहा कि चमड़ा जो खरीदता है और दूसरे को बेचेगा तो व्यापारी पर सेल्स टैक्स नहीं है लेकिन कंज्यूमर पर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो धोखे की टट्टी आपने लगा रखी है उसका शिकार कौन हो रहा है। इसमें यदि मान लिया जाय कि 'क' ने कोई माल 'ख' को बेचा और वह रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो वह भी कंज्यूमर समझा जायगा और उस पर भी सेल्स टैक्स पड़ेगा। केवल जो डीलर रजिस्टर्ड होगा वही सेल्स टैक्स से एग्जेम्पट होगा। इसलिये हो सकता है कि बख्शी-का-तालाब से चमड़ा वगैरह खरीदे और उसे गाजीपुर ले जाये तो एक आदमी जो दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर करता है वह कंज्यूमर समझा जायगा। तो यह सिंगल प्वांन्यट तो कहने के लिये है, लेकिन जितने भी लोग प्रपत्र 'ग' के अन्दर रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं होंगे, वे सभी कंज्यूमर समझे जायेंगे और सबसे सेल्स टैक्स वसूल किया जायगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी का ध्यान में १९६५ का जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है, उसके पृष्ठ, २७ की तरफ दिलाना चाहता हूं, इसमें यह दिया गया है कि करीब ३०.६७ लाख रुपये का यह सवाल था। जैसे 'क' ने एक माल को खरीदा और उसे 'क' ने 'ख' को बेचा, 'ख' ने 'ग' को बेचा और 'ग' ने बम्बई के किसी व्यापारी को उसे बेचा और उसने माल मूव नहीं किया। तो उस वक्त सेल कम्पलीट होगा और हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने ऐसे आदेश दिये कि केन्द्रीय सरकार ही इस पर टैक्स लगा सकती है अपने प्रदेश की सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। इस तरह से नतीजा यह हुआ कि जो टैक्स हमें मिलना चाहिये था वह हमें नहीं मिला और यह निर्णय हुआ कि चूंकि केन्द्रीय चीज थी और इसलिये केन्द्रीय सरकार ही उसे लगा सकती थी और इस तरह से करीब १७ करोड़ रुपये कम का टैक्स लगाया गया। इसलिये यदि मंत्री महोदय आडिटर महोदय की रिपोर्ट पर ध्यान देते तो जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं वह दूर हो सकती हैं और जो मंत्री जी का कहना है कि हम सिंगल प्वाइन्ट सेल्स टैक्स लगाते हैं इसमें भी बहुत गड़बड़ है। क्योंकि यह आदेश फिर रिवाइज हुआ। नतीजा यह हुआ कि कितने लोगों ने बेचा था और लोगों से टैक्स वसूल हुआ हालांकि सरकार ने छोड़ दिया जिससे ज्यादा मिले। मैं समझता हूं कि यह प्रवृति गलत है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

रिप्लाई में तो इतना समय नहीं लिया जाता, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल्स के लिये तो ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन यादवजी के गुड सेन्स को अपील करते हुये मैं चाहता हूं कि वह जल्दी समाप्त कर दें ।

श्री कमलासिंह यादव—

कुछ व्यापारियों ने इंटर-स्टेट जो सामान डिक्लेयर्ड हैं उनका व्यापार किया और लाखों रुपया पैदा करने के बाद उस दूकान को छोड़ दिया और दूसरे के नाम से दूकान खोल दिया । इस तरह से लोग टैक्स का इवेजन करते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती है । तो मैं कहता हूं कि टैक्स बढ़ाने के बजाय यह होना चाहिये कि टैक्स जो है वह ठीक तरह से वसूल हो जाय तो सरकार को ज्यादा आमदनी हो सकती है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है । आपके विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और जब आप विधिवत् सदन का विश्वास प्राप्त कर लें तभी आप यहां नैतिक रूप से बैठ सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी कोई प्रथा कहीं नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

यह तो आपका नैतिक कर्तव्य है । माननीय खेर साहब ने ऐसा किया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी जगह ऐसी प्रथा नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

जब आप ही वहां से बैठकर अनैतिकता करते हैं तो क्या कहा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस समय पौने तीन बजे हैं, कल वाला वक्त है, आप इसको जरा समझ लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छी बात है ।

श्री कमलासिंह यादव—

जिस वक्त प्रस्ताव आता उस वक्त यह बात होती तो अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब उग्रसेन जी को कौन रोक सकता है ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि सरकार इवेजन को नहीं रोक पा रही है ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

रिप्लाई के भाषण के अन्दर इस प्रकार की बातें तो नहीं कही जा सकतीं। यह तो उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादव जी, इस बात का ख्याल अवश्य रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे अफसोस यह है कि यह डिक्टेटोरियल तरीका है जो माननीय बनारसी दास जी ने की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपसे यह प्रार्थना है कि सारे सेल्स टैक्स की बातें न करें।

श्री कमलासिंह यादव—

जो बातें मंत्री जी द्वारा कही गयीं उनका जवाब तो मैं दूंगा ही, उसके लिये मुझे कोई नहीं रोक सकता। माननीय मंत्री जी नें यह बतलाया कि वे सूत पर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। यह बात अच्छी है लेकिन सिंगिल प्वाइंट की बात जो धारा ३ में कही गयी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाय। अवमूल्यन वाली बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जितनी मात्रा में सामान निर्यात होगा हमारा प्रदेश उतना ही धनी होगा और इतनी आमदनी बढ़ेगी.....

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में कोरम है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। आप को गिनकर ही ऐसी बात कहनी चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि रूई की चीज जब एक जगह से दूसरी जगह जायगी और वह रूई ही रहेगी तो सिंगिल प्वाइन्ट ही उस पर लगेगा। जब वह रूई दूसरी चीज में बदल जायगी तो दूसरी चीज मानी जायगी और उस पर टैक्स दूसरा होगा। रूई जब गद्दे की शक्ल में हो जायगी तो दूसरी चीज मानी जायगी। तो इस तरीके पर उस पर ९ परसेन्ट हो जायगा। कहने के लिये वह ३ परसेन्ट है लेकिन उसका तिगुना हो जायगा .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आप कई दफा कह चुके हैं। उसको ही जब बार-बार कहा जायेगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री कमलासिंह यादव—

इसी प्रकार की चद्दर की बात है। एक तरफ सरकार अग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्टस अधिक से अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है तो सरकार को उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिये। सरकार को यह अग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स बढ़ाने चाहिये लेकिन जब चद्दर उनको प्राप्त नहीं होगी तो कैसे ये बनेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी ही खतम कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव---

आप की आज्ञा है तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो संशोधन मैंने जिस रूप में सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाय ।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह वही रिपीटीशन है जो वह पहले कह चुके हैं । जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मैं उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक" के स्थान पर " १ नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३,१ प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ ऐक्ट, १९४८, को संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त नाम — १---यह विधेयक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ कहलायेगा ।

निरसन तथा अपवाद उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९६६ — ३---(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ;

(२) इस निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम ६ जुलाई, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६*

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

श्रीमन, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले और चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन कर लिया जाय कि गजट में ४ जुलाई छपा हुआ है हिन्दी में भी और अंग्रेजी में भी जो अध्यादेश है उसमें चार है लेकिन गलती से हिन्दी वाले में ७ हो गया है। इस लिय इसे सही कर लिया जाय।

यह श्रीमन्, एक छोटा सा विधेयक है। धारा १२ में यह संशोधन किया जा रहा है कि पहले पंचायतों के चुनाव की अवधि सरकार को एक साल बढ़ाने का अधिकार था और चुनाव हर पांच साल बाद होते थे, उसमें अब सरकार को एक साल के स्थान पर तीन साल तक चुनाव बढ़ाने का अधिकार दिया जा रहा है। यह आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पंचयतों के चुनाव ६ जुलाई, १९६० से आरम्भ हुए थे और जनवरी, १९६१ तक पूरे हुए और अब यह चुनाव १९६६ की ६ जुलाई तक हो जाने चाहिये थे एक साल की अवधि बढ़ाने के बाद। इसीलिये ४ जुलाई को यह अध्यादेश निकाला गया। चुनाव इतने थोड़े समय में हो नहीं सकते थे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

आप ने जो गजट की बात कही है कि ५ जुलाई, को हो गया, ७ को नहीं, उस की प्रतिलिपि दे दी जाय।

(गजट की प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पास भिजवाई गई।)

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बीच केन्द्रीय सरकार ने पंचायती राज एलेक्शन के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठायी थी। उस ने यह रेकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम में जो तीन टायर सिस्टम हैं उन के चुनाव एक ही साथ होने चाहिये। और यह इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि अगर गांव पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के चुनाव एक साथ न किये जायं तो उसमें एक बड़ी एनामोली पैदा हो जाती है। ऐक्ट में है कि गांव पंचायत के प्रधान ही क्षेत्र समिति के एक्स आफिशियो मेम्बर हो जाते हैं। अगर गांव पंचायत के चुनाव आज हो जायं और क्षेत्र समिति के चुनाव ६८ में हों तो क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होंगे। इसी प्रकार क्षेत्र समिति के प्रमुख जिला परिषद् के एक्स आफिशियो सदस्य होते हैं। जिला परिषद् का कार्यकाल १९६२ से १९६७ तक का है। अब जिला परिषदें चूंकि १९६३ में बनी इसलिये उनका समय १९५८ में समाप्त होता है। संथानम कमेटी ने एक और सिफारिश की थी कि जिस साल पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव हों उस साल यह चुनाव न किये जायं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संथानम कमेटी की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और उसके तहत चूंकि इस साल जनरल एलेक्शन्स होने वाले हैं इसलिये सरकार चाहती है कि पंचायत के चुनाव का समय दो साल और बढ़ा दिया जाय। दो साल का समय बढ़ जाने पर, सरकार का यह टेंटेटिव प्रोग्राम है कि सितम्बर और नवम्बर के बीच गांव पंचायतों का, जनवरी और मार्च के बीच क्षेत्र समितियों का और जून और अगस्त के बीच में जिला परिषदों का चुनाव १९६८ तक करा दिया जायगा ताकि थ्री टायर सिस्टम का क्रमिक चुनाव कराया जा सके। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी धारा १२ (बी) में यह थोड़ा सा संशोधन किया है कि प्रत्येक गांव पंचायत का कार्य काल पांच वर्ष अथवा, यदि राज्य सरकार सरकारी गजट में

---

*२२ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

विज्ञप्ति द्वारा इस प्रकार घोषणा करे तो आठ वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये होगा जो वह निश्चय करे। मैं समझता हूं कि सभी तरफ के सदस्य इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

संथानम कमेटी की रिपोर्ट कब आ गयी थी, मंत्री जी बतायेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

संथानम कमेटी ३–४ साल पहले नियुक्त की थी। उसकी रिपोर्ट पिछले साल आ गयी। उस पर आल इंडिया मिनिस्टर्स कान्फरेंस में डिस्कशन हुआ। विभिन्न स्टेट्स ने स्वीकार किया रिपोर्ट को, और इस प्रदेश ने भी स्वीकार किया।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक समिति को सुपुर्द किया जाय जो १ सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं तो अवाक रह गया यह सुन कर कि बंशीधर जी जैसे विद्वान आदमी जब बोले तो इस बिल के उद्देश्य और कारण में लिखा है उसके विरुद्ध दूसरी बात कही है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी कहने की भाषा दूसरी है और लिखने के लिये दूसरी है। इससे पता लगा कि इस सरकार को जनता का कोई विश्वास नहीं है कि किस क्षण में क्या करेगी। बिल में साफ तौर से संथानम रिपोर्ट को स्वीकार किया है और दूसरे यह कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के अगले निर्वाचन क्रमशः मई, १९६७ तक जून, १९६८ में होने हैं जब कि गांव पंचायत का बढ़ाया गया कार्यकाल ६ जुलाई १९६६ को समाप्त होने को था। मैं तो आज मंत्री जी से जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी गांव सभाएं हैं जिनका कार्यकाल ६ जुलाई १९६६ को समाप्त होने वाला है। इसका भी जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब पूरा बता दिया।

श्री कमलासिंह यादव—

इसका मतलब यह है कि एकीकरण हमारे यहां है। तो जिस रूप में संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मतलब होगा कि ३ साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जायगा। ५ साल पहले ही था, इस तरह से ८ साल के लिए बढ़ा दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

एक साल तो विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें है धारा १२ (जी) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक गांव पंचायत का कार्यकाल ५ वर्ष बाद, यदि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा करे तो ८ वर्ष से अनधिक इस अवधि के लिए होगा जो वह निश्चित करे। धारा १२ क्या है श्रीमन्.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

हम बिना पढ़े भी समझते हैं, ये पढ़ कर भी नहीं समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

अब ६ की जगह ८ हो जायेगा, इतना फर्क हो जायेगा। जिसके दिमाग का दिवाला निकल गया हो वही इस तरह की बात को सोच सकता है। जहां तक पंचायत राज की व्यवस्था का प्रश्न है, आपने वह बहुत अच्छी व्यवस्था बनायी है। आप देखें कि गांव सभाओं के प्रधानों का चुनाव जो होगा वह इन्हीं प्रधानों के जरिये होगा, ब्लाकों के अध्यक्षों का चुनाव भी तथा जिला परिषद् के मेम्बरों का चुनाव इन्हीं लोगों के जरिये से होगा। इसके बाद यह जो चौथा टायर होगा, काउन्सिल के मेम्बरों का चुनाव भी यही करेंगे। गांव के पंचों का चुनाव भी यही करेंगे। इस तरह से यह सब जो चारों टायर हैं आप के यदि यह साथ साथ चलते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। माननीय मन्त्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम सब प्लानिंग में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे सामने एक ही ध्येय है कि वह सफल हो। हर ५वें साल प्लान तैयार होता है। इसलिये हमें चाहिये कि यह चारों टायर ऐसे बनाये जायं जिससे हमारी प्लान का काम चलता रहे। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उससे बड़ी गड़बड़ी होगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाय, लड़ाई आदि होने लगी, तो विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाये तो ठीक है। किन्तु साधारण परिस्थिति में ऐसा करना जनतंत्र की विचारधारा के यह बिलकुल विपरीत होगा। इसमें यह कर दिया जाय कि विशेष परिस्थिति जब विद्यमान हों।

मान्यवर, मैंने २ साल की म्याद का जो संशोधन रखा है वह बहुत उचित है, सरकार को उसे मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो आप प्रवर समिति वाली बात कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर अगस्त, १९६६ में यह बिल पास होगा तो उसके बाद दो साल की मियाद काफी है। जून के बाद जुलाई और अगस्त दो महीने और दे रहे हैं। जून तक अगर निर्वाचन नहीं कर सकें तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार अगर मनमाने ढंग पर काम करना चाहती है तो दूसरी बात है। अब जो संशोधन की बात कही गई, मैं क्यों सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहता हूं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पहिली बात यह है कि जहां तक कार्यकाल का सवाल है उसमें चार टायर्स में एक दूसरे का संतुलन हो। एक तो यह करना है और वहां पर एक जगह बैठ कर हर आदमी विचार कर सकता।

माननीय मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में संथानम् कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी कहा परन्तु वह भी रिपोर्ट हमको देखने का मौका नहीं मिला। यदि माननीय मंत्री महोदय ऐसा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते तो सदन की टेबुल पर यह चीज आनी चाहिये। जहां हम लोग संशोधन तक नहीं पा सके, जबानी पढ़ना पड़ता है तो और क्या हम उम्मीद करें। इसलिये मैं चाहूंगा कि संथानम् कमेटी की जो रिपोर्ट है या भविष्य में और बिल आते हैं उसके जो आधार हैं उन सब आधारों को टेबुल पर जरूर रखना चाहिये। सन्थानम् कमेटी की रिपोर्ट को माननीय मंत्री ने कहा है कि हमने इसको माना है।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, यह जो विधेयक है यह सन्थानम् कमेटी रिपोर्ट पर बहस का नहीं है। संशोधन से सम्बन्धित उसूलों पर ही बहस होनी चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बेचन राम ने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जो मेरा भाषण हो रहा है उसको चेक करने का अधिकार केवल आपका है।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने आप का ध्यान ही तो दिलाया है।

श्री कमलासिंह यादव---

अगर इस तरह सब ध्यान दिलायगे तो भाषण हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

सवाल जवाब तो आप भी कर देते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय कृष्णानन्द जी बैठे-बैठे बोल देते हैं। लेकिन यहां तो उनको बोलने का आपने मौका दिया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ गये इसलिये मैंने मौका दे दिया।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय बेचनराम जी बहुत विद्वान हैं और कांग्रेस के एडवोकेट जनरल हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन मैं माननीय बेचनराम जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि जो पंचायती राज ऐक्ट और विधेयक प्रस्तुत है उसके उद्देश्य और कारण को उन्होंने देखने का कष्ट नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वे उद्देश्य और कारण भी देख लेते तो उन्हें ये सब कहने का कष्ट न उठाना पड़ता। इसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा पंचायत राज निर्वाचन प्रणाली के सम्बन्ध में नियुक्त किसी भी समिति का जो सामान्यतया सन्थानम् कमेटी के नाम से ज्ञात है, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदों का निर्वाचन थोड़ी ही अवधि में पूरा कर लिया जाना चाहिये। तो मैं माननीय बेचनराम जी से बतलाना चाहता हूं कि जो सन्थानम् कमेटी की सिफारिश है उसी के आधार पर बिल लाया गया है कि जल्दी से जल्दी निर्वाचन हो सके। निर्वाचन जल्द करने की बात कही गई है और यह भी माननीया मुख्य मन्त्री ने कहा है कि हमारी कैबिनेट इस बात को स्वीकार करती है कि जल्दी से जल्दी निर्वाचन होना चाहिये। लेकिन हम कथनी और करनी दोनों में फर्क देख रहे हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि हम जल्दी से जल्दी निर्वाचन कराना चाहते हैं और माननीय मन्त्री जी अगस्त, नवम्बर की बातें करते हैं। सरकार की ओर से अगर यह चीज हुई और माननीय मन्त्री कुछ कहें तो मैं समझता हूं कि यह बुरी चीज होगी। मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्री इस बात पर सख्ती करते कि जो एक तारीख निश्चित कर दी है उस तारीख के पहिले ही यह निर्वाचन कर दें ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले।

अभी तक यह देखा गया है कि जब-जब निकायों के निर्वाचन का सवाल आया है, क्षेत्र समितियों और ग्राम पंचायतों के बारे में भी हम देखते आ रहे हैं कि सरकार किसी भी

घोषणा पर स्थिर नहीं रही है। सीमा उसकी हमेशा बढ़ती गई। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी विश्वास करें। चारों टायर आप के सामने हैं और आप प्लानिंग पर विश्वास करने वाले हैं, उसी के अनुरूप हमारे ये चारों टायर रहें। उसके लिये जरूरी है कि चारों टायरों का निर्वाचन ठीक समय से हो और इस तरह से सुन्दर चीज होगी। हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य है उसको ठीक तरह से देख सकते थे। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे और अगर यह चीज सेलेक्ट कमेटी में भेजी जाती है तो उस वक्त हम को भी मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ में यह उम्मीद करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जायेगा।

*श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मुझे इस विधेयक पर कोई विशेष बात नहीं कहना है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस असेम्बली के इतिहास के साथ यह अन्याय की बात होगी अगर मैं इस बात को न कहूं कि माननीय कमला सिंह जी ने इस असेम्बली के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक कार्य किया है। ११-१२ के बाद, जब से असेम्बली चली है, एक घंटा प्रश्नों का समाप्त होने के बाद ५२, ५३ और ५७ पर हल्ला हो जाने के बाद समस्त नेता यहां से चले जाते थे और उनके साथ यहां का प्रेस भी चला जाता था तथा अधिकांश मिनिस्टर भी चले जाते थे उस समय जनता पर असर पड़ने वाले विधेयक यहां आते थे। अगर माननीय कमला सिंह जी यहां न होते तो वे वैसे ही बिना किसी स्पीच के ही पास हो गये होते और शायद किसी मंत्री को भी इस बात का पता नहीं लगता कि वह जो विधेयक लाये हैं उसका क्या महत्व है। सारा प्रेस ५२, ५३, ५७ के वक्त तो बैठता है जिसका जनता के जीवन से कोई खास संबंध नहीं होता, लेकिन इन विधेयकों का जिनसे जनता के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है, उनके लिये यहां कोई नहीं रहता। मौजूदा असेम्बली की जिन्दगी समाप्त होने जा रही है, १०-१५ दिन ही और मिलने वाले हैं। इन पांच वर्षों में माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन विधेयक में पेश किये हैं और जो भाषण उन्होंने दिये हैं, चाहे उनके बारे में लोगों को कभी कभी यह शिकायत भले ही रही हो कि न जाने क्या वे कह रहे हैं, किसी की समझ में कुछ आये अथवा न आये लेकिन अगर वे यहां न होते तो बहुत से विधेयक बिना बोले ही चले जाते और उत्तर प्रदेश की जनता यह समझती कि अनर्गल बातों पर तो इतना हल्ला मचाया जाता है, प्रेस भी उनके लिये हैड लाइन्स देता है लेकिन जो जनता की जिन्दगी से सीधा संबंध रखने वाले विधेयक हैं, उनके ऊपर एक स्पीच भी नहीं होती। इसलिये माननीय कमला सिंह जी का जो इस असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में कान्ट्रीब्यूशन है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

रह गयी इस विधेयक के संबंध में बात। इसके उद्देश्य और कारणों को माननीय कमला सिंह जी ने भी पढ़ कर सुनाया, उनसे ऐसा आभास होता है कि एक ऐसी तात्कालिक आवश्यकता आ गयी जिसके लिये सरकार ने यह आवश्यक समझा कि पंचायतों का टर्म जो ५ साल का होता था और जिसको एक साल तक बढ़ाने का सरकार को अधिकार प्राप्त था, उसको वह दो वर्ष और बढ़ाना चाहती है और उसके लिये अनधिक ६ साल के बजाय अनधिक ८ साल किया जा रहा है। मैं समझता हूं यह एक अस्थायी प्रकार की व्यवस्था है।

श्री कमलासिंह यादव--

यह अस्थायी विधेयक कैसे होगा?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमला सिंह जी चाहते हैं कि यह बात स्पष्ट हो जाय और उनका अमेंडमेंट भी ऐसा ही है। माननीय मन्त्री जी गरदन हिला रहे हैं, मालूम होता है वे ऐसा मानते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी ज्यादा अधिकृत रूप से इस सदन के सामने कह सकते हैं कि क्या उनकी मंशा यह है कि वह सदैव के लिये इस प्रकार का अधिकार लेना चाहते हैं कि पंचायतों का टर्म ५ वर्ष की जगह ८ वर्ष कर सकें। यह जो इस बार मौजूदा परिस्थिति आ गई है कि जिला परिषदों का टर्म ६८ में और पंचायतों का ६७ में खत्म हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

बिल से ऐसा मालूम नहीं होता है कि यह अवधि केवल एक बार के लिये ही बढ़ाई जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि यह ज्यादा दिनों के लिये आगे के लिये भी हो जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या अपना थ्री टायर वाला बिल कोई लाना चाहते हैं लेकिन देखने में यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं होगी कि हमेशा ही ५ साल को टर्म को ८ साल किया जा सके। आभास ऐसा जरूर हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आक्षेप नहीं करता लेकिन कमला सिंह जी ने जो कहा है कि उसके प्रभाव में आप नहीं हैं। इसके उद्देश्य और कारणों से यह स्पष्ट है कि चूंकि जिला परिषद् और पंचायतों के टर्म का समन्वय नहीं हो रहा है इसलिये टर्म बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जो संयानम कमेटी की रिपोर्ट है और थ्री टायर की जो गवर्नमेंट है....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बिल में नहीं, उद्देश्य और कारणों में है। इससे तो यही लगता है कि यह हमेशा के लिये हो जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

वैसे तो मंत्री जी बोलेंगे तब पता चलेगा लेकिन इस बिल की धारा और उद्देश्य और कारणों को देखते हुये यह झलक मालूम हो रही है कि यह हमेशा के लिये मालूम होता है। हमें आशा है कि मंत्री जी ऐसा कोई कनसालिडेटेड बिल लावेंगे जिसमें जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और पंचायत राज आदि की टर्म्स का समन्वय करेंगे। यह उचित नहीं होगा कि हमेशा के लिये ५ साल की जगह ८ साल हो जाय लेकिन इस समय यह संशोधन बड़ा स्वस्थ और आवश्यक है कि टर्म्स सब की साथ-साथ चलें। यह चीज इस पांडेय जी या राम मूर्ति जी की तीन टर्म की सरकार में ही नहीं बल्कि देश में जो फाइव टायर सरकार चल रही है, संसद, असेम्बली, जिला परिषद्, क्षेत्र समितियां और पंचायतें, इन सब का भी टर्म एक साल कर दिया जाय। यहां चुनाव की गर्मी हर साल ही रहती है। कभी असेम्बली के, कभी जिला परिषद् के, कभी पंचायत के, कभी संसद के रोज चुनाव होते रहते हैं। हम लोग भी हमेशा चुनाव के लिए वोट मांगते रहते हैं और पब्लिक भी परेशान रहती है कि ये हमेशा वोट ही मांगते रहते हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखें कि पांचों टायरों का चुनाव एक वर्ष में मुकर्रर कर दें।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कृष्णानन्द जी की सूचना के लिए मैं एक बात बता दूं कि गांव पंचायत के प्रतिनिधि इसमें जाते हैं और क्षेत्र समितियों के प्रतिनिधि जिला परिषदों में आते हैं और वे कौंसिल वगैरह में भी जाते हैं तो एक साथ चुनाव कैसे सम्भव हो सकेगा और फिर एक यह प्रणाली कैसे कायम रह जायगी?

श्री उपाध्यक्ष--

उनका मतलब चुनाव एक साथ कराने का नहीं है। बल्कि लगातार एक के बाद दूसरा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बड़ी स्वस्थ प्रणाली हो जाय, यदि ऐसा कर दिया जाय। हम लोग इंगलैन्ड और अमरीका की तो ज्यादा नहीं जानते कि वहां पर क्या होता है लेकिन हमारे दिमाग पर यह छाया है कि वहां पर भी कौंसिल में, ब्यूरो में, पार्लियामेन्ट्स के चुनाव एक स्पैसिफिक वर्ष में ही होते हैं। यदि हमारे यहां पर भी यही हो जाय तो ५ वर्ष में चुनाव को छोड़ कर कुछ रचनात्मक काम हो सकता है, जो अब नहीं होता है। यह हो सकता है कि ५ वर्ष का टर्म एक साल आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कम से कम यह समस्या तो हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है, ५ साल की ८ साल की। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने यह राय दी है कि उनकी सरकार जो ५ टायर की सरकार है, उन सब का चुनाव एक ही वर्ष में रख दिया जाय। संवैधानिक समिति की रिपोर्ट आये हुए एक वर्ष हो गया है। माननीय मन्त्री जी तो उसकी तारीख भी बताने को तैयार नहीं हैं लेकिन करीब एक साल हो गया है। एक साल में गांव पंचायत का चुनाव नहीं करा सके हैं जब कि माननीय कृष्णानन्द राय जी सुझाव दे रहे हैं कि इस ५ टायर वाली शासन प्रणाली का चुनाव एक साल में ही कर दिया जाय। यह कैसे संभव हो सकता है। इस चुनाव के लिये आप ३ वर्ष का समय मांगते हैं तो यदि ये चुनाव एक साल में ही करायें जायेंगे तो समझ में नहीं आता है कि यह सरकार कैसे कर सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी है जिसमें एक साल बैठे रहने के बाद फिर २ साल का समय चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि क्या वे इन ३ वर्षों में भी चुनाव करा सकेंगे। जब एक चुनाव भी एक वर्ष में नहीं करा पायें तो समझ में नहीं आता कि साइमल्टेनियसली वे एक के बाद एक, १ साल में ही कैसे इन चुनावों को करवा सकेंगे। मैं नहीं समझता कि इस वर्ष में इन्हें क्या आपत्ति थी कि गांव पंचायत के चुनाव करवा लेते। एक, एक वर्ष का अगर चुनाव कर लेते तो ज्यादा सुविधा होती। आपने कोई कारण नहीं बताया कि १ वर्ष हम क्यों बैठे रहे, किस का इंतजार करते रहे? ४ जुलाई तक संवैधानिक कमेटी की रिपोर्ट के बाद और चुनाव कर लेते, दूसरे एम० पी० और एम० एल० ए० का चुनाव हो जाता, उसके बाद क्षेत्र समिति और उस के बाद जिला परिषद् का करा लेते। इसलिये सरकार के लिये एक साल में पांचों चुनाव करा लेना मुश्किल होगा जो कि साल भर में गांव पंचायतों का भी चुनाव नहीं करा सकती। केवल यह कहना कि संवैधानिक कमेटी में यह सुझाव दिया है कि सारे चुनाव साइमल्टेनियसली हों तो अब भी हम साइमल्टेनियसली कर सकते थे अगर जुलाई तक गांव पंचायतों का चुनाव करा लेते। जो दुरुपयोग प्रधान कर रहे हैं वह तीन साल और करते रहेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा था कि संवैधानिक कमेटी की यह रिपोर्ट थी कि पंचायतों राज्य इंस्टीट्यूशन्स के एक साथ चुनाव कराये जायें और ये चुनाव पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनावों के साथ भी न कराये जायें। अगर कमेटी की रिपोर्ट न भी स्वीकार करते तब भी चूंकि क्षेत्र समिति जिला परिषद् ऐक्ट हमने पास किया है और उस ऐक्ट के अन्तर्गत उनका कार्यकाल अलग से चलता है तो गांव पंचायत के जो प्रधान हैं इनका अगर चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

हो जाता तो सारे प्रदेश की क्षेत्र समितियों का टर्म समाप्त हो जाता है और क्षेत्र समिति नई बन जाती है तो जिला परिषदों का टर्म समाप्त हो जाता । जिला परिषदों के अध्यक्ष का कार्यकाल लिखा गया है ऐक्ट में कि उस का कार्यकाल जिला परषिद के कार्यकाल के बराबर होगा । अगर क्षेत्र समिति के प्रधान बदल कर के प्रमुख चले गये जिला परिषद् में और नो कानफीडेंस पास कर के अध्यक्ष, जिला परिषद् को हटा दें तो वह टर्म से पहले कैसे हो सकता है । वह तो टर्म हुआ उस इलेक्टोरल कालेज का जो पहला था । लिहाजा एक डिसपैरिटी हो जाती है । इसलिये गांव पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ा कर के क्षेत्र समिति के नजदीक ले जाना चाहते हैं और क्षेत्र समिति को जिला परिषद् के साथ करना चाहते हैं । चूंकि जिला परिषद् का कार्यकाल जून, १९६८ में खत्म होगा और क्षेत्र समिति का कार्यकाल मई, १९६७ में खत्म होगा इसलिये अगर एक साल हम टाइम लेंतो भी ६ जुलाई, १९६७ को जा कर के यह कार्यकाल पंचायतों का खत्म होता है । इसलिये कार्यकाल जो १ साल बढ़ायें तब भी हम नहीं कर पायेंगे क्योंकि फरवरी और मार्च तक जनरल चुनाव चलेंगे और उस के बाद भी मुश्किल होगा कि अप्रैल या जून तक गांव पंचायतों का चुनाव हो जाय और अगर चुनाव हो भी जाय तो १ साल बाकी रहेगा, गांव पंचायतों और क्षेत्र समितियों का चुनाव तुरन्त करना पड़ेगा । तो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के कार्य काल में सरकार को एक वर्ष बढ़ाने का अधिकार है । हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि इस को तीन साल बढ़ाते । हम यही आश्वासन दे सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों के कारण, जो मैंने बतायीं गांव पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा । वैसे सरकार की इच्छा नहीं थी । और आगे चल कर विकास मंत्री जी ने आदेश दिया है कि पंचायत राज ऐक्ट में तीनों संस्थाओं का इंटिग्रेटेड ऐक्ट लाया जाय और उसमें एक साल बढ़ाने का अधिकार है जिससे आपका तीन साल का भय समाप्त हो जायगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह पर्याप्त नहीं है । गठन जो होगा गांव पंचायतों का उससे क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् में गड़बड़ी होगी । जब भी चुनाव होगा नये नये सदस्य आयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो ब्लाक समितियां हैं, परिषद् हैं इनमें ५ साल का टाइम फिक्स है । उसे कम करने का सरकार को अधिकार नहीं है । अगर कम करने का अधिकार होता तो घटा कर हो सकता था या बढ़ा कर हो सकता था । यह बढ़ा कर कर रहे हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

बढ़ा कर क्यों कर रहे हैं ? संथानम कमेटी के एक साल के बाद गांव पंचायतों का चुनाव करा सकते थे । क्या यह दोनों चुनाव आप एक साथ कर लेंगे जब कि एक इंटीग्रेटेड लेजिस्लेशन होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

९ महीने में सब हो जायेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का कार्यकाल भिन्न है । गांव पंचायत की नई समितियां बन जायेंगी । वही सदस्य जा कर क्षेत्र समिति बना लेते हैं । क्षेत्र समिति के चुनाव उसके बाद होंगे । क्षेत्र समिति से आपको जिला परिषद् में सदस्य भेजने हैं, प्रमुख भेजने हैं और वह फिर चुनाव नहीं कर पायेंगे । लिहाजा गांव पंचायतों के चुनाव पहले होने चाहिये तब क्षेत्र समिति बनती है । फिर जिला परिषद् बनती है लेकिन आप इस चुनाव को सबसे बाद में ले आने वाले

हैं। फिर क्षेत्र समिति कैसे बना देंगे। नई क्षेत्र समिति गांव पंचायतों के प्रधानों से बनती है। फिर वे जिला परिषद् में जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि क्षेत्र समिति का टाइम बंधा हुआ है। घटाने का अधिकार नहीं है। इस समय पंचायतों के चुनाव हो जायं तो इस समय जो क्षेत्र समिति में चुनाव चुन कर जाते हैं वे कहां बैठते हैं? इसलिये उसे यह ठीक करने के लिये किया जा रहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

जो पहले वाले प्रधान होते और चुनाव हो गया होता तो ये प्रधान क्षेत्र समिति में बैठते। दो प्रधान थोड़े ही बैठते गांव से एक ही प्रधान जाता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रधानों का अधिकार पांच वर्ष तक बैठने का है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

वह पांच साल पूरे हो गये। जो प्रधान क्षेत्र समिति में थे उनका कार्यकाल केवल पांच साल है। गांव पंचायतों अथवा क्षेत्र समितियों को कोई कार्यकाल जो मिला है वह उस दिन से होगा जब से वह चालू हुई हैं। गांव सभाओं का कार्यकाल नहीं बढ़ सका। कार्यकाल तो इस अमेंडमेंट से आप बढ़ा रहे हैं। हमारा केवल यह कहना है कि आप जो कार्यकाल बढ़ा रहे हैं इससे क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का कार्यकाल और भी बढ़ाना पड़ेगा। आप उनका चुनाव प्रधानों के चुनाव के पहले नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उन्हीं पुराने क्षेत्र समिति के सदस्यों के द्वारा करेंगे। यह एक वैधानिक आपत्ति है। साल भर आप बैठे रहें, अगर चुनाव करना चाहते तो कर लेते। जैसा कि कृष्णानन्दजी ने कहा कि आप पांचों टायर का साल भर में चुनाव करेंगे लेकिन केवल तीन टायर, एम० एल० ए०, एम० पी० और गांव पंचायत, आपके ऐसे हैं जहां जनसाधारण वोट देते हैं और बाकी दो टायर में केवल प्रतिनिधि वोट देते हैं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मैतेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक साधारण सा जरूर है किन्तु इसका प्रभाव अधिक असाधारण पड़ेगा इस प्रदेश के पंचायती राज पर। केवल एक ही तर्क मंत्री जी ने बार बार दोहराने की कोशिश की कि चूंकि जो तीन टायर पंचायती राज का ढांचा हमारे प्रदेश में है उसके कार्यकाल में अन्तर है उसे मिटाने के लिये यह संशोधन लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन कर के आप इसके कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार आप क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में संशोधन कर के उसके कार्यकाल को घटा सकते थे। ऐसा कर के आप जनमत का आदर करते। मैं समझता हूं कि जनमत पर हमारे प्रदेश में कुठाराघात हो रहा है। जब पांच साल के लिये पंचायत के सदस्यों और प्रधान का चुनाव हुआ तो आप क्यों आये दिन किसी न किसी बहाने कार्यकाल बढ़ाते जायं? मैं समझता हूं कि जनतंत्र की भावना के यह प्रतिकूल है। यदि आपका यह तर्क है कि ऐसा करने से क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का संतुलन समाप्त हो जाता और बहुत सी क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में अविश्वास के प्रस्ताव आने लगते तो मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह भी सरकार की तरफ से थोथी दलील दी जा रही है क्योंकि अभी सरकार ने विकास खंडों का पुनर्गठन किया है और उसमें क्षेत्र समितियों का संतुलन बिगड़ गया है। किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

क्षेत्र समिति में जिसमें ५०–६० सदस्य थे उसके एक प्रमुख का निर्वाचन हुआ लेकिन उस विकास खंड को आपने दूसरे से मिला कर उसकी सदस्य संख्या एक सौ कर दी। मैं ऐसा मानता हूं कि ७५ फीसदी हमारी क्षेत्र समितियों का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिये आपके तर्क में अब कोई दम नहीं है। विकास खंडों के पुनर्गठन के पूर्व तो इस दलील में दम था। मैं भी इस बात को मानता था। लेकिन अब पंचायत राज का काम चलना कठिन हो जायेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया है कि इन विकास खंडों का पुनर्गठन करके क्षेत्र समितियों का संतुलन खराब हो गया है तो अब वह दलील कारगर नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई सार नहीं है। मन्त्री जी को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मैं भी गांव सभा का प्रधान हूं और मैं समझता हूं कि गांव के लोगों की भावना क्या है। वे चाहते हैं कि पंचायतों का जो चुनाव ६–७ साल पहले हुआ था वह अब होना चाहिए। पंचायतों में जो जागरूकता चुनाव के चन्द वर्षों में आई थी। वह अब नहीं है। पंचायत राज का आज हमारे प्रदेश में गला घोंटा जा रहा है। जब से गौरव का काम पंचायत राज का इस प्रदेश में हुआ है। सब से पहले हमारे प्रदेश में यह लागू हुआ था। डायरेक्टोरेट का हमारे यहां निर्माण सबसे पहले हुआ था। लेकिन आज पंचायत राज निदेशालय समाप्त हो गया है और वह डिप्टी सेक्रेटरी के मातहत कर दिया गया है। यह पंचायत राज पर कुठाराघात हो रहा है।

मन्त्री जी सिर हिला रहे हैं इससे मालूम होता है कि वे शायद कमलासिंह जी की बात स्वीकार कर लें। विकास मन्त्री जी ऐसे शरीफ हैं कि कुछ भी कहा जाय वह सबका स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी बगल में जो सभा सचिव बैठे हैं, वह बनारस जिले के विकास मन्त्री हैं और बनारस कमिश्नरी के अन्य जिले उन्होंने अधिकारियों के सुपुर्द कर दिए हैं। यह सौदेबाजी उनकी अधिकारियों से हुई है। उसमें न विकास मन्त्री का और न मुख्य मन्त्री का हस्तक्षेप होगा। यह पंचायत राज के साथ वे मखौल कर रहे हैं। भाषाण बहुत अच्छा देते हैं। मालूम होता है कि इनसे बढ़कर पंचायत राज का और कोई पोषक नहीं है। लेकिन इन्होंने इस को गड्ढे में गिराया है। हमारी कमिश्नरी को चौपट किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि संथानम कमेटी की दुहाई इन्होंने गलत दी है। विषम परिस्थिति पैदा हुई है और कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिए मजबूर होकर यह इसे लाए हैं, संथानम कमेटी की वजह से नहीं लाए हैं। और जो अन्य बातें पंचायतों के बारे में संथानम कमेटी ने कही हैं उनको कहां तक माना गया है। पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो कमेटी बिठाई है उसकी रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी। उसके सम्बन्ध में आपने क्या किया है? १९ साल पहले से पंचायत राज्य हमारे यहां बना हुआ है। आपने ऐक्ट में तरमीम करके दूसरा विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया है? पंचायत राज ऐक्ट में व्यापक संशोधन की तैयारी हो रही है। आखिर वह तैयारी कब तक पूरी होगी? क्या वह सन् ६७ के बाद होगी? क्या आप ६७ के बाद होंगे भी? सन् ६७ के बाद आप होंगे या नहीं यह किस को पता है। यदि आपकी पार्टी ६७ के बाद हुई भी तो पता नहीं आपके स्थान पर दूसरा उस समय कोई आ जाय और उसे वह न मानें और वह यह कहे कि त्रिस्तरीय ढांचा ठीक नहीं है और एकस्तरीय ढांचा रहे। गोविन्दसहाय जैसे लोग बैठे हैं वह शायद एकस्तरीय ढांचा ही पसन्द करेंगे तो मैं कहता हूं कि इस आश्वासन का क्या मतलब है जब वह कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है, सरकार की जब पंचायतराज के प्रति उपेक्षा की भावना है। पंचायतराज के प्रति सरकार पूरी तरह से उदासीन है, मजबूरी में इस पर कोई ध्यान देती है। एक कठिनाई आ गई, इसके लिए माननीय सदन के सामने जाना ही होगा, तो आप चोर दरवाजे से इसके लिए आते हैं और संथानम कमेटी का बहाना लेकर उसकी आड़ में आते हैं। मेरी राय से आप या तो पंचायत राज को यहां से खतम करें, क्योंकि आप इससे कोई जनसाधारण का भला नहीं कर रहे हैं, और इसका विकृत रूप आपने प्रदेश के अन्दर दिया है, इसमें इसका राजनैतिक रूप आपने देने का प्रयत्न किया है।

क्षेत्रीय समितियों में आपने कहा ८ हरिजन होंगे और ५ महिलाएं होंगी। लेकिन आपने न्याय पंचायतों और ग्रामसभाओं में ऐसा काट छांट और तोड़ फोड़ की है कि यह भावना समाप्त हो गई और घुमा फिरा कर उसमें भी अपने ही स्वार्थ की बात ले आए। इस प्रकार आपने पंचायतराज ढांचे का मखौल ही उड़ाया है और पंचायत राज के चित्र को आपने इस प्रदेश में विकृत किया और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रवर समिति में जाने वाला सुझाव है, उसे आप स्वीकार करें और यह भी निवेदन करूंगा कि उसे आप उदारता के साथ स्वीकार करें और उदारता यह होगी कि विकास मन्त्री जी यह भी स्वीकार करें कि उस प्रवर समिति को उसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो। कमलासिंह जी के प्रस्ताव में परिधि बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन परिधि भी बढ़ाने की बात स्वीकार करें। इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। उसमें और व्यापक संशोधन आप १५ दिन के अन्दर इसी सत्र में ले आएं और इस अवधि के अन्दर प्रवर समिति इस पर विचार कर सकती है। संथानम कमेटी या अन्य जो कमेटियां बनी हैं, उनके जो सुझाव आपको पसन्द हों उसे भी आप मान लें। ब्लाकों का जो आपने पुनर्गठन किया है, उसमें भी आप ने बड़ा भारी अपना राजनैतिक लाभ सिद्ध कर लिया है और जनता के विकास के सारे कार्यों को आप ने चौपट कर दिया है, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया है। छोटे-छोटे ब्लाकों को तो आपने तोड़ दिया है, किन्तु जो बड़े-बड़े ब्लाक थे उनको तोड़ने के बजाय और दूसरे बड़े ब्लाक भी आपने उन्हीं में मिला दिए हैं। तो इस प्रकार से इतने बड़े-बड़े ब्लाकों में विकास का कार्य कैसे तेज गति से हो सकेगा? इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। आपने तो अपने हित और अपने पार्टी के हित में सारे पुनर्गठन का कार्य किया है। आप बनारस कमिश्नरी को रसातल में न ले जायं। आप केवल बनारस जिले पर अपना ध्यान दे रहे हैं और बलिया और गाजीपुर को तो आपने अफसरों की मनमानी पर छोड़ रखा है, उसमें आप कोई देखभाल नहीं करना चाहते हैं। विकास मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बलिया जिले में पुनर्गठन का कार्य हुआ है, उसे देखें, उसमें एक रिट दाखिल किया गया है और उसमें कहा गया है कि यह सारा पुनर्गठन वहां पर पार्टीबन्दी के आधार पर हुआ है। मैं नहीं कहता कि बलिया में विकास खंडों का पुनर्गठन दलगत आधार पर हुआ है लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ है अफसरों की मर्जी पर हुआ है। सभा सचिव के विकास खंड को तो अलग कर लिया है लेकिन और जगह के सब मामले अफसरों को दे दिए हैं। बलिया में जो इनका गठन हुआ है वह अजीब तरीके पर हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विकास खंडों का पुनर्गठन किया गया है उसका आप किसी तरह से परिमार्जन करें। यदि आप नहीं करते हैं तो इसका कुफल आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आप के सच्चे मित्र के नाते आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें और इसमें हमें कोई मतभेद नहीं है कि आप बाद में ऐसा संशोधन ले आयें जिससे इसमें अच्छा संशोधन हो सके। क्षेत्र समितियों का संतुलन ठीक करने के लिए आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से किया गया है उसको सही करें। जो आपने क्षेत्र समिति का क्रम बदला है उसी तरह से जिला परिषद् के मेम्बरों को और अध्यक्ष को भी बदल सकते थे लेकिन वह सब उस तरह से नहीं हो सका। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा संशोधन लाकर इसको ठीक करें जिससे अच्छा संशोधन इसके अन्दर हो सके।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि विभाग के सामने कुछ दिक्कत आती थी। जब गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को एक ही ग्राम पंचायत राज के अन्तर्गत एक इकाई मानते हैं तो इसमें इस वजह से कठिनाई आई कि ग्राम सभा के चुनाव हुए १९६० में। डि० डि० सी० का चुनाव १९६२ में हुआ और जिला परिषद् के अन्तिम रूप का गठन हुआ सन् १९६३ में। यह ३ साल का जो अन्तर पड़ गया उससे बड़ी दिक्कत आई। बीच में जिला परिषद्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल]

को बनाना पड़ा और फिर नामांकन करना पड़ा। जिससे शासन के अन्दर बड़ी दिक्कत सामने आई। अब भी अगर आप देखें तो ग्राम पंचायतों का ऐक्ट के मुताबिक जितना कार्यकाल है उतना रखा जाय तो ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्दी होने चाहिए। जल्दी हो जायं तो प्रधान भी नए चुने जायेंगे। इसी वजह से यह आवश्यक हो गया कि इन तीनों का चुनाव जल्दी से जल्दी थोड़े समय के अन्दर होना चाहिए ताकि उसकी चेन ठीक रहे। जिस बात का जिक्र मैनेजरसिंह जी ने किया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही मैं दो एक सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में देना चाहता हूं जो व्यवहारिक रूप में दिक्कत तलब मालूम पड़ते हैं। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

सब से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा ब्लाकों का पुनर्गठन हुआ है उसमें माननीय मैनेजरसिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया है और मैं भी सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस पुनर्गठन के पहले जो ब्लाक्स का परिसीमन था वह कुछ ऐसा बना हुआ था कि एक ब्लाक का हेड क्वार्टर दूसरे ब्लाक की हद में पड़ता था। हमारे जिले में राया ब्लाक था। उसका जो दफ्तर बना हुआ था वह सूरज ग्राम पंचायत में बना हुआ था जो वह वहां से दूर पड़ता है। यह बड़ा अव्यवहारिक था। किसानों को वहां जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती थी और उनको दूर जाना पड़ता था। पास के ब्लाक में नहीं जा सकते थे। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब ब्लाकों का पुनर्गठन होगा उस समय यह दिक्कतें समाप्त हो जायंगी। किन्तु जब ब्लाकों का पुनर्गठन किया गया तो यह दिक्कत और बढ़ गयी। मुझे जैसा कि नोटीफिकेशन से मालूम हुआ है, मथुरा जिले में मथुरा ब्लाक तोड़ कर उसे फरह ब्लाक में रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह विषय नहीं है।

श्री कन्हैयालाल----

मैं सुझाव दे रहा हूं। मंत्री जी इस पर विचार कर लें। तो ऐसा होने से वहां लोगों को घूम कर जाना पड़ता है और किसानों को रोजाना जाने में काफी दिक्कत होती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और उस प्रकार से परिसीमन करेंगे कि ब्लाक का हेडक्वार्टर बीच में हो और सब के लिये सुविधाजनक हो।

दूसरी बात अनुमोदन की रखी गयी है। उस विषय में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। क्षेत्र समिति और जिला परिषद में.....

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय न क्षेत्र समिति का बिल है और न जिला परिषदों का। इस समय केवल पंचायतों की अवधि बढ़ाने का बिल आप के सामने है। आप उसी से संबंधित बात करें।

श्री कन्हैयालाल--

इस अनुमोदन के संबंध में निवेदन है कि उसके द्वारा योग्य व्यक्ति नहीं आ पाते। वहां पार्टियां हैं और लोग अपनी अपनी पार्टी वाले लोगों को, भले ही वे पढ़े लिखे ही हों, भेज देते हैं। और कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ है कि जिन का कोआपशन होना है उनकी दरख्वास्तें भी नहीं थीं उन की दरख्वास्तें बनायी गयीं और उसके बाद उनका कोआप्शन किया गया। इस प्रणाली को मंत्री जी समाप्त कर दें तो उत्तम होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बिल पंचायती राज पर नहीं बल्कि यह तो केवल पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने से ही संबंधित है। यह जो सारी बातें आप कह रहे हैं वे सब इर्रिलिवेंट हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

जो शक्ति संतुलन की बात कही गयी है उसी का वे जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

वह दूसरे प्राविजन्स के बारे में बोल रहे हैं। शक्ति संतुलन की बात वे नहीं कह रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल---

मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कर देता हूं।

श्री कमलासिंह यादव---

जो संशोधन उन्होंने रखा था उस में परिधि बढ़ाने की बात भी थी। उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अगर परिधि बढ़ाने की बात है तो उस के तहत वे अपनी बात कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आप का संशोधन पास हो जायगा तो वह इस प्रकार बोल सकते हैं। लेकिन इस समय जो विधेयक है उसी पर सीमित रहें।

श्री कन्हैयालाल---

तो कोआप्शन की वजह से गैर-तजुर्बेकार और बे पढ़े-लिखे लोग आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसे छोड़िये।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

माननीय सदस्य ने इसी की अहमियत समझी है और इसलिये इसी बात को वे बार बार कह रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल---

मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि इससे पंचायतों की परेशानियां समाप्त होंगी।

एक ही समय में जिला परिषद, क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायतों का गठन होगा। उससे भी जो अन्तरिम परेशानी है वह दूर हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करें ताकि वह ठीक प्रकार से कार्य-प्रणाली चल सके।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन विधेयक के संबंध में जो संशोधन इस ओर से पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि केवल कार्य-काल बढ़ाने की दृष्टि से यह लाया गया है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इसकी आड़ में सरकार ने जनता के मत देने और अपने नेता चुनने के अधिकार का ठीक समय पर प्रयोग न कर सकने के रूप में उसके प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है। वह चुनाव ठीक समय पर होना चाहिये था। पंचायत संस्था को आपने इतना दूषित बना दिया है कि पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामअधार कनौजिया]

उसका गठन एक हजार से डेढ़ हजार की आबादी पर था। फिर ढाई सौ तक के गांव प्रधान बने। फिर उसके बाद उसी पूर्व रूप को दोबारा लाने के लिए यह कार्य-काल बढ़ाने का बहाना किया जा रहा है। इसमें यह दिक्कत नहीं थी कि जिला परिषदों के विघटन से कार्य में बाधा पड़ेगी। बीच में यह व्यवस्था की गयी थी कि जबतक जिला परिषदों का पुनर्गठन न हो जाय तब तक अन्तरिम जिला परिषद कार्य करती रहेगी। फिर क्षेत्र समिति के बाद ही जिला परिषद् चुनी जायंगी। लेकिन अपनी गलतियों को छिपाने के लिये यह बहाना ढूंढा गया, वह उचित नहीं है। इस पांच साल की अवधि में गांव सभा के प्रधानों के प्रति जनता की जो भावना उत्पन्न हो गयी है और जिस प्रकार से चुनाव के सिलसिले में उनका प्रयोग किया गया है और उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है उसे जनता नहीं चाहती थी और पहले के बने प्रधानों को पुनः चुनना चाहती थी, लेकिन आपने इस कानून को इसलिये लाद दिया जिससे जनरल इलेक्शन के समय आपके हित में इसका प्रभाव पड़े। यह जो अप्रजातांत्रिक आपकी विचार धारा है यह गलत चीज है। इसलिये मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि किस उद्देश्य से उन्होंने कार्य-काल को बढ़ाया है। क्या यह सही है कि आप गांवसभाओं का पुनर्गठन करने जा रहे हैं और चूंकि आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई इसलिये २ साल का और कार्य-काल बढ़ाने का प्रयास किया गया है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वही पुराना ढांचा जो कि एक हजार की आबादी का गांव सभा का है उसी को लाने जा रहे हैं? अगर यह है तो हो सकता है कि आप अपना स्पष्टीकरण कर देंगे। यह संशोधन आपकी असफलता का परिचायक है। यह सरकार इसके द्वारा जनता के अधिकारों का हनन करने जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार माननीय कमलासिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर ले।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज ऐक्ट में जो संशोधन आया है वह बहुत आवश्यक है और उसके लिये मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि माननीय कमलासिंह जी जैसे योग्य व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं। विधान सभा के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस संशोधन का आना बहुत आवश्यक हो गया था। क्या आप चाहते थे कि सभी चुनाव एक साथ हुआ करें? यह कैसे हो सकता है? माननीय सदस्यों को तो सर्वसम्मति से इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये था। इसमें ३ साल की मियाद ही तो बढ़ाई जा रही है। क्या आप समझते हैं यह आवश्यक नहीं है? यह बहुत आवश्यक है। आप तो रोज हड़ताल कराने की सोचते हैं, सरकार को गालियां देने की सोचते हैं, कभी चुनाव कराने की सोचते हैं। एक साल आप चुनाव कराने में खत्म कर दें, एक साल हड़ताल कराने में खत्म कर दें, सारा समय इस तरह से आप बरबाद कर दें। इससे कैसे काम चल सकता है। जनरल इलैक्शन अभी हमारे सामने हैं। क्या आप समझते हैं कि उसमें आप विरोधी पक्ष के लोग बहुमत में आ जायेंगे। कभी नहीं आ सकते। यह कांग्रेस सरकार हटने वाली नहीं है। जनसंघ वाले भी कभी बहुमत में नहीं आ सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तीन साल वाले संशोधन को आप सर्व-सम्मति से स्वीकार कीजिये।

(इस समय ४ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुये।)

इसलिये मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों को जब अच्छी तरह से मालूम है कि जनरल चुनाव होना है तो मंत्री जी की बात को मानकर इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये। जहां तक इस सदन के कम्युनिस्टों का संबंध है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इनका यह कहना किस उद्देश्य और किस धारा के संबंध में है।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री हरीसिंह से) आप विधेयक पर बोलें।

श्री हरीसिंह--

मैं विधेयक पर अपना विचार प्रकट कर रहा था। क्योंकि कम्युनिस्टों को विशेष आदत है किसी की बात को काटना और यह इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्योंकि चीन का जब से युद्ध हुआ.....

श्री अधिष्ठाता--

आप विधेयक पर बोलिये।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री के खड़े होने पर) आप बैठें।

श्री हरीसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस पंचायत राज ऐक्ट के संबंध है मैं चुनाव संबंधी बात कह रहा था कि इसमें हमारी सरकार ने, जो कल्याणकारी सरकार है, तीन साल की मियाद बढ़ाई है और मैं विरोधी नेताओं से निवेदन कर रहा था कि जब जनरल चुनाव आ रहे हैं तो हमें पहिले इस चुनाव में लड़ना है। इसलिये इस चुनाव की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं कम्युनिस्ट भाईयों से कहना चाहता हूं क्योंकि इनको चुनाव में साफ मैदान दीख रहा है। इसलिये यह सब देखते हुए इनको अक्सर चिढ़ चढ़ती है। आप लोगों में शक्ति है एक ताकत है, आप लोगों के हाथ में ताकत है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि आप सुनते हैं खामोशी के साथ और दूसरे विरोधियों को मौका देते हैं जिनका नामोनिशान इस देश में नहीं रहा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ३ साल की मियाद बढ़ाने का यह संशोधन आप तुरन्त पास करने की कृपा करें।

श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय हरीसिंह जी ने जो कुछ भी विधेयक के बाहर जाकर कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कल मिश्रा जी ने साफ कर दिया कि इस सदन में कुछ फालतू लोग हैं और कुछ पालतू हैं, लोग तो जैसा वक्त आयेगा वैसी ही दुम हिलावेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आप विधेयक पर ही बोलने की कृपा करें।

श्री भीखालाल--

वही मैं निवेदन कर रहा हूं। पंचायतों का कार्यकाल ५ वर्ष के लिये रखा गया। लेकिन पंचायत राज ऐक्ट में एक प्राविधान है कि सरकार उसे १ साल बढ़ा सकती है। अब इस विधेयक के जरिये सरकार २ साल और बढ़ाने का अधिकार लेना चाहती है, यानी ८ साल तक उनका कार्यकाल हो सकेगा। मैं इसका सख्त विरोधी हूं। हमारी जनतांत्रिक प्रणाली अभी शैशव अवस्था में ही हैं, हम उसे पूरे तौर से फलीभूत नहीं कर पाये हैं, हम अच्छी तरह से अभी परिपक्व भी नहीं हैं, तो इतना ज्यादा लम्बा टर्म कर देना जनतंत्र के लिये घातक सिद्ध होगा। विधान सभाओं की ५ साल की टर्म है, पार्लियामेंट की, पंचायतों की, क्षेत्र समितियों और परिषदों

[श्री भीखालाल]

का सबका ५ साल का टर्म है । तो इस ५ वर्ष का टर्म रखने में कोई वैज्ञानिक आधार या समझ है । अगर कम समय रखा जाय तो जनता के चुने हुये नुमाइन्दों के दिल में यह बात पैदा होगी कि इतने कम समय में क्या किया जा सकता है । इस ख्याल को दूर करने के लिये इतना कम समय भी नहीं रखा गया है । ज्यादा भी इसलिये नहीं रखा गया है कि कहीं उनके दिमाग में यह बात न पैदा हो जाय कि अब तो हम ७, ८ साल के लिये पक्के हैं और जो चाहें सो करें, उनके दिमाग में तानाशाही मनोवृत्ति न आ जाय, इसलिये जनता का कड़ा अंकुश रखने के लिये ५ साल के लिये समय रखा है । यह बहुत ही जरूरी है । यदि इस टर्म को हम बढ़ा देंगे तो जनतंत्र को बड़ा धक्का लगेगा और पंचायत राज्य को बड़ा धक्का लगेगा । जहां तक और सब बातों का सम्बन्ध है, आज पंचायतों में किस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग होता है, इसे सभी जानते हैं । जनता के चुने हुये लोग जहां भी अधिकार की जगह पहुंच जाते हैं, चाहे असेम्बली हों या पार्लियामेंट हो, वे अपनी जगहों का दुरुपयोग करते हैं । इसलिये अगर उनका टर्म और ज्यादा बढ़ा देंगे तो जनता का अविश्वास बढ़ेगा । इसलिये पंचायतों का टर्म बढ़ाना इस भ्रष्टाचार को भी पनपावेगा ।

अब एक दिक्कत सरकार के सामने है जिसे मैं महसूस करता हूं । संथानम कमेटी की सिफारिश को उसने मान लिया है कि पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्, इन तीनों के चुनाव करीब करीब एक साथ हों । इनमें ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये । यह सही भी है क्योंकि तीनों संस्थायें एक दूसरे से संबंधित हैं और उनके चुनाव भी एक दूसरे पर आधारित हैं । अब सरकार के सामने एक व्यावहारिक दिक्कत है कि ग्राम सभाओं की मियाद खत्म होने जा रही है, जिला परिषदों की ६८ में खत्म होती है और क्षेत्र समितियों की ६७ में खत्म होगी । संथानम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन तीनों संस्थाओं के चुनाव एक साथ ही होने चाहिये, इन तीनों को किस प्रकार से एक साथ मिलाया जाय । उसको मिलाने के लिये सरकार पंचायतों के कार्यकाल को ८ साल कर देना चाहती है । लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर संथानम कमेटी की रिपोर्ट न भी आयी होती तो भी क्या सरकार इन तीनों के चुनाव एक साथ न कराती । क्या ग्राम सभाओं के सभापति बदल जाते और क्षेत्र समितियों के प्रमुख और जिला परिषदों के अध्यक्ष पुराने ही रहते ? इसलिये चाहे संथानम कमेटी की रिपोर्ट न भी आती तो भी सरकार को तीनों के चुनाव तो एक साथ कराने ही होते । लेकिन इसके लिये सरकार ने जो उपचार ढूंढ़ा है वह ठीक नहीं है । उसके लिये दूसरा रास्ता भी था । क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक में यह एक खामी रह गयी । उस समय इन तीनों संस्थाओं में तालमेल लाने के लिये हमें कोई इलाज करना चाहिये था । जिस प्रकार पंचायत राज ऐक्ट में १२ जी० धारा रखी गयी है कि किसी विशेष स्थान पर या पूरे प्रदेश में विशेष परिस्थितियों में सरकार समय समाप्त होने से पहले चुनाव करा सकती है, वैसी धारा उसमें भी होनी चाहिये थी । वह एक विशेष परिस्थिति होती । उस प्रकार की धारा क्षेत्र समिति विधेयक में होनी चाहिये थी कि चुनाव विशेष परिस्थितियों में १ साल पहले भी कराये जा सकते हैं । उससे तीनों में तालमेल हो सकता था । इससे होता यह कि उनका पहला ही टर्म चल रहा है उनका टर्म घटाने में कोई दिक्कत न होती और इन पंचायतों का तीसरा टर्म चल रहा है, इसका टर्म बढ़ाना उचित मालूम नहीं होता । इससे जनतंत्र प्रणाली को भी आघात पहुंचता है और पंचों को अपने अधिकारों के दुरुपयोग का अवसर भी मिलेगा और जनता का जो अंकुश अपने चुने हुये लोगों पर रहता है, उसमें भी दिक्कत पैदा होगी । अगर ऐसा संशोधन क्षेत्र समिति विधेयक में कर दिया जाता है तो ऐसी कोई बात न होगी । इसलिये इसके बजाय क्षेत्र समिति अधिनियम में संशोधन लाया जाय तो अच्छा होगा । आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव को मान लेंगे ।

श्री बेचनराम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी का इस विषय में क्या कहना है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

यद्यपि हर पार्टी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं लेकिन अगर २-४ सदस्य और बोलना चाहते हैं तो वे भी बोल लें ।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो प्रक्रिया नियमावली है. . . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप का व्यवस्था का प्रश्न किस बात पर है ?

श्री कमलासिंह यादव--

प्रश्न उपस्थित करने के विषय में है ।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो मंत्री जी ने कह दिया कि सभी दलों के सदस्य बोल चुके हैं और एक दो सदस्य अभी और बोल लें तो कोई एतराज नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

ठीक है अभी प्रश्न उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है ।

श्री बेचनराम--

मुझे वाद विवाद बन्द करने के प्रस्ताव का अधिकार है . . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

वह तो आप का अधिकार है, वह सुरक्षित है इस में कोई २ राय नहीं है । मंत्री जी ने कह दिया है कि दो एक सदस्य अभी और बोल लें ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

मान्यवर, अभी तक ५ साल का टर्म था जो अब ८ साल का किया जा रहा है, अगर सरकार चाहे तो और बढ़ा सकती है उस को अधिकार है लेकिन यह एक एक्सटेंडेड जाडी है मैं इस चीज का विरोध करता हूं । एक शेर सुनिये--

"यह दस्तूरे जबां बन्दी है कैसा तेरी महफिल में ।"
यहां तो बात करने को तरसती है जबां मेरी ।"

क्या ही अच्छा होता कि यह मियाद जो आप ५ साल से ८ साल कर रहे हैं वह असेम्बली के लिये भी कर देते तब तो मजा था । हमारी कांस्टीटुएन्सी तो अछूत हो ही गई है । हम को कोई छू भी नहीं सकता अब तो हम अपवित्र हो गये हैं । अब मैं अपने प्वाइंट पर आता हूं और आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं । हमारी कांस्टीटुएन्सी जैसी थी वैसे ही रहने दी जाय और हमारा टर्म भी ८ साल कर दिया जाय तब तो मजा है ।

अब आप जरा इस धारा को देखें । इस में है कि:--

"Unless terminated earlier under Section 12 (d) the term of Gaon Panchayats shall be five years or if the State Governments so declare by

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रेमसिंह]

notification in the Offical Gazette such longer term not exceeding six years as it may fix."

मैं चाहता हूं कि यह एक एलेक्टेड बाडी है इस का टर्म इस तरह से न बढ़ायें। जैसा है वैसा ही रहने दें। बस अब मैं समाप्त करता हूं।

*श्री खेमचन्द--

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय कमला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक की उपादेयता के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के सामने यह संथानम कमेटी का तो बहाना है ही परन्तु वास्तव में यदि क्रियात्मक रूप से देखा जाय तो सरकार आज ऐसी परिस्थिति में है कि उसे इन स्थानीय क्षेत्रों में अब जनमत प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

मान्यवर, यही एक विधेयक नहीं हैं। केवल गांव पंचायतों का ही प्रश्न नहीं है। महापालिका के इलेक्शन में भी उसके टर्म में उन्होंने पहले एक वर्ष का टर्म बढ़ाया। उस अवधि में भी ३-४ बार इलैक्शन्स का डिक्लेयरेशन किया है लेकिन चुनाव नहीं हुए। जहां तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रश्न है, उनको भी अधिकारहीन बनाकर अपने एक ऐसे रेप्रिजेन्टेटिव को दे दिया जिसकी नकेल अपने हाथ में रखी और जनतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा। आरम्भ में कहा जाता था कि राम राज्य का स्थान ग्राम पंचायतें लेंगी और उनका ३ बार इलैक्शन हो चुका है। चौथी बार यह कठिनाई महसूस हुई कि इनका टर्म बढ़ाया जाय। जब सरकार को मालूम है कि इन पंचायतों का टर्म जुलाई, १९६६ में ही खत्म होने वाला है तो पहले से ही क्यों चुनाव नहीं कराया गया। संथानम कमेटी का बहाना ढूंढ़ लिया गया कि एक साथ इलैक्शन होने चाहिये। जब एक साथ का प्रश्न आया तो पीस मील होने लगे। जैसे महापालिकाओं के इलैक्शन से अनुभव है। वास्तव में स्थानीय क्षेत्रों में कांग्रेस का विश्वास कम होता चला जा रहा है। छोटी-छोटी इकाइयों में और क्षेत्रों में उनको अपना अस्तित्व कम दिखायी पड़ता है।

अभी माननीय हरीसिंह जी ने कहा कि १९६७ में आम चुनाव होने वाला है इसलिये छोटे छोटे चुनावों को टालना ही बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि अगर आप १९६७ के पहले ही चुनाव कर लेते तो शायद तख्ता ही उलट जाता। अभी क्षेत्र समितियों में कांग्रेस का बहुमत है। कुछ दबाव डाल सकतेहैं लिहाजा उनको कन्टीन्यू करना बहुत आवश्यक हो गया क्योंकि अगर ये इलैक्शन करवा देते हैं तो न जाने गांव सभाओं पर किन आदमियों का असर होता और इसी आधार पर ये इस इलैक्शन को टालते रहेहैं और एक अध्यादेश निकाला जिससे अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और जिसमें जनतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा जारहा है। संथानम कमेटी की रिपोर्ट में क्षेत्र समितियों के निर्वाचन की भी सिफारिश की गयी है और जब यह सिफारिश आती है तो उनकी अल्पतम अवधि क्या होनी चाहिये, उस पर भी विचार करना चाहिये ताकि छोटे छोटे निर्वाचन कराकर वहां पर जनता को प्रशिक्षित कर सकें और वे भी जनतांत्रिक प्रणाली को समझ सकें। इस आधार पर इस विधेयक का अधूरापन जाहिर होता है। सन्थानम समिति की सिफारिशों में यह है कि जोअध्यादेश जारी होंगे, उनकी अवधि ६ महीने तक रहती है और उसके अन्दर ही अन्दर इस विधेयक के संशोधन का प्राविधान भी हो सकता प्रवर समिति में विचार करके रिपोर्ट भी दी जा सकती है समझता हूं कि अगर माननीय कमलासिंह जी के संशोधन को न माना गया तो बार बार संशोधन लाने पड़ेंगे, और व्यर्थ में लोकधन का अपव्यय भी होगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें और इस विधेयक को वापिस ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

महोदय, ज्ञापन में जो यह बात कही गयी है कि गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के निर्वाचन थोड़ी अवधि में पूरे किये जाने चाहिये और इस बहाने को ले कर केवल पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन लाने की बात कही गयी है। परन्तु इसमें कहीं नहीं है कि क्षेत्र और जिला परिषद् ऐक्ट में संशोधन लाकर उस की अवधि को कम नहीं किया जा सकता है। केवल एक विशेष ऐक्ट में संशोधन कर के कार्य किया जा सकता है एसा नहीं है। यही कार्य जिला परिषद् की निर्धारित अवधि को कम कर के किया जा सकता था और एक कठिनाई जो सामने रखी जा रही है वह यह कि जिला परिषद् की अवधि चूंकि १९६८ में समाप्त होती है और उस से पहले यदि चुनाव कर देंगे तो क्षेत्र समितियों में परिवर्तन हो जायेंगे, वहां के प्रमुख बदल जायेंगे, प्रमुख जिला परिषदों में पहुंचेंगे तो वहां जा कर हो सकता है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें और अध्यक्ष परिवर्तित हो जायें, परन्तु जो दलील रखी जा रही है यह गलत साबित होती है और मंत्री जी बतायें कि यह जो समस्या सामने आयेगी उसका क्या करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र समिति के चुनाव मई, १९६७ में कर दिये जायेंगे। जब मई में चुनाव हो जायेंगे, क्षेत्र समितियां गठित हो जायेंगी वहां के प्रमुख निर्वाचित हो जायेंगे वहां जिला परिषद् के जो केन्डीडेट जाते हैं वह जिला परिषद् में १९६७ में पहुंच जायेंगे तो क्या वह परिस्थिति फिर जिला परिषद् में नहीं आयेगी? १ साल तक वह स्थिति रहेगी जो सन् १९६७ में क्षेत्र समितियों के चुनाव हो कर और इस प्रकार से उनके प्रतिनिधि दो, दो वहां पहुंच जायेंगे। तो हर जिला परिषद् में वही स्थिति आयेगी और जो दलील दी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, अध्यक्ष न बदले जांय या अविश्वास के प्रस्ताव न आयें, तो वह इस गड़बड़ी को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, जब कि कार्यक्रम यह है कि मई, १९६७ में क्षेत्र समितियों के चुनाव कर लेंगे और जिला परिषदों के चुनाव १ साल पश्चात् करेंगे। अभी माननीय हरी सिंह ने एक बात कही मैं समझता हूं कि उन्होंने सरकार के हृदय की बात सामने ला कर रखी है कि यह सब आगे आने वाले आम चुनाव की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। यह जानते हैं कि आज क्षेत्र समितियों में, जिला परिषदों में कांग्रेस के अध्यक्षों का बहुमत है, यदि आम चुनाव के पहले इस प्रकार के सारे चुनाव कर लिये जाते तो विश्वास है कांग्रेस के लोगों को कि इस बहुमत में उन के लोग नहीं पहुंच कसते थे और यदि चुनाव हो जाते और बहुमत में नहीं पहुंचते तो आप सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते थे जो आज कर रहे हैं। हमने देखा सारे जिलों में जो अध्यक्षों का काम नहीं है, हर एक ने अपने यहांके अध्यापकों से जबरदस्ती गुप्ता फंड के लिये काटा, असेसीज के पास जा कर के रुपया लिया और कहा जब आप के मुकदमे पेश हो टैक्सेज के तो उन को ले आना वह पैसा सारा का सारा डिडक्ट किया जायगा, इस से जिला परिषद को नुकसान होगा। ऐसे कार्य उस समय नहीं कर सकते जब जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय समितियों के चुनाव आम चुनाव पहले हो जाते। ये सारी दलीलें समन्वय करने के लिये रखी जा रही हैं संथानम कमेटी के आधार पर। अगर सरकार सच्चाई तथा ईमानदारी से, उदारता काम करना चाहती है तो यह जो संशोधन विधेयक है इसे वह वापस ले ले और आम चुनाव के पूर्व ही सारी व्यवस्था करके चुनाव सम्पन्न करावें। इन शब्दों के साथमें इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पास न हो जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय यह दलील दी गयी कि गांव पचायतें, क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन उनमें तारतम्य नहीं है जिसके कारण यह समय रखा जा रहा है ताकि एक रुपया कायम हो । मुझे इस सिलसिले में दो तीन बातें कहनी हैं । जिस तरह से यह विधेयक लाये जाते हैं और पास कराये जाते हैं उस व्यवहार पर मुझे सख्त एतराज है और उसी के फलस्वरूप इस तरह की चीजें हाउस के सामने लाई जाती हैं । संथानम् कमेटी भारत सरकार ने बनाई पंचायतों के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिये और उसने एक रिपोर्ट दी कि इन तीनों इकाइयों के चुनाव थोड़ी अवधि में पूरे कर लेने चाहिये लेकिन जब आप क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् का विधेयक लाये हैं तो आपके दिल में गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव कराने में तारतम्य लाने का विचार था ? माननीय भीखालाल जी ने एक बात कही कि अगर सन्थानम् कमेटी इस तरह की सिफारिश नहीं करती तो अपने अपने दिल से महसूस किया या नहीं कि गांव सभाओं के सभापति चुने जायंगे और क्षेत्र समिति में अगर प्रमुख को वह सभापति लोग नहीं बनायेंगे तो प्रमुख पुराने और सभापति नये रहेंगे तो काम नहीं चलेगा । तो सब से पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हाउस से इस बारे में माफी मांगें कि आपने इस तरह का विधान क्षेत्र समिति और जिला परिषद ऐक्ट में नहीं रखा । आपने परिषद की बुनियादी बातों के साथ इन्साफ नहीं किया । इसलिये मैं कहता हूं कि यहां पर जो संशोधन रखा गया है उसको आप पूर्णतया स्वीकार कर लीजिये ताकि जो प्रजातंत्र का ढांचा है, गांव सभायें, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्, उसमें जनता का विश्वास डिगे नहीं और अहंकारी भावना पैदा नहो । इसलिये इस चीज को तो आप वापस लीजिये और जो दूसरा रास्ता उन्होंने बताया है वह अपना कर क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में संशोधन कर के उसके कार्यकाल को कम करिये ताकि १९६७ के बाद चुनाव न हो बल्कि उसके पहले ही चुनाव हो सकें । जब आप जवाब देने उठें तो यह बतायें कि सन्थानम कमेटी के दिमाग में जो चीज आयी है, जिसे आपने यहां कोट किया है, वह आपके भी दिमाग में आयी या नहीं और अगर आयी तो उसका क्या परिमार्जन आपने किया ?

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि समय बढ़ाया न जाय बल्कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट में संशोधन ला कर आप इस चीज को पूरा करें ।

(श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट के खड़े होने के उपरान्त)

श्री बेचनराम---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय हरिनाथ जी खड़े हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट--

माननीय बनारसीदास जी ने इस हफ्ते का कार्य-क्रम बताये हुये कहा था कि इस विधेयक को शुक्रवार तक चलना है लेकिन इसको गिलोटिन कर के आज खत्म किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

गिलोटिन कोई नहीं हुआ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट--

गिलोटिन इस तरह से हो जाता है कि जब हाउस में यह प्रस्ताव पास हो गया कि जबतक यह पास न हो जाय तब तक यह सदन बैठे। तो व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्रीजी ने तो कहा कि यह शुक्रवार तक चलेगा, तो यह कैसे चलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

इसका फिर मैंने पता लगाया। कोई कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने यह नहीं बनाया। अगर माननीय संसदीय मंत्री ने इस तरह की बात कही तो यह प्रश्न आपको उस वक्त उठाना चाहिये था जिस वक्त यह प्रस्ताव रखा गया था। अब वह इस सदन का प्रस्ताव हो चुका है। अब यह प्रश्न उठाने से कोई लाभ नहीं है।

श्री बेचनराम--

(श्री रक्षपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर) मैंने विवाद बन्द करने का प्रस्ताव रखा था।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय रक्षपालसिंह जी का नाम पुकार चुका हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव है और जो संशोधन माननीय कमलासिंह जी ने रखा है उस प्रस्ताव के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, वैसे तो यह जो संशोधन विधेयक है उसमें केवल एक साल की जगह तीन साल और पांच साल की जगह आठ साल करने की बात है। अगर केवल कार्यक्रम बढ़ाने की ही बात होती तो ऐसा हो गया होता और उसमें कोई एसी बात नहीं थी और जो आर्डीनेंस जारी हो गया था उसी को ठीक करना होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो संशोधन विधेयक पेश कियागया है उसमें कहने और करने की भावना दूसरी है। जो कहा जा रहा है वह बात अलग है। अगर मैं यह कहूं कि अगर सरकार समय पर चुनाव करा देती तो जो ये १३ एम० एल० सीज० प्रधानों द्वारा चुने गये हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया होता। इसीलिये मैं कहता हूं कि १९६८ तक समय बढ़ाने का यही मतलब है कि वह इन प्रधानों से एक मर्तबा और एम० एल० सीज० का चुनाव कराना चाहते हैं। कहने के लिये तो यह पंचायत राज्य है लेकिन हम देखते हैं कि इनकी भावना दूषित है और यह अधिकार और बहुमत के आधार पर अनाधिकार फायदा उठाना चाहते हैं। मंत्री जी तो इस समय चले गये हैं, अब मैं माननीय बंशीधर पांडेय जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह से प्रदेश में पंचायत राज्य चलने वाला है? इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन इस पर प्रस्ताव कर दिया जाता है कि इसको आज ही समाप्त कर दिया जाय। यह पंचायत राज्य की भावना का द्योतक नहीं है बल्कि वह तानाशाही की भावना का द्योतक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपाल सिंह]

अगर आपत्तिकालीन स्थिति पैदा हो गई है और उसको ठीक करने के लियेयह संशोधन विधेयक होता तो इनका कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता था और यह होता कि एक बार दो साल के लिये बढ़ाया जाता है । लेकिन ऐसा नहीं है और सदैव के लिये इसका टर्म आठ साल का होने वाला है । यह १९४९ से चुनाव होते चले आये हैं और किसी साल ५ साल में चुनाव नहीं हुये और इसका आठ साल का ही टर्म हमेशा के लिये हो जायेगा । इसके बाद यह नहीं करेंगे, यह उनकी थोथी बात है । इसके पीछे मन्तव्य दूसरा है । मूल बात यह है कि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है । समय का बड़ा महत्व है । पांच साल के बाद चुनाव का समय आया है । अगर सरकार चुनाव को टाल दे तो जो लोगों की तैयारियां हैं उसमें गड़बड़ी होगी । एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है । नगरपालिकाओं के चुनाव में देखिये, क्या हुआ था ? कहने को तो ऐसा है कि पंचायत राज्य चाहते हैं, हम जनतंत्र चाहते हैं लेकिन इसके पीछे इनकी दूषित भावना छिपी हुई है कि इन्हीं प्रधानों को रखना है । १९६१ में जब प्रधान चुने गये थे तो इनको क्षेत्र समितियों में वोट देने का अधिकार नहीं था और परिषद् में प्रधानों के वोट से एम० एल० सी० बनाये गये, यह अधिकार भी नहीं था । क्षेत्र समितियों के चुनाव हुये हों । या जिला परिषदों के चुनाव हुये हों उनमें जिस तरह से जातीयता या प्रधानों को खरीदकर डिमोरेलाइज करने की बात सत्ताधारी दल द्वारा हुई है वह बड़ी विचित्र है । इसलिये समय पर चुनाव होने चाहिये । बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे देश और प्रदेश के अन्दर २–३ ही इकाइयां हैं लोक सभा, विधान सभा और गांव सभा जो जनता के द्वारा चुनी हुई हैं । जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां इनडाइरेक्ट एलेक्शन द्वारा थोड़े ही लोगों द्वारा चुनी जाती हैं । उसमें कुछ तो कोआप्टेड होते हैं कुछ नामजद होते हैं । इस तरह से, यह पूरी तरह से जनता द्वारा चुनी हुई समितियां नहीं हैं । तो इस प्रकार जनता द्वारा चुनी जो पहली इकाई गांव सभा की है, उसके आधार पर ही सभी को एडजस्ट करना चाहिये, लेकिन व्यवहार में आप उसका उल्टा ही कर रहे हैं । इस प्रकार का आपका कदम प्रजातंत्र के नियमों के विरुद्ध है । चाहिये यह था कि पहली इकाई को चुन लेने के बाद उसी के अनुसार ऊपर की इकाइयों को बनाया जाना चाहिये था । मुझे पूरा यकीन है कि आप इनके एलेक्शन को फरवरी ६७ तक करा नहीं पायेंगे, अवश्य उनको आगे के लिये टाल देंगे । एक साल का चुनाव का समय बढ़ाना ठीक नहीं है ।

अब श्रीमन्, आप देखें मई ६७ में क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त होता है । और इस वजह से आपको क्षेत्र समिति के समय को निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा । जब क्षेत्र समितियों को समय बढ़ाना पड़ेगा तो फिर जिला परिषदों का चुनाव आप समय पर करा सकेंगे, यह कहना कठिन है । गांव सभा का चुनाव ६१ में ही हो गया, लेकिन उसके आगे के कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आप आगे कार्य करना ही नहीं चाहते थे । ६०–६१ के बीच चुनाव हुये, लेकिन उसको लागू करने के लिये २ साल का समय आपको लग गया । जब तक यह क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का समय न बढ़ावें यह करना मुश्किल है । जिला परिषदों में आपके अध्यक्ष एक से एक अयोग्य और बेकार साबित हुये हैं और उनके खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है आपके अफसर उसे पास नहीं होने देते हैं । आपके ऐसे ऐसे जिला परिषदों में अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने हाथ से कर्मचारियों के वेतन से १०–१० रुपये काटकर चन्द्रभानु गुप्ता के कोष में दे दिया और आप ऐसे लोगों को बनाये रखना चाहते हैं । नहीं तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि उनसे पहले चुनाव न करा दिया जाये । इसके साथ ही आप जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को भी ले सकते हैं । २७२ धारा में इन कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत आप अवश्य आदेश लागू कर सकते हैं । लेकिन सरकार ने उसका सहारा न लेकर जानबूझ कर प्रजातंत्र की हत्या की है । यह भावना की जब हमें सुविधा होगी करायेंगे, यह पंचायतराज और जनतंत्र दोनों को समाप्त करने वाली है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनका चुनाव समय पर करायें और इनके लिये समय न बढ़ायें ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

छोटा सा बिल, सरकार तीन प्रतिशत बढ़ाना चाहती है और उसके लिये जो संशोधन विधेयक आया है । इस पर इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है । हमारे माननीय सदस्यगण उसमें सिद्धान्त की बातें निकालते हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में पंचायती राज्य छठवीं व सातवीं शताब्दी में मौजूद थे लेकिन उस समय प्रधान बनाने के लिये कत्लें नहीं होती थीं, लोग पंचायत का प्रधान बनाने के लिये रिश्वतें नहीं लेते थे । वह पंचायतें आदमी के गुण, उसकी विद्वता और सेवा पर निर्भर होती थी । हम चाहते हैंकि वैसी पंचायतें सारे भारत में हो जावें जैसी पंचायतें आज हैं उनके लिये यह आवश्यक है कि उस पर नियंत्रण ऊपर से रहे । जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज की दशा है उसके नियंत्रण को सरकार ने उस पर अपना नियंत्रण रखा है उसी तरह से हमारे पंचायत राज्य के लिये भी होना चाहिये था । पंचायतों की जैसी हालत है वह असंतोषजनक जरूर है । इस बिल में सरकार यह चाहती है कि अगर आवश्यकता होगी तो ३ वर्ष तक चुनाव की अवधि बढ़ा दी जाय और इसलिये इसको हमें सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिये था । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस बात पर सहमत होंगे कि इस छोटे से बिल पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री कमलासिंह यादव से) यादव जी, जितने प्वाइंट्स थे, वह सब आपने अपने भाषण में पहले उठा दिये, वह सब आपने कह दिये थे अब उत्तर में उस पर न जाइयेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह नियमावली अलग-अलग बनेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि आपने विस्तारपूर्वक पहले भाषण में प्रकाश डाल दिया है, मैं यह चाहता था कि आप उत्तर भाषण में अब विस्तार में न जाइये, संक्षेप में समाप्त कर दीजिये ।

*श्री कमलासिंह यादव—

अभी तक जितनी बातें कही गयी हैं मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी सहमत हो जायेंगे हमारे संशोधन से लेकिन एक बात यह है कि जो बात अभी एक माननीय सदस्य ने कही है उसकी आड़ में दूसरी बात है । क्योंकि क्षेत्र समितियों का कार्यकाल भी ५ साल है । जिला परिषदों का कार्यकाल भी ५ साल है और इसी तरीके पर ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी ५ साल का है । पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत इन पंचायतों का कार्यकाल १ साल एक्सटेन्ड करने की मियाद थी । इसी तरीके से क्षेत्र समिति के लिये धारा ८ के मुताबिक कार्यकाल १ साल तक बढ़ाने का है । अगर पंचायत राज के अन्तर्गत १२ खंड के मुताबिक जब एक साल बढ़ाने की मियाद थी तो उसको अब ३ साल बढ़ाया जा रहा है । मैं समझता हूं क्षेत्र समितियों का कार्यकाल भी बढ़ेगा और इसी तरह से जिला परिषदों का कार्यकाल भी बढ़ेगा । इस तरह से जो बात उद्देश्य और कारणों में लिखी है वह ठीक नहीं होगी । इसलिये अनुकूलता लाने के लिये जो बात कही गई है वह मुझे सही नहीं मालूम होती है ।

दूसरी बात यह माननीय मंत्री जी ने कही कि जिला परिषद् के अध्यक्षों का कार्यकाल ५ साल है । उसके पहले उनको अपदस्थ नहीं कर सकते हैं और न दूसरे बैठ सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है अगर उसके शब्दों को देखा जाय तो इन शब्दों के रहते हुये जिस रूप में यह सदन में प्रस्तुत किया गया है सरकार को यह अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

होंगा कि गजट में विज्ञप्ति द्वारा कार्यकाल को ३ साल के लिये बढ़ा सकती है । यह ३ साल का समय एक साथ ही बढ़ा सकती है । १ साल या २ साल या ३ साल तक वह समय बढ़ाया जा सकता है । ५ साल से ७ साल हो सकता है या ८ साल हो सकता है । जब इसके एक्सटेंड करने की जरूरत हो तो वह हो सकता है । इस तरीके पर यह बिल डिफेक्टिव है । इसके अन्तर्गत दोबारा हम इसको बढ़ा सकते हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान धारा २० की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी शब्दावली बेहतर है । उसमें यह दिया है कि समय-समय पर कार्यकाल सरकार बढ़ायेगी और उसका योग १ साल से अधिक नहीं होगा । अगर ऐसी बात होती तब तो मानता कि इसकी शब्दावली ठीक है । लेकिन पार्टी पालिटिक्स का सवाल भी सामने आयेगा और कोआप्ट करने का सवाल भी आयेगा । सरकार अपने आदमियों को अधिक से अधिक कौंसिल में बिठायेगी या जिला परिषद् में बिठायेगी या ब्लाक के अन्दर भेजेगी ताकि इनकी मेजारिटी हो और जो चाहे ऊपर से नीचे तक करें । यह इनका मायाजाल होगा । उसी मायाजाल को पुष्ट करने के लिये यह सरकार यह सारा कार्य कर रही है क्योंकि अब कोआप्शन क्षेत्र समिति या जिला परिषद् में फिर होगा तो अधिक से अधिक तादाद में इनके मेम्बर होंगे । उसका नतीजा यह होगा कि जब कौंसिल का चुनाव होगा तो वह इनके लोगों की वोट पर ही आधारित होगा ।

इसलिये अधिक से अधिक संख्या में उनके आदमी कौंसिल में आना चाहेंगे । इसलिये मैं चाहता था कि यह सरकार जनतांत्रिक बनती और राज्य को अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये ताकि मंत्री का चुनाव हो सके । यह हो सकता है कि मंत्री जी इंडायरेक्ट निर्वाचन करायेंगे । यह बुरा होगा । अभी तक आपकी यह व्यवस्था रही है कि (एक आवाज—हम तो डायरेक्ट कराते हैं ।) कुछ दिन बाद हो सकता है कि आप कह दें कि एम० एल० ए० का भी इंडायरेक्ट होगा । (व्यवधान) । मैं यह नहीं कहता कि इस सदन से पास कर देंगे क्यों कि मैं जानता हूं कि आप केन्द्र के ऐक्ट का संशोधन नहीं कर सकते । लेकिन दोनों जगह कांग्रेसी सरकार है जो चीज यहां चाहेंगे वहां से भी पास करा सकते हैं। हम लोगों को डर है कि अपना राज्य कायम करने के लिये आप इस चीज को भी कर सकते हैं।

अधिक न कह कर मैं चाहूंगा कि हमारा संशोधन स्वीकार करना चाहिये ताकि भविष्य में यह चीज हो जाय तो वहां पर हर चीज को देख कर ठीक तरह से संशोधन लाया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय —

अधिष्ठाता महोदय,मैं सचमुच में कमलासिंह जी और सदन को बधाई दूंगा जिन्होंने काफी विस्तार से इस पर विचार किया । और भीखा लाल जी की तो मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने ऐसी बात कही कि अगर संथानम कमेटी की रिपोर्ट न भी होती तो भी सरकार को क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट को देखते हुए यह संशोधन लाना पड़ता । मैं बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि यह आठ साल की बात आगे के लिये भी ऐक्ट में बनी रहे। विशेष परिस्थिति के लिये यह केवल विकास मंत्री जी ने आदेश कर रखा है और कोई बात नहीं है । अगली बार हमारा यह इरादा है कि पंचायती राज का तीनों को मिला कर के यानी क्षेत्र समिति, जिला परिषद् और गांव सभा इन का एक इंटीग्रेटेड बिल हो । एक बार माननीय मंत्री जी ने कौंसिल में क्षेत्र समिति के संबंध में एक बिल पेश किया था लेकिन फिर रेकमेंडेशन्स आयीं और उस को वापस कर लिया गया । उसमें सौ धारायें थीं । लोगों को एतराज यह था कि इस को और भी कांप्रीहैंसिव होना चाहिये । इसलिये यही सरकार की नीयत है आठ वर्ष का समय रखने की । आगे आने वाली बिलों में ऐसी व्यवस्था न करने की कोशिश की जायगी । क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के अनुरूप ही गांव सभा का बिल बनेगा । कमला सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने संशोधन में स्वीकार किया है

कि तीन साल के बजाय दो साल के लिये ही यह अधिकार रहे । एक साल एक बार करने का और एक साल दूसरी बार करने का ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट ---

यह तो आल्टरनेटिव है कि अगर पहला वाला पास न हो तो यह हो जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं तो इसलिये तारीफ कर रहा हूं कि आप ने हमारे सिद्धान्त को स्वीकार तो किया है भले ही आल्टरनेटिव के रूप में किया हो ।

श्री कमलासिंह यादव ---

क्या आप मेरा संशोधन स्वीकार कर रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय ---

इस के मानने में कुछ कठिनाई है । ६ जुलाई, १९६५ को गांव पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ । तो एक साल सरकार ने बढ़ा दिया और वह ६ जुलाई, १९६६ तक हो गया । अब एक साल इन के कहने से बढ़ा दें तो ६ जुलाई,१९६७ को अपने आप गांव पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जायगा । इस में दो राये नहीं हैं कि आम चुनाव में आप चाहे भाषण करते रह कोई आदमी यह नहीं कहेगा कि गांव पंचायतों का चुनाव इन तीन, चार महीनों में हो जायगा । आम चुनाव को देखते हुए आप भी तैयार नहीं होंगे । मार्च तक आम चुनाव होंगे । फिर नोटीफिकेशन गांव पंचायत का होगा । लिस्ट का इधर से उधर भेजना नामिनेशन आदि में काफी समय लग जायगा और यह सब जुलाई, १९६७ तक हो नहीं पायेगा । इसलिये एक साल का समय और बढ़ाया है । लेकिन हम ने यह आश्वासन दिया था कि सितम्बर, नवम्बर, १९६७ के बीच में गांव पंचायत के चुनाव को सरकार कराने का प्रयास कर रही है । जनवरी और मार्च, १९६८ के बीच में क्षेत्र समितियों की वोटर लिस्ट बन जायगी । इस तरह से बीच में कोई गैप नहीं हो पायेगा और फिर मार्च और जून के बीच में क्षेत्र समितियों की निर्वाचन नामावली बनेगी । इसलिये सरकार की यह जेनुइन आवश्यकता है और इस को महसूस करते हुए एक साल का समय आप से और लिया है । उस साल में हमारा तीनों प्रकार के चुनावों को कराने का इरादा है । इसलिये कोई भ्रम नहीं होना चाहिये । यह एक छोटा सा संशोधन है । यह बात नहीं है कि हम चुनाव से डर रहे हैं ।

यह कहा गया कि शब्दों को बदल दिया गया है लेकिन १९६२ के एलेक्शन के पहले जो शब्द थे और जिस प्रकार इधर और उधर के लोग चुन कर के आये हैं १९६२ में वह उसी आधार पर आये हैं और उस पर किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया । उसी प्रकार से हम यह चुनाव भी कराना चाहते हैं और १९६२ की स्थिति ही सरकार ने रखी है । ऐसी सूरत में मैं कमला सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता---

कमला सिंह जी, आप ने अपील सुनी ?

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, उस में फोर्स नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

पहले मैं माननीय कमला सिंह तथा माननीय हरिनाथ तिवारी के संशोधन को लेता हूं ।

[श्री अधिष्ठाता]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

२---यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ में वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:---

"(२) धारा १२-जी के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक गांव पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा, यदि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस प्रकार घोषणा करे तो आठ वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये होगा जो वह निश्चित करे।"

निरसन तथा अपवाद

३---(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम ४ जुलाई, १९६६ को प्रारम्भ हुआ था।

*श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा (२) रख दिया जाय :---

(२) धारा १२-जी के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा प्रतिबन्ध यह है कि यदि विशेष परिस्थिति विद्यमान हो तो सरकार प्रथम बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवर्क्षीण नहीं किया।

एक वर्ष के लिये और दूसरी बार एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है परन्तु किसी सूरत में इससे अधिक कार्यकाल न बढ़ेगा ।

श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी पंचायत राज एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं जल्द ही, समय भी आयेगा जब कि सरकार जिला परिषद् ऐक्ट में भी संशोधन लायेगी और क्षेत्र समिति आदि कार्यकाल बढ़ाने के लिये सदन में संशोधन उपस्थित होगा और उन का भी समय बढ़ाया जायेगा । माननीय मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया उसमें यह कहा है कि सन् ६७ के चुनाव के पहले यह नहीं करा सकते हैं और सन् ६८ तक भी यह मुश्किल मालूम होता है । माननीय मंत्री जी के इस संकेत से यह स्पष्ट जाहिर है कि चुनाव सन् ६८ के पहले नहीं हो सकते और जब चुनाव नहीं हो सकते तो जिला परिषदों के चुनाव का कार्यकाल भी बढ़ाना होगा । उनका कार्य-काल बढ़ाने के लिये कोई न कोई बिल सदन में अवश्य लाना होगा । और अगर बिल सरकार नहीं ला पायेगी तो उसके पास अध्यादेश लाने का हथियार है ही, सरकार अध्यादेश ले आयेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी को मैं समझता हूं आपका संशोधन मानने में कोई आपति न होती मगर एक वर्ष तो बीत गया है, ६ साल तो हो ही चुके हैं, इसलिये उनके सामने भी यह मजबूरी है । इस वक्त वह यह कह रहे हैं कि मजबूरी है उसको कार्यान्वित करने के लिये वर्तमान परिस्थिति में तीन साल बढ़ाना ही पड़ेगा तभी उसका समन्वय होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

छः साल बढ़ा चुके । एक साल के अन्दर कर लें तो ठीक है । विशेष परिस्थिति आवे तो उसका एक्स्टैन्शन होना चाहिये ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—

एक वर्ष के लिये है उसी के लिये समय ले रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो आठ वर्ष के बजाय अगर हमारा संशोधन मंजूर होता है तो वह सात साल तक हो सकता है यानी एक साल हम और कमी करना चाहते हैं । आठ साल न लेकर वह दो साल में ही सारा काम खत्म कर लें । अगर इस तरह करते हैं तो ठीक है । इसमें जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने रक्खा है उनकी शाब्दिक बातों की ओर जब हम आते हैं उसमें यह दिया हुआ है कि १२ (जी) के उपबन्धों के

(इस समय ५ बज कर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

अधीन रहते हुए प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा रा य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा करे तो आठ वर्ष की ऐसी अवधि होगी जो वह निश्चित करे । इसका मतलब यह होगा कि एक बार सरकार बढ़ा सकेगी तो दूसरी बार चाहे तो किसी तरीके पर नहीं बढ़ा सकती । इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिसमें समय-समय पर सरकार को यह कार्य काल बढ़ाने का अधिकार दिया गया है । दूसरे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह जो विधेयक है यह अगस्त, ६६ में पास होगा । अगस्त, ६६ के पश्चात् होगा तो उसके बाद गजट के द्वारा ही यह सरकार उस पीरियड को एकस्टेन्ड करेगी । तो अगर दो सितम्बर के बाद अगर यह गजट नहीं हुआ तो नतीजा यह होगा कि जो कार्यकाल है एक्स्टेंशन का वह भी नही हो सकेगा । इस तरीके से जो सरकार की मंशा है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा ले और निर्वाचन करा ले तो उस मंशा की भी पूर्ति नही होगी । जो संशोधन मैंने रक्खा है अगर शाब्दिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस में आप कर सकते हैं । लेकिन जो मैंने परिवर्तन रक्खा है अगर इस तरीके

[श्री कमलासिंह यादव]

पर होगा तो समय-समय पर शाब्दिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अपने जो संशोधन जिस रूप में रखा है इसका मतलब यह हुआ कि या तीन साल के लिये एक बार बढ़ा लें नहीं तो यह कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता क्यों कि समय समय पर बढ़ाने की बात इसके अन्तर्गत नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि इसको स्वीकार करें।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके पूर्व पीठासीन अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि उनको आपत्ति इतनी है कि जो समय उनको मिला जनरल इलेक्शन के बाद वह इतना अपर्याप्त होगा कि चुनाव शायद न हो सके वरना मानने को तैयार हैं। हम उनसे बताना चाहते है कि सन्थ नम् कमेटी के बाद अगर आपने एक बहाना ही लिया है तो आपको एक वर्ष तो मिल चुका रिपोर्ट के बाद और एक वर्ष के बाद जुलाई से जनवरी तक जो कार्यवाही करनी चाहिए वह कह सकते हैं। जो कुछ भी आप नोटिफिकशन करें वह कर सकते हैं। उसके बाद केवल चुनाव रह जायेगा, वह चुनाव चार महीने के बाद कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो जब तक चाहे बढ़ा सकते हैं यह सब आपका बहाना मात्र है, इसमें आपकी जरूर कोई राजनैतिक चाल है। आपका बोनाफाइड कन्टेशन नहीं बल्कि मेलाफाइड कन्टेशन है। आपको चार महीने मिलते हैं उनमें आप चुनाव करा सकते हैं। ब्लाक डेवलपमेंट की जो मशीनरी आप के पास है उससे चुनाव कराए जा सकते हैं। इसलिए जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी न रखा है उसको आपको मान लेना चाहिए।

*श्री रक्षपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह जी न जो संशोधन रखा है उसका भाव भी वही है जो सरकार का है लेकिन वह उसको और भी स्पष्ट करता है। इसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो ४–५ महीने बचते हैं उसमें सरकार को चुनाव करा लेना चाहिए। मार्च में जो उन्होंने घोषणा की थी उसमें सरकार ने कहा था कि वह पंचायतों के चुनाव करायेंगे और वह पुरानी मतदाता सूची के अनुसार ही कराये जायेंगे लेकिन अब उन्होंने बताया कि वह सूची को संशोधित करायेंगे। यह उचित नहीं है, सरकार को अपने वायदे पर कायम रहना चाहिए।

(इस समय ५ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्दराय, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस ऐक्ट के मातहत अपनी शक्ति का प्रयोग एक बार कर लिया है और पांच साल के बजाय ६ साल का समय पंचायतों के चुनाव के लिए कर दिया है। अब और ज्यादा समय बढ़ाने में संवैधानिक कठिनाई हो सकती है। बार बार सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हो सकती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि सरकार की नीयत इसमें बिल्कुल भी खराब नहीं है। केवल विशेष परिस्थिति में ही इसको इस्तेमाल किया जायगा। दूसरे ऐक्टों में इस प्रकार से मियाद बढ़ाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। यह तो क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों और पंचायतों को साथ-साथ लाने के लिए ही किया जा रहा है। चुनावों को कराने में कुछ समय तो लगेगा ही। आपने कहा कि मार्च और जुलाई के बीच में चुनाव हो जायेंगे। लेकिन नयी असेम्बली जब बैठेगी तो वह अप्रैल से जून तो बैठगी ही। उसके बीच में गांव सभाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के चुनाव किस प्रकार से उचित होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि कमलासिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं उसको वापस नहीं लेता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा (२) रख दिया जाय :—

"(२) धारा १२-जी के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा, प्रतिबन्ध यह है कि यदि विशेष परिस्थिति विद्यमान हो तो सरकार प्रथम बार एक वर्ष के लिए और दूसरी बार एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है परन्तु किसी सूरत में इस से अधिक कार्यकाल न बढ़ेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि यह जनतन्त्र और प्रजातांत्रिक पद्धति के साथ ही प्रदेश की सारी जनता के विरोध में है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करें और इस से जो भार जनता पर आने वाला है उससे उसको मुक्त करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

श्री अधिष्ठाता —

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ जुलाई, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

IN THE COURT OF THE ASSISTANT SESSIONS JUDGE OF ETAH

Etah, the 17th day of November, 1965

Present : Sri P. B. Mashiwal, Assistant Sessions Judge

Cr. Sessions trial no. 63 of 1965

STATE

vs.

Ramgopal Das son of Ram Sawaroop, aged 20 years, resident of Hasangarh Police Station Jalesar.

(2) Bhishampal son of Gangaram, aged 35 years, resident of Hasangarh, Police Station Jalesar, district Etah.

Charge under sections 460!307 OPC

23.11.1965.

Sri S. K. Bishariya presented himself at 2.5 p.m. before this court and arguments of the parties on 26-B application were heard and orders passed. Just when the order was written Sri Bisaria requested the court that his presence may not be noted in this case as he was already conducting the case in some court. His request could not be acceded on the ground that he was physically present in the court and there was no harm in noting down his presence when he was actually present. As it he said that he had come to this court only by courtesy as he had been called and left the court by saying that he refuses to conduct the case in this court. It may be mentioned that Sri Bisariya exhibited a very poor display of the court manners which was not very befitting of any panel lawyer and were not in conformity with the decorum and dignity of the court.

It may be mentioned that the case was already fixed for hearing and there was absolutely no question of courtesy and he was duty bound to attend the case unless he had prearranged it or some one else would have appeared for him. It appears that he was acting under some misapprehension. It also appears that he felt offended as his request was not acceeded and the order in the application did not find favour with him. It is expected that he should not have left the court without permission and sould have avoided the use of the words courtesy and refused to conduct the trial.

It may be born in mind that his such conduct may tantamount to contempt of court but considering that he is a panel lawyer of some standing and is most likely to improve his conduct in future no such action appears necessary keeping in view the larger interest that the relation between the bench and Bar should remain cordial as far as possible.

All the same it is hoped that Sri Bisaria shall in future be very *mindful of his conduct in court and maintain his prestige by avoiding the serious consequences on ensuing as a result of his own conduct in court.*

23.11.65. (Sd.) P. B. MASHIWAL,

Assistant Sessions Judge,

Etah.

नथी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

क्रम-संख्या	खरीददार का नाम व पता	बिक्री की दर प्रति बोरी	बोरियों की संख्या	रकम	विवरण
१	श्री आशादीन, ग्राम अराबना, डा० बारी भैयन, जिला कानपुर ..	९.५८	१००	९५८.००	
२	श्री चन्द्रपाल सिंह, गांव अदमापुर डा० मोहार, जिला फतेहपुर ..	९.५८	३४	३२५.७२	
३	श्री अब्दुल कादिर, फतेहपुर ..	९.५८	२५०	२,३९५.००	
४	श्री शिव सागर, गांव पतारी, डा० आलमपुर, जिला फतेहपुर ..	९.५८	३००	२,८७४.००	
५	श्री राम चरन	९.५८	१५०	१,४३७.००	
६	श्री राधेश्याम	९.५८	३००	२,८७४.००	
७	श्री राम सिंह	९.५८	९५०	९,१०१.००	
८	श्री रमेशचन्द्र गांव व डा० जहाना बाद, फतेहपुर	९.५८	१५०	१,४३७.००	
९	श्री राम दयाल ..	९.५८	२००	१,९१६.००	
१०	श्री रामचरन	९.५८	१५०	१,४३७.००	
११	श्री राम सजीवन, गांव व डाकखाना कुर्रा कनैली, जिला फतेहपुर ..	९.५८	७०	६७०.६०	
	योग		२,६५४	२५,४२५.३२	

संसद ग्रंथागार पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

दिनांक १४-३-६६ को हुए फैसले के खंड	योजना द्वारा की गई कार्यवाही
(१) यह तय किया कि राम गंगा परियोजना मजदूर संघ, कालागढ़ (उ०प्र०) के रजिस्ट्रेशन को मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी को सिफारिश की गई है कि नियमित रूप से संघ को मान्यता दी जाय। जब तक नियमित रूप से मान्यता स्वीकार होकर न आ जाय तब तक पिछले वर्तमान व भविष्य में सभी पत्रों को उक्त संघ के नाम से सम्बोधित किया जाय तथा सभी पत्रों का उत्तर दिया जायगा।	(१) राम गंगा परियोजना मजदूर संघ कालागढ़ को मान्यता दे दी गई है।
(२) वेतन कर्मचारियों का जो पिछले माह का रुका हुआ है उसका भुगतान आज ही किया जायगा।	(२) फरवरी, १९६६ के वेतन का विवरण पहले ही मार्च, १९६६ में कर दिया गया है।
(३) मुख्य परियोजना अभियन्ता ने आश्वासन दिया कि भविष्य में क्वार्टर की जमानत नहीं काटी जावेगी। यह भी निश्चय हुआ कि क्वार्टर एलाटमेंट की एक प्रतिलिपि उक्त संघ के प्रधान मंत्री को दी जायेगी। उपर्युक्त संघ को अधिकार होगा कि क्वार्टर का कब्जा लेते समय अपने को आश्वासित कर लें कि क्वार्टर का सब फिटिंग आदि ठीक है तथा क्वार्टर छोड़ते समय यूनियन का प्रमाण-पत्र फिटिंग आदि के विषय में लेने पर ही वेतन का अन्तिम भुगतान किया जाय। सी हालत में क्वार्टर की फिटिंग, आदि सम्पत्ति की कमी होने पर संघ उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं।	(३) क्वार्टर के बंटन (allotment) के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जमानत नहीं काटी जा रही है।
(४) कम्पेनसेटरी एलाउन्स के विषय में उक्त संघ का विचार है कि वर्कचार्ज का वेतन २० प्रतिशत मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता बढ़ा सकते हैं जैसा कि पत्र संख्या ५,९७६ (Equip -14 B-35 w/w-e, dated25-4-66 from C.E.p, office Lucknow. के द्वारा आदेश मिल चुका है तथा अधिकार निर्धारित किया गया है और जैसा कि देहरादून (उ०प्र०) में श्री सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गत वर्ष से ही २० प्रतिशत लम्प सम रूप में बढ़ाया गया है, उसकी सिफा-	(४) मजदूर संघ को पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग का कार्यकाल ज्ञापन मुख्य परियोजना अभियन्ता, को महंगाई तथा संपूरक भत्ते (Compensatory Allowance) के कारण वेतन में बीस प्रतिशत तक पुष्टि (Lumpsum) वृद्धि के लिए प्राधिकृत (authorised) नहीं करते।

दिनांक १४–३–६६ को हुए फैसले के खंड	योजना द्वारा की गई कार्यवाही
रिश श्रीमान मुख्य परियोजना अभियन्ता, सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री को भेजेंगे जिसकी एक प्रतिलिपि श्री सत्यवीर, विधायक (उ०प्र०) को दी जावे जिसकी वे पैरोकारी मन्त्री महोदय से करेंगे।	
(५) श्री समी अहमद, स्प्रेयर आपरेटर के विषय में जो कार्यवाही ता० ७–३–६६ को हुई है उससे हम सब सहमत हैं। शेष पिछले तीन महीने के अन्दर के जो केस निकाले गए कर्मचारियों के हैं उनके पुनर्निरीक्षण सहानुभूति पूर्वक मुख्य परियोजना अभियन्ता (कालागढ़) (उ०प्र०) द्वारा यथासम्भव उनके हक में नियमानुसार किया जायगा। इसमें मुख्य परियोजना अभियन्ता, कालागढ़, उ० प्र० संघ के एक प्रतिनिधि से सहायता लेंगे।	(५) श्री शमी अहमद, भूतपूर्व स्प्रेयर आपरेटर के सम्बन्ध में मुख्य परियोजना अभियन्ता का अन्तिम निर्णय संघ को बता दिया गया है उन व्यक्तियों के २२ केस में जिन को १४–१२–६५ से १४–३–६६ के बीच सेवाओं से मुक्त कर दिया गया था, १४ केस जांचे गए हैं और उन पर लिए गए निर्णय से संघ को अवगत करा दिया गया है। बाकी ८ केस को संघ के प्रतिनिधि ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया है।
(६) निःशुल्क पानी और बिजली की मांग को मुख्य परियोजना अभियन्ता, अलीगढ़ (उ० प्र०) सरकार को सिफारिश करेंगे जिसकी पैरवी श्री सत्यवीर, विधायक करेंगे।	(६) निःशुल्क पानी तथा बिजली का मामला सरकार के विचाराधीन है।
(७) औषधालय के विषय में जो निर्णय दिनांक ७–३–१९६६ को हुआ है वह मान्य है।	(७) जैसे ही चिकित्सक तथा कर्मचारियों की मंजूरी हो जायेगी औषधालय खोल दिया जायेगा।
(८) संघर्ष में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ कानूनी कार्यवाही किसी भी प्रकार की नहीं की जायेगी और न तो किसी प्रकार की आर्थिक हानि पहुंचाई जायेगी। इस समय की आर्थिक क्षति को आगामी तीन माह में ओवर टाइम (रविवार) या आराम के दिन को काम कर सिंगिल रेट पर पूरा कर दिया जायेगा, इस ओवर टाइम रविवार तथा रेस्ट समय का वेतन उस माह के वेतन के साथ भुगतान कर दिया जायेगा।	(८) उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने रविवारों में कार्य किया है, संवादी मास (Corresponding month) फैसले के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। किसी कर्मचारी के साथ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०४ एल० ए० —१९६६—८४६।